राजस्थान विधान सभा

७८वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक २३ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

वधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्हपूर्व ८-१ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १९०१

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री अंगदराम शास्त्री।

(श्री राजस्व मन्त्री अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९०२

श्री मोटाराम ।

(श्री राजस्व मन्त्री अनुपस्थित)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—हमारे यहां एक फाटक है जो बन्द हो जाता है और इससे आने में देरी होती है ।

प्रश्न संख्या १९०३

किशनगढ़ की आटे की चक्कियों को पॉवर का दिया जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ़ में कितनी आटे की चक्कियों को पॉवर हाउस से पॉवर देना स्वीकृत हुआ है ?

(ख) उक्त चक्कियों में से पिछले १ साल में किस किस चक्की को कितने कितने दिन पॉवर दिया गया है ?

(ग) उक्त चक्कियों से पावर हाउस द्वारा क्या क्या चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं ?

[श्री चादमल मेहता]

(घ) क्या कोई चार्जेज बिना पावर दिये भी वसूल किये जाते हैं ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मंत्री)—(क) किशनगढ़ में इस समय ६ आटे की चक्कियों को पावर कनेक्शन है।

(ख) १ अप्रेल, १९५३ से ३१ अक्टूबर, १९५३ तक इन चक्कियों को ४ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी जाती थी। इसके पश्चात् पवॉर हाउस के इन्जनों की दशा बहुत नाजुक होने के कारण बिजली बन्द कर दी गयी।

(ग) चक्की के कन्ज्यूमर्स में इनर्जी चार्जेज तथा मीटर का किराया लिया जाता है।

(घ) हां। जैसे मीटर का किराया।

(ङ) मीटर सरकारी होने के नाते, नियमनुसार इसका किराया वसूल किया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—कन्ज्यूमर्स को पॉवर न देने हालत में भी चार्जेज वसूल क्यों किये जाते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जब तक मीटर लगा हुआ है चार्जेज देने पड़ेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मीटर चार्जेज के अलावा प्रति हॉर्स पॉवर के हिसाब से कोई टेक्स की रकम वसूल की जाती है चक्कियों को पावर न देते हुए भी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—पावर हाउस की असमर्थता की वजह से चक्कियों को पावर नहीं दिया जाता है उस हालत में मीटर रेन्ट जो उन से वसूल किया जाता है, इसतरह का सिलसिला कहीं दूसरे पॉवर हाउस में भी है क्या?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरा ख्याल है जहां सरकार द्वारा मीटर लगाया हुआ है, वहां सब जगह किराया लिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—इन चक्कियों को सरकार रेगुलर पॉवर देने की व्यवस्था कब तक करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किशनगढ़ के पॉवर हाउस की हालत नाजुक है। उस को रिहेबिलिटेट करने की सरकार की योजना है, वहां दो इन्जन १०० होर्स पॉवर लगाने से वहां की स्थिति में सुधार हो जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि किशनगढ़ पॉवर हाउस को रिहेबिलिटेट करना है तो वहां की हालत नाजुक कैसे है। नाजुक से माननीय मंत्रीजी का क्या मतलब है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कमजोर हो जाती है, नाजुक होजाती है इसलिये रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है।

श्री मानसिंह महार—क्या राजस्थान के बिजली विभाग की दशा भी नाजुक है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जवाब नहीं दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—जब किशनगढ़ पॉवर हाउस चक्कियों को पॉवर देने में असमर्थ था तो पावर कनेक्शन देकर उन चक्की वालों के रुपये बरबाद क्यों करवाये गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल - व्यर्थ में बरबाद नहीं कराये गये बल्कि उससे वे लोग कमाते रहे हैं, बाद में पॉवर हाउस की स्थिति खराब हुई थी। जब कनेक्शन दिये गये थे उस समय यह पता नहीं था कि बाद में स्थिति खराब हो जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या पॉवर कनेक्शन बहुत वर्ष पहले दिया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कुछ वर्ष पहले दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—कितने वर्ष पहले दिया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास ठीक तारीख तो नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या पॉवर कनेक्शन सन् १९५२ में दिये गये थे और चक्कियों को कभी भी रेगुलर सप्लाई पॉवर की नहीं की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—चार घंटे तक रेगुल सप्लाई दी गई है।

श्री मानसिंह महार—पॉवर हाउस की दशा कब तक सुधर जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी योजना है कि दो एन्जिन लगने के बाद पॉवर हाउस की स्थिति सुधर जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या पॉवर कनेक्शन देते वक्त चक्की वालों को कह दिया गया था कि चार घन्टे से अधिक पॉवर सप्लाई नहीं किया जायेगा ?.

श्री टीकाराम पालीवाल—स्पष्ट रूप से कितने घंटे देने का वादा किया गया यह मुझे मालूम नहीं है। परन्तु यह बात अवश्य थी कि जितना पॉवर वे चाहेंगे उतना नहीं मिलेगा। उनको कुछ लिमिट में ही पॉवर मिल सकता है, ऐसा कहा गया था।

श्री चांदमल मेहता—यह जो कुछ दिया गया वह क्या लिखित में या रेकर्ड में मौजूद है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पॉवर हाउस की जिस प्रकार की स्थिति थी उसी प्रकार वादा किया गया होगा, उसमें लिखित रूप में देने की आवश्यकता नहीं थी।

प्रश्न संख्या १६०४

किशनगढ़ सब डिविजन में तालाबों की फीडर पर मिट्टी डालना

श्री अध्यक्ष—It is high time that these मिट्टी matters are ended. There are so many questions over the मिट्टी affair.

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—It Will not end so long as the Hon'ble Members are there...

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में पिछले २ वर्ष में किस किस तालाब की फीडर पर मिट्टी डलाई गई ?

(ख) उक्त तालाबों में से ऐसे कितने फीडर हैं, जिन पर भीतर और बाहिर दोनों तरफ से मिट्टी डलाई गई ?

(ग) ऐसे कितने फीडर हैं जिन पर सिर्फ बाहिर से मिट्टी डलाई गई है ?

(घ) भीतर और बाहर से मिट्टी डालने की रेट क्या २ है ?

(ङ) बाहर से मिट्टी डालने के लिये किस किस तालाब की फीडर के लिये किस किस एक्सपर्ट ने सलाह दी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—(क) निम्नलिखित तालाबों पर मिट्टी डाली गई ।

१६५२-५३.

मदनसागर, जय सागर, हनुमान सागर, खातोलाई, धोबीघाटा, भवानीसागर, धान सागर, टीकावारिया, सातोलाव, राजसमन्द, गुन्दोलाव, विजयसागर ।

१६५३-५४.

तालाब राजसमन्द, कुचील बन्ध, मदनसागर, गुन्डोलाव, धोबीघाटा, खातोलाई, परबत सागर, केरावाला, टीकावारिया, गुन्दोलाव, धानीवाली, जय सागर, रानसमन्द ।

(ख) अन्दर और बाहर की मिट्टी का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता, क्योंकि अन्दर और बाहर की मिट्टी का एक ही निर्ख है, सिर्फ अन्दर सिल्ट निकालने का कुछ कम निर्ख दिया जाता है।

(घ) सिर्फ सिल्ट की रेट १६ रु० प्रतिहजार घनफुट है और बाकी मिट्टी डालने की रेट अन्दर व बाहर से २० रु० प्रतिहजार घनफुट है जो दोनों के लिये समान है ।

(ङ) मिट्टी कहां से ली जाय, इसका निर्णय सिंचाई विभाग के कर्मचारी करते हैं, किसी और एक्सपर्ट की राय की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री चांदमल मेहता—बीस रुपये की जो रेट है वह तालाब से बाहर की मिट्टी डालने की है या अन्दर से लाकर डालने की ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप सुनते नहीं पूरी बात और फिर....

श्री चांदमल मेहता—पूरी बात सुनी है मैंने ।

श्री टीकाराम पालीवाल—बाहर से और अन्दर से रेट एक ही है । सिल्ट की अगर बात आई तो अन्तर पड़ जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या तालाब के बाहर से मिट्टी डालने के लिए बीस रुपया और अन्दर से डालने के लिए १६) रुपया रेट माननीय मन्त्री महोदय ने इस सदन में बताई है ?

श्री अध्यक्ष—अभी बताई है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—आप पूरा सुना करिये । सिल्ट निकालने के लिए १६) की रेट है ।

Page No.6

श्री चांदमल मेहता—बीस रुपया कितनी दूरी से डालने की रेट है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बिल्कुल नजदीक से ।

श्री चांदमल मेहता—तो जिन तालाबों पर बीस रुपया की रेट से मिट्टी डाली गई है इसका क्या कारण ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बताया कि बीस रुपया की रेट है इसलिए बीस रुपया में डलवाई गई ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि इस सदन में टीकावारिया के तालाब के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में यह फरमाया था कि पहले एक्सपर्ट द्वारा जांच की जाती है फिर वह मिट्टी बाहर से या अन्दर से डलवाई जाती है और अगर अलग से प्रश्न पूछा जावेगा तो जवाब दिया जावेगा कि किन तालाबों पर २०) रु० की रेट पर मिट्टी डलवाई गई और किन पर १६) की रेट से । तो इस तालाब पर एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं, कृपा करके उनके नाम बताइये ।

श्री टीकाराम पालीवाल—आम तौर पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर राय देते हैं और ऐसे कामों में असिस्टेन्ट इन्जीनियर भी राय दे देते हैं । एक्सपर्ट के लिए अभी तक ऐसे मामलों में सवाल नहीं आया ।

श्री चांदमल मेहता—आपने उस वक्त फरमाया था कि अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दिया जावेगा । तो आप बताइये कि किस किस एक्सपर्ट ने राय दी इसमें ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर (ङ) में है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—विभागीय व्यक्ति ही वह एक्सपर्ट है ।

श्री चांदमल मेहता—विभागीय व्यक्ति से मतलब आपका ओवरसीयर से है, सब डिविज़नल इन्जीनियर से है, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से है या किससे है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अपने अपने स्थान पर ओवरसीयर से लेकर चीफ इन्जीनियर तक एक्सपर्ट हैं ।

श्री चांदमल मेहता—जो काम सोलह रुपये की रेट में मिट्टी डलाने का हो सकता था बीस रुपये के मुकाबले में, वह ज्यादा रेट पर मिट्टी डलाने के लिए कौन व्यक्ति है जो इस तरह की राय दे सकता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ओवरसीयर भी देता है और दूसरे असिस्टेन्ट इन्जीनियर भी देते हैं और इसको मन्जूर करना एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर का काम है ।

श्री चांदमल मेहता—इस तालाब पर २०) की रेट से मिट्टी डलवाने के सम्बन्ध में क्या एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की स्वीकृति हो चुकी है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री चांदमल मेहता—तो ऐसे मामले जिनमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की स्वीकृति नहीं हुई, क्या इसके सम्बन्ध में जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं कह नहीं सकता कि इस सम्बन्ध में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की स्वीकृति ली गई या नहीं ली गई । अगर जरूरत समझी गई होगी तो जरूर ली गई होगी, वरना ऐसे ऐसे छोटे मोटे मिट्टी के कामों में असिस्टेन्ट इन्जीनियर वगैरह से ही काम चल सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—एक ओर तो यह बताया गया कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति देते हैं और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि स्वीकृति ली गई या नहीं यह कोई खास जरूरी नहीं । क्या आप इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं कि आपने ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिए १६) के स्थान पर २०) रुपये की रेट ठेकेदार को दिला दी और इस तरह से सरकार का नुकसान करवाया गया है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह जनरल इन्सिन्युएशन है । जब तक इस सम्बन्ध में कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स आप नहीं बताएंगे तब तक ऐसी कोई बात पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री खेतसिंह—क्या मन्त्री महोदय किशनगढ़ सब डिविजन के तालाबों की मिट्टी को, तालाबों के फीडर आदि को और ऐसी ही दूसरी अनेकों समस्याओं को देखते हुए वहां पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का हैड क्वार्टर मुकर्रर करने के लिये विचार करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं । किशनगढ़ का इतना महत्व नहीं है ।

श्री खेतसिंह—सब डिविजन पर...

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज । नेक्स्ट ।

श्री चांदमल मेहता—किन किन स्थानों का माननीय मन्त्री महोदय महत्व मानते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं, पर किशनगढ़ का इतना महत्व नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या सवाई माधोपुर महत्वपूर्ण स्थान है ?

(हियर, हियर की आवाज)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १९०५

राजस्थान के गृह उद्योगों को शासकीय सहायता

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कब कब सरकार द्वारा कितने कितने रुपये सहायतार्थ दिये गये ?

(ख) उक्त उद्योग में से अभी कितने चालू हैं और कितने बन्द हैं ?

(ग) उक्त उद्योगों में क्या क्या सामान तैयार किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान निर्माण के बाद जिन जिन घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा रुपये सहायतार्थ दिये गये उनकी सूची इस प्रकार है :—

	४९-५०	५०-५१	५१-५२	५२-५३	५३-५४
(१) चांद शिल्पशाला, जयपुर।	५०००)	७०००)	७०००)	७०००)	७०००)
(२) लक्ष्मीनाथ शिल्प विद्यालय, फतहपुर।	६००)	६००)	६००)	६००)	६००)
(३) ताड़गुड़ इन्डस्ट्री।	२२,०००)	२२,०००)	२२,०००)	२२,०००)	२२,०००)
(४) खादी भंडार, गोविन्दगढ़।	...	....	...	...	२५,०००)
(५) खादी भंडार, धर्जपुर।	...	...	....	...	१०,०००)
(६) खादी भंडार, बासंवाड़ा।	...	....	...	....	५,०००)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोटाराम चौधरी।

श्री चांदमल मेहता—अभी उत्तर और बाकी है साहब।

श्री जयनारायण व्यास—(ख) सब धन्धे चल रहे हैं।

(ग) चांद शिल्प शाला, जयपुर तथा लक्ष्मी शिल्प शाला में तैयार शुदा कपड़ा, कशीदे की बुनाई, निवार, गलीचे, चद्दर, टावल्स पाम गुड इन्डस्ट्रीज़ में ताड़ के दरख्तों से नीरा निकाल फिर गुड बनाना, खादी डवलपमेंट में हाथ से कते हुए सूत से खादी के कपड़े तैयार करना।

श्री मानसिंह—राजस्थान में साल भर में कितना ताड़गुड बनाया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है। आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दिया जा सकेगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—यह खादी भण्डार को २५ हजार रुपये दिये गये वे लोन के रूप में हैं या कैसे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—गोविन्दगढ़ खादी उद्योग केन्द्र को २५ हजार रुपये दिये गये थे वे सबसिडी के रूप में दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री मोटाराम।

प्रश्न संख्या १६०६

तहसील सिवाने के पशु चिकित्सालयों से फीस लेकर टीके देना

श्री मोटाराम चौधरी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सिवाना के मवेशियों के शफाखाने की तरफ से सांडियें, व दीगर मवेशियों की बीमारी में जो टीके लगाये गये थे वे सरकार की तरफ से थे अथवा फी टीका के ५) व १०) मवेशियों के मालिकों से लेकर लगाने का हुक्म था ?

(ख) सन् १६५२-५३ और १६५३ व ५४ में कितनी सांडियों व मवेशियों के टीके लगाये गये ?

(ग) वहां के डाक्टर ने सन् १६५२ व ५३ और १६५३ व ५४ में किन किन गांवों में किस किस तारीख को दौरा करके कितने मवेशियों का इलाज कितने कितने रुपये फीस के लेकर किया ?

(घ) अगर फीस लेने का सरकारी हुक्म नहीं था तो सरकार जिन जिन मवेशियों के इलाज के लिए आज्ञा दर्ज है, उनके मालिकों से इस विषय की जांच करायेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) भारत सरकार की तरफ से।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) ठीक नम्बर मालूम नहीं।

(ग) फीस लेकर किसी भी गांव में टीके नहीं लगाये गये।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोटाराम—आपने जो फरमाया कि किसी के टीका फीस लेकर नहीं लगाया गया; सन् ५२-५३-५४ में सिवाना के अस्पताल में हजारों की तादाद में टीके लगाये गये और उनमें पांच रुपये ६) रुपये और सात रुपये तक फी मवेशी फीस चार्ज की गई और जिन जिन के टीके लगाये गये उनके नाम वगैरह सब दर्ज हैं। उनका रिकॉर्ड है और आप कहते हैं कि एक को भी नहीं लगाये गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने यह तो अर्ज किया है कि टीके लगाये गये। इससे मैं कब इन्कार करता हूं। पर फीस लेने की आज्ञा सरकार की तरफ से नहीं थी। आप कहते हैं कि फीस ली गई तो उन गांवों के नाम आप मुझे बतादें। उस पर से मैं जानकारी प्राप्त करके बाद में अर्ज कर सकता हूं।

श्री मोटाराम—आपने फरमाया कि गांवों की और नामों की लिस्ट दूं। यह तो मैंने अभी कहा कि यह सब तो वहां के रेकॉर्ड में दर्ज है कि किस के किस किस गांव के मवेशियों को टीके लगाये गये, मालिकों के नाम भी लिखे गये हैं। आप वहां से ही मालूम कर लें कि उनसे टीका लगाते समय रुपया लिया गया कि नहीं लिया गया? रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। उन्हीं में से चार, पांच या जितनों को आप जरूरी समझें पूछ लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—टीका लगाने और उनके नाम दर्ज करने से मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यस, नेक्स्ट। श्री चांदमल मेहता। नं० १९०७।

४१ प्रश्न सं० १९०७

ग्राम चोकड़ी तहसील ईसरदा (जिला सवाई माधोपुर में) हरिजनों को बेदखल करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि ग्राम चौकड़ी तहसील ईसरदा (जिला सवाई माधोपुर) के हरिजनों को बेदखल किया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को बेदखल किया गया है उनके पास पट्टा व पर्चे आदि भी हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के मीणों ने पंचायत करके हरिजनों को बेदखल करने एवं उन्हें गांव से निकालने के लिए तय किया है ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इस सम्बन्ध में मुकद्दमा सबजुडिस है इसलिए इस सम्बन्ध में विचार करना उचित नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या फरमाया सुना नहीं ?

श्री अध्यक्ष—विचाराधीन है अदालत के।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इसका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—प्रश्नसंख्या १९०६।

(हंसी)

कई आवाजें—१६०८।

श्री टीकाराम पालीवाल—६ का जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष—८ शायद आप नहीं पूछना चाहते हों तो ६ का जवाब दे दिया जाय।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—११०८।

एक माननीय सदस्य—आज चश्मा भूल आये हैं।

प्रश्न संख्या १९०८

पञ्चवर्षीय योजना में गंगापुर से हिन्डोन, लालसोट व करौली सड़क का निर्माण कार्य

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या निर्माण-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

पंचवर्षीय योजना में गंगापुर से हिन्डौन, लालसोट व करौली में कौन कौन सी मील तक की सड़कें बन कर तैयार हो चुकी हैं ? उनका कार्य कब पूरा हुआ और कितना रुपया प्रत्येक पर खर्च किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—गंगापुर से हिन्डोन सड़क–इस सड़क का ५ मील से १२ मील तक, और १४ से १७ मील तक का कार्य पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। १४ मील से १७ मील तक का कार्य पिछले वर्ष समाप्त हो चुका है तथा ५ मील से ९ मील, एवं १२ मील का कार्य भी पूरा हो चुका है। १० और ११ मील का कार्य चल रहा है। इस समय तक इस कार्य पर १,६७,७३१) रु० व्यय हो चुके हैं।

गंगापुर से लालसोट–इस सड़क का ६ से ९ मील तक का कार्य पंचवर्षीय योजना में है जिसमें से ९ वें मील के ६ फर्लांग पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य चालू है। अब तक इस पर ५२,४००) रू० व्यय हो चुके हैं।

गंगापुर से करौली–इस सड़क का कार्य पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना में सड़कें आगे से बनती हैं और पीछे से खराब होती जाती हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता।

श्री मानसिंह महार—यह जो नई सड़कें बन रही हैं कितनी टूट गई हैं अब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नई तो बहुत सी सड़कें बन रही हैं। किसी खास सड़क के बारे में पूछें तो जवाब दूं।

श्री मानसिंह महार—जिन सड़कों के बारे में अभी कहा कि ६ मील का टुकडा बन रहा है और दूसरा ६ फर्लांग का। तो इनमें से कितनी अच्छी हालत में हैं और कितनी इस वारिश में टूट गई हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सभी अच्छी हालत में हैं।

Page No.13

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या मोटरें चल सकती हैं अभी भी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां, मोटरें चल सकती हैं और मोटर चलाने वाले भी चल सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—खड्डे जरूर हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, अगेन श्री रिद्धिचन्द।

प्रश्न संख्या १६०६

गंगापुर से नादोती सड़क का निर्माण कार्य ठीक तरह से न करना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गंगापुर से नादोती बनने वाली सड़क में सोलिंग व रोड़ी ठेके की शरायत के अनुसार नहीं लगाई जा रहीं है व पत्थर बिना टूटे हुए टोडे की शक्ल में ही सोलिंग किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार जांच के लिए किसी उच्चाधिकारी को भेजने के लिए तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मंत्री)—गंगापुर से नादोती बनने वाली सड़क पर सोलिंग व रोडी ठेके की शरायत के अनुसार ही लगाई जा रही है। सोलिंग खानों से निकाले हुए पत्थर को तोड़कर ही किया जा रहा है न कि पत्थर बिना टूटे रोड़े की शक्ल से। यह जरूर है कि सड़क के बीच में और किनारों पर बड़े पत्थर लगाये गये थे जो कायदे के माफिक है जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस बारे में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से पहले ही जांच करवा ली गई है और यदि आवश्यकता पड़ी तो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को पुन इसकी जांच के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम।

प्रश्न संख्या १६१०

बामसीण जागीरदार द्वारा सं० २०१० की उनालू फसल के लाटे सेटिलमेंट के परचे वितरित होने के बाद भी लाट लेना

श्री मोटाराम—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] क्या यह सही है कि बामसीण का जागीरदार खीवसिंह संवत् २०१० के उनालू फसल के लाटे सेटिलमेंट के लगान के परचे तकसीम होने पर भी लाट कर ले गया ?

[श्री मोटाराम]

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस थाना समदड़ी में इस बारे में फौजदारी मुकद्दमा दायर किया गया ?

(ग) अगर मुकद्दमा दायर किया गया तो इसका नतीजा क्या रहा ?

(घ) क्या यह सही है कि इसी मुकद्दमें के दौराने तफतीश बामसीण का जागीरदार सिवाणा के सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट को बामसीण गांव में ले गया व तीन दिन अपना मेहमान रखकर उसने किसानों को डरा धमका कर दफा १६४ सी. आर. पी. सी. के बयान करवाये और पुलिस के मुकदमें को बिगाड़ा ?

(ङ) क्या सरकार इस बात की जांच करने को तैयार हैं कि तहसीलदार महोदय ने जागीरदार से नाजायज फायदा उठाकर जो गलत तरीके से दफा १६४ सी. आर. पी. सी. के बयान लिये उससे सरकार का यह मुकदमा खराब हुआ और गुनहगार को सजा नहीं मिल सकी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) इस अभियोग की सूचना पुलिस थाने में नवला द्वारा दी गई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में भारतीय दंड विधान-संहिता का धारा ३९२ के अन्तर्गत अभियोग कायम किया गया है ।

(ग) इस अभियोग को अदम वकुए की रिपोर्ट के साथ बन्द किया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोटाराम—अभी श्रीमान् ने फरमाया कि वह अदम वकुए में बन्द कर दिया गया है तो सबसे पहले रिपोर्ट तहसीलदार ने रिपोर्ट पुलिस थाने में दे दी और पुलिस ने बाकायदा जांच की और जांच करने पर तहसीलदार ने समझौता करवाया और समझौता जबरदस्तो करवाने के बाद वह खारिज किया गया है । वे काश्तकार आज यहां मौजूद हैं । आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रश्न के उत्तर में काश्तकारों को उत्तर देने का अधिकार नहीं दिया जाता । चाहे दबाब में हो, चाहे किसी कारण से हो काश्तकारों से कोई समझौता करा लिया गया है और काश्तकार कहते हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं है तो सिवाय अदम वकुए के पुलिस और क्या करेगी ?

श्री मोटाराम—आपने फरमाया कि समझौता करा लिया, फिर वह चाहे फरजी था। समझौता करने वाले यहां मौजूद हैं उनसे पूछ लिया जाय। यह उनके यहां आने के तीन दिन पहले ही लिखा गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री जयनारायण व्यास—अगर समझौता नहीं हुआ है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आवेदन पत्र भेजकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जांच करवानी चाहिये, क्योंकि यह मामला जहां तक समझौते का ताल्लुक है पुलिस के सामने समझौते के रूप में आया है और अगर समझौता नहीं हुआ है और तहसीलदार ने शरारत करके समझौते का रूप दे दिया है तो इसके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा जा सकता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जांच करेगा।

श्री मोटाराम—आपने फरमाया सो ठीक है, लेकिन यह जागीरदार का बड़ा जुल्म है और लोग पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। उनको गांव से निकाल दिया गया है। उनके घोड़े और ऊंट इधर उधर फिर रहे हैं। वह अब तक पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं और यह अत्याचार हो रहा है। मिनख मर रहे हैं। वे कहने वाले यहां मौजूद हैं... पुलिस वालों .....से भी घबराये हुए हैं।

श्री जयनारायण व्यास—इसके बारे में माननीय सदस्य रेवेन्यू विभाग में आवेदन पत्र दें और तहसीलदार ने कोई गड़बड़ करके मामले को झूठा सामने रखा है तो वह जांच करेंगे। य मैंने पहले भी कहा है और दुबारा भी यही कहता हूं।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता और ठाकुर के दरमियान में वक्त इलेक्शन के बाद से काफी नाइत्तफाकी है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६११

ग्राम बचारस, भराणा, मजरा, मोयनाबाद के हरिजनों को सवर्णों द्वारा बेदखल करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि ग्राम बचारस, भराणा, मजरा, मोयनाबाद के हरिजनों को वहां के सवर्ण लोगों ने उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन हरिजन वर्षों से काश्त करते आये हैं और उनके पास पट्टे व पर्चे भी हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) उक्त मामला कब से सरकार के विचाराधीन है और उस पर अभी तक फैसला नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—चूंकि प्रश्न में जिन गांवों के बारे में सूचना पूछी गई है वह किस तहसील, किस जिले में हैं यह नहीं बताया गया है इसलिए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना नामुमकिन सा हो गया है।

श्री चांदमल मेहता—ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री चांदमल मेहता—१९११।

(हंसी)

कई आवाजें—१९११ हो गया।

श्री चांदमल मेहता—१६१२।

प्रश्न संख्या १६१२

राजस्थान में कुलड़ी की लाग हरिजनों से लतीफगंज (टोंक) में

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कुलडी की लाग राजस्थान में कहां कहां ली जाती है और किन किन से ली जाती है ?

(ख) क्या यह सही है कि जिला टोंक के ग्राम लतीफगंज में हरिजनों से रू० ७।) के कुलडी के वसूल किये जाते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के हरिजनों द्वारा उक्त लगान न देने पर मार्च, सन् ५४ में तहसीलदार ने चार दिन तक हरिजनों को हवालात में बन्द रखा ?

(घ) इस सम्बन्ध में कलक्टर जयपुर और कमिश्नर के पास कितने प्रार्थना पत्र हरिजनों की तरफ से पेश किये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

Page No.17

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) राजस्थान में अब कहीं कुलडी की लाग नहीं ली जाती है।

(ख) मौजा लतीफगंज में ७।) रु० टौंक रियासत के समय के बकाया थे वह जरूर वसूल किये गये।

(ग) जी नहीं।

(घ) अभी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री धर्मपाल—यह कुलडो है या कुरडी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह प्रश्न में लिखा हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो लाग वसूल की गई हैं वह सिर्फ हरिजनों से वसूल की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि पहले रियासत के समय की जो बकाया थी वह वसूल की गई; बाकी कोई वसूल नहीं की गई है।

श्री चांदमल मेहता—यह कितने वर्ष तक की पुरानी बकाया हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह कितने वर्ष की पुरानी बकया है यह ठीक तौर से याद नहीं, लेकिन शायद राजस्थान बनने से पहले की है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार राजस्थान बनने से पहले कितने वर्षों तक का बकायावसल करने का विचार रखती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार को तो जो बकाया है उसके वसूल करने का अधिकार है, चाहे कितने ही वर्षों तक की हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई मियाद मुकर्रर है कि इतने वर्षों तक का बाकया वसल किया जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार के लिये कोई लिमिटेशन नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि कितने वर्षों तक का बकाया वसूल करना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह कुलडी नाम का टैक्स किस बात का होता है ?

श्री अध्यक्ष—यह चांदमलजी से पूछियेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह प्रश्नकर्ता से पूछियेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री माधोलाल खानपुरिया।

प्रश्न संख्या १६१३

मांगरोल सुरथाग रोड पर मऊ व खानपुरिया के बीच के नाले पर बांध बधवाना

श्री माधोलाल खानपुरिया—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार मांगरोल सुरथाग रोड पर मऊ व खानपुरिया के बीच में जो एक बड़ा नाला पड़ता है उस पर बांध बनवाने का विचार रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—हां, इस कार्य को कराने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री लालबहादुर।

प्रश्न सं० १६१४

गोपालपुर तह० किशनगंज में तालाब बनाने की सर्वे

श्री लालबहादुर—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या एस. डी. ओ बारां, सिंचाई डिपार्टमेन्ट ने गोपालपुरा तहसील किशनगंज जिला कोटा में एक तालाब बनाने की सर्वे कराई थी ?

(ख) यदि कराई थी तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(ग) यदि सर्वे अभी तक नहीं हुई है तो कब तक होने की आशा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—इस प्रश्न सम्बन्धी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हरिकृष्ण व्यास।

प्रश्न संख्या १६१५

लाडनू में पिछले तीन माह में चोरियें

Q. No. 1915, Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—आप जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री जयनारायण व्यास—जी हां।

Will the Minister for home be pleased to answer:--

(a) How many thefts took place in Ladnu during the last three months and what was the total value involved?

(b) Has the police succeeded in tracing the thieves involved in these thefts?

(c) What is the value of goods and materials recovered?

(d) Will the Government conduct on enquiry and find out the cause?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) गत तीन महीनों में लाडनू में ४ चोरियां हुई तथा चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य २४,१६१) रु० है।

(ख) एक मामले की खोज की जा कर चालान किया जा चुका है। बाकी मामलों में खोज जारी है।

(ग) उपरोक्त एक मामले में ८२) रु० में से ६४) रु० प्राप्त हो चुके हैं।

(घ) प्रश्न नही उठता, क्यों कि चोरी के मामलों की खोज में कभी कभी देर लगती भी है।

प्रश्न संख्या १६१६

उदयपुर की काश्त की भूमि पर की जाने वाली खेती

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा

Page No.20

[श्री लक्ष्मण हीरात]

(क) उदयपुर जिले में काश्त के योग्य भूमि कितनी है और उसमें कुल कितनी भूमि पर खेती की जा रही है ?

(ख) जो पड़त भूमि है उसको देने के बारे में सरकार क्या सोचती है ?

(ग) सन् १६५३-५४ में कितनी भूमि में काश्त हुई और कितना लगान प्राप्त हुआ ?

(घ) क्या सरकार को यह मालूम है कि कई जगह परचियां अब तक नहीं दी गई हैं जिससे किसानों को लगान देने में बड़ी कठिनाई हो रही है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मन्त्री)— (क) उदयपुर जिले में काश्त योग्य कुल १०, १२, ६६८ एकड़ भूमि है उसमें से ५, ०२, ५१० एकड़ भूमि पर बराबर काश्त होती है।

(ख) काश्त की भूमि नियमानुसार वितरण की जाती है।

(ग) सन् ५३-५४ से ७, ३४, ४५५ एकड़ भूमि में काश्त की जा रही है जिसके लगान के ७, ५६, ६०७) रु० व जागीर का १४, ४८, ३२२) रु०, कुल २२, ०६, ३०६) रुपये प्राप्त हुए हैं।

(घ) जहां पर परचे नहीं बांटे गये हैं, वहां पुराने अमल के अनुसार लगान लिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या १९१७

जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् बनेड़ा का तालाब उदयसागर सरकार के अधिकार में लेने सम्बन्धी

श्री **कस्तूर चन्द**—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जागीर एबोलिशन के बाद जिला भीलवाड़ा तहसील बनेड़ा का तालाब उदयसागर सरकार के अधिकार में आया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तालाब की पाल अभी तक ठिकाना बनेड़ा के अधिकार में ही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) तहसील बनेड़ा का उदयसागर तालाब सरकार के अधिकार में आ गया है।

(ख) तालाब के साथ पाल भी सरकार की ही है लेकिन उस सम्बन्ध में जागीरदार का ऐतराज है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि तालाब के पाल के ऊपर जो घास और लकड़ी है वह सरकार की है या जागीरदार की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यही तो प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जो मामला सरकार के विचाराधीन है उसका निर्णय होने से पहले यदि घास और लकड़ी ठिकाना बनेड़ा ले लेगा तो सरकार क्या करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसके लिए गवर्नमेंट के पास बहुतेरे तरीके हैं। गवर्नमेंट उसके लिए कार्यवाही कर सकती है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या यह सही है कि जब जागीर एबोलिश हो गई है और इस कारण से तालाब सरकार ने ले लिया है तो फिर तालाब के पाल का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रखने की क्या बात है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनकी तरफ से पाल का उनके खुद के कब्जे में होना कहा गया है इसलिए निर्णय देने से पहले विचार करना होगा।

श्री कस्तूरचन्द—क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि तालाब जब सरकार का हो गया है तो फिर विचाराधीन पाल क्यों रखी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—तालाब जब गवर्नमेंट का है तो पाल को विचाराधीन रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यही मैंने भी अर्ज किया था। तालाब की पाल के घास वगैरा के लिये एतराज आया था, वह प्रश्न गवर्नमेंट के विचाराधीन है। कुछ जमीन खुदकाश्त में घास है। इन सब बातों को देखना पड़ेगा।

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जब तक यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तब तक के लिये गवर्नमेंट उस पाल को कुर्क क्यों नहीं करती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया —गवर्नमेन्ट ऐसी छोटी चीजों को कुर्क करती नहीं फिरती वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या १६१८

तालाब गंडा (त० किशनगंज) की सिंचाई करने की कैपेसिटी

श्री लालबहादुर—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तालाब गंडा तहसील किशनगंज की कैपेसिटी कितनी सिंचाई करने की है ? और पूरी सिंचाई होती है या नहीं ?

(ख) अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती और क्या सरकार उसके लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

प्रश्न संख्या १९१९

बारां-शाहबाद सड़क से रामगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की कराने हेतु सर्वे

श्री लालबहादुर—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बारां-शाहबाद सड़क से जो कच्ची सड़क रामगढ़ को जाती है उसको पक्की बनाने के वास्ते कोई सर्वे कराई गई थी ?

(ख) क्या इस सड़क पर बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है कि रास्ता बंद हो जाता है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसको पक्की बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मंत्री)—(क) इस सड़क को ठीक बनाने के लिये अभी तक सर्वे नहीं कराई गई, और न अभी सर्वे की आवश्यकता ही है।

(ख) हां; इस सड़क पर बरसात में ज्यादा कीचड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ रास्ता बंद हो जाता है।

(ग) इस सड़क को पक्का बनाने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या १६२०

रेबारपुरा डकैती से ग्राम निवासियों को हानि

श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार रेबारपुरा डकैती का पता लगा सकी है ?

(ख) अगर नहीं, तो अभी तक इस ओर क्या प्रगति हुई है ?

(ग) गांव वालों को कितना माली नुकसान हुआ है ? क्या पुलिस अभी तक माल को बरामद नहीं कर सकी है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)(—क) जी हां। इस डकैती का पता लग गया है।

(ख) ६ डाकुओं में से २ गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी ३ अभी तक फरार हैं। मामला जेर अदालत है।

(ग) गांव वालों को ३, ४७५) रु. का माली नुकसान हुआ जिसमें से १२८०) रु. का माल बराबद हो चुका है।

श्री केसरीसिंह—इस डकैती के डाकू किस इलाके के हैं, क्या इसका पता चला है ?

श्री जयनारायण व्यास—सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—लोकेशन हुआ है क्या ?

श्री जयनारायण व्यास—पूरी तरह से नहीं कह सकता लेकिन मालूम हुआ है कि लोकल गैंग था। मशहूर डाकूओं का गैंग नहीं है।

एक माननीय सदस्य—बूंदी के ही हैं।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १६२१

जिला झालावाड़ में काश्तकार फण्ड के नाम से रियासती जमाने की जमाशुदा रकम

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला झालावाड़ में काश्तकार फंड के नाम से रियासती जमाने की कितनी रकम डिपोजिट पड़ी हुई है ?

[श्री भगवानसिंह तरंगी]

(ख) क्या यह सही है कि इस रकम के सदुपयोग के लिये योजना बनाई गई थी ?

(ग) यह योजना अभी तक क्यों नहीं कर्यान्वित की गई ?

(घ) क्या अब इसको शीघ्र ही उचित व्यवस्था की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(क) काश्तकार फंड में २,८३, १७, ६) रु० जमा थे।

(ख) जी हां।

(ग) इस संबंध में कमिश्नर, कोटा द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और योजना को अब चालू किया जा रहा है।

(घ) जी हां।

श्री कंवरलाल जेलिया—योजना का क्या सदुपयोग होगा; सरकार इसका खुलासा कर दे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—योजना के डिटेल्स इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन काश्तकारों के हित के लिये गांवों में जहां जरूरत होगी वहां खर्च किया जायगा।

श्री लालबहादुर—क्या यह लाग अब भी वसूल की जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सुनाई नहीं दिया।

श्री लालबहादुर—क्या काश्तकार फंड के नाम से रकम अब भी वसूल की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा ख्याल है कि अब वसूल नहीं की जा रही है, लेकिन ठीक सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं सरकार का ध्यान दो छोटे छोटे मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनका उत्तर देने में देर नहीं लगेगी, वह यह है कि काश्तकारों को स्थायी सहायता पहुँचाने के लिये कौनसी सुविधा उनको दी जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य इस में रूचि रखते हैं, इसलिये यदि वे चाहें तो मैं उनके पास योजना की कॉपी भेज दूंगा।

प्रश्न संख्या १६२२

जिला जैसलमेर के व्यापारियों के रसद विभाग में पचास हजार रुपये

श्री हनवन्तसिंह—क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के व्यापारियों के ५०,०००) रु० सन् १९४७ से रसद विभाग से लेने निकलते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उन्होंने सी. पी. सी. सेक्शन ८० के तहत सरकार को नोटिस दिये है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—सही नहीं है। केवल २७३१६ ॥=।॥ बाकी हैं ?

(ख) हां, कुछ व्यापारियों ने सरकार को नोटिस दिये हैं।

श्री हनवन्तसिंह—क्या सरकार उनको व्याज और वकील खर्च देने के लिये तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री भैरूं सिंह—सरकार की ओर से रकम उनको क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री भोगलाल पंड्या—इसलिये नहीं दी जा रही है कि ४७-४८ में रुपये भारत सरकार के पास जमा कराये गये थे। भारत सरकार ने निश्चित भाव से अनाज बेचने के लिये कहा था लेकिन व्यापारियों ने ज्यादा मुनाफा लेकर बेचा इसलिये जो मुनाफा ज्यादा लिया गया है वह वापिस भारत सरकार को दिया जायगा। इसलिये अकाउन्टेन्ट जनरल हिसाब की जांच करेंगे। जांच होने के बाद जितनी रकम भारत सरकार वापिस देने को कहेगी उतनी दे दी जायगी।

श्री हनवन्तसिंह—तो क्या वह रकम खर्चा वकील खर्चा तथा व्याज समेत देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—व्याज की बात तो बाद की है, पहले यह देखना है कि मूल में से भी उसको कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने अनाज की दर से ज्यादा पैसे लगाकर अनाज बेचा है, फैसला होने पर सोचा जायगा।

श्री हनवन्तसिंह—क्या आप पार्ट पेमेन्ट करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हिसाब तय होने पर सारा का सारा दे दिया जायगा। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है।

श्री तेजमल बापना—यह अनाज किस साल में बेचा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सन् ४७-४८ में ।

श्री तेजमल बापना—इतने अरसे तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई या मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब व्यापारियों को माल दिया गया था, भाव उसके कुछ समय बाद में तय हो कर आया था । जब व्यापारियों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पैसा वापिस देने के लिये तैयार हैं ।

श्री मानसिंह महार—क्या डूंगरपुर के व्यापारी भी इसमें शामिल हैं और उनकी भी रकम इसी तरह से बाकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या – जी हां, वहां के भी हैं और कुछ और स्थानों के भी हैं ।

एक माननीय सदस्य—क्या अधिक पैसा लेकर बेचना जुर्म था या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—स्थिति साफ करदी गई है । बेचने के भाव सेन्टर ने साथ ही साथ नहीं भेजे थे इसलिये उनको ज्यादा भाव से बेचने का मौका मिला ।

प्रश्न संख्या १६२३

जिला बूंदी में रस्म पटेलान १९४८ से १९५४ तक खालसा व जागीर इलाकों में

श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बूंदी में रसूम पटेलान किस हिसाब से दीजाती है ?

(ख) क्या सन् १९४८ से १९५४ तक खालसा व जागीर के इलाके के पटेलों की रसूम (फीस) पटेलाई बराबर दी जा रही है ?

(ग) तहसीलदार खालसा व जागीर की सालाना रसूम पटेलाई क्या होती हैं ?

(घ) सन् १९४८ से सन् १९५४ तक सालवार व तहसीलवार खालसे में कितनी रकम तकसीम की गई और जागीर में कितनी रकम तकसीम की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) जिला बूंदी में रसूम पटेलान आठ आना फी सैकड़ा के हिसाब से ली जाती है ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) जी हां।

(ग) तहसीलवार वार्षिक रकम इस प्रकार है :

बूंदी ३१२॥)

तलेरा ३६१॥।=)

पाटण ८२७)

नेनवा ८२८)

हिंडौली ३१६॥≈)

(घ) इसकी सूचना स्टेटमेंट में दी गई जो सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

महाराज श्री केसरी सिंह—स्टेटमेंट नहीं मिला है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं पढ़ दूं इसे ?

श्री अध्यक्ष—अब ले लीजियेगा।

महाराज श्री केसरी सिंह—अब मिल जायगा तो ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री बलवीर सिंह।

प्रश्न संख्या १६२४

सीकर, लछमनगढ़ तथा रामगढ़ की धान की दुकानों पर सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को बरखास्त करने के पश्चात् वेतन न मिलना

श्री बलवीर सिंह—Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer:—

(a) Is the Government aware of the fact that some muneems and chokidars (watchmen) were appointed by the Government for the grain shops of Sikar, Lachmangarh and Ramgarh before so many years ago and on the 15th of May they have been dismissed ?

(b) Is the Government aware of the fact that they have not been given their salaries ?

[श्री बलवीरसिंह]

(c) Is the Government thinking to pay them their salaries ? If so when and if not, why not ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(अ) हां यह सही है कि सीकर और लछमनगढ़ फतहपुर की सरकारी दुकानों पर नियुक्त एक एक मुनीम तथा एक एक चौकीदार को ता० १५-५-५४ तथा ३०-४-५४ क्रमश से पदमुक्त कर दिया गया है।

(ब) हां, इन्हें अभी तक क्रमश अपने कार्यकाल के अन्तिम डेढ़ मास तथा एक मास का वेतन नहीं मिला है।

(स) हां, इनके वेतन बिल अभी ऑडिट में हैं। ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति की जा रही है। जिस के पश्चात् इनका हिसाब देख कर वेतन के भुगतान की कार्यवाही बहुत शीघ्र की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—श्री अंगदराम शास्त्री !

[प्रश्न संख्या १६०१

आमेर तहसील के ठिकाने कब्जे में लेना तथा ठिकाने कर्मचारियों को काम दिलाना

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) आमेर तहसील में कितने ठिकाने अब तक गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में लिये हैं।

(ख) उनकी क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) क्या उनके वस्त्रों के दरवाजा बन्द करने वाले और खोलने वाले जमादारों की जगह नये जमादार रखे जा चुके हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं व वे अब कब तक रखे जायेंगे ?

(ङ) ठिकानों के गांवों में तालुकों के मकान जागीरदार की मिल्कियत समझी जाय गी या गवर्नमेंट की ?

[श्री अंगदराम शास्त्री]

(च) ठिकानों के भूतपूर्व कर्मचारियों की आजिविका का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

(छ) सामोद ठिकाने के इस समय कितने कर्मचारी बेरोजगार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) आमेर तहसील में अब तक १० जागीरें सरकार ने अपने अधिकार में ले ली हैं।

(ख) खालसा ग्रामों के अनुरूप ही इन जागीरी ग्रामों की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दरवाजों को बन्द करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ङ) जागीरी अधिनियम के अनुसार स्कूल और अस्पताल के मकानों को छोड़ कर सारे मकानात जागीरदार की मिल्कियत हैं।

(च) जागीर के कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने के नियम बन चुके हैं, जिनके अन्तर्गत उनके प्रार्थना पत्रों विचार किया जा रहा है।

(छ) इसकी सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री अंगदराम—क्या यह सही है कि पिछले दिनों में सामोद के दरवाजे को गांव वालों ने बन्द करवाया था और रात को किसी ने उसका ताला तोड़ दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास ऐसी सूचना आने का सवाल नहीं, इसकी तो पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिये।

श्री अंगदराम—इतनी बड़ी गलती दरवाजे के कांच टूटने की ठिकाने के एक बड़े गांव में हो गई और उसकी रिपोर्ट तक आपके पास नहीं आती !

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पटवारी की ड्यूटी में यह शामील नहीं रखा गया है कि वह ताले टूटने की रिपोर्ट रेवेन्यू मिनिस्टर के पास करे।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा यह ताला तुड़वाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं, फिर भी हमें ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि स्वायत शासन मंत्री कार द्वारा कहीं गये थे और वहां से रात को २ बजे सामोद पहुंचे थे और सामोद के शफाखाने के भंगी से ताला तुडवा कर आये थे ?

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री मानसिंह महार—सामोद ठिकाने के कितने कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने के लिये तय किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कलेक्टर को ठिकानों के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र लेने के अधिकार दिये गये हैं, उनके पास प्रार्थना-पत्र पहुंच गये हैं, वे उनको स्क्रुटिनी करके स्टेटमेंट गवर्नमेंट के पास भेज देंगे और फिर गवर्नमेंट उनसे तय करेगी कि कौन-कौन किस-किस जगह के लिये काबिल हैं और फिर उनको लिया जायगा।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह सही है कि ठिकाने के जो कर्मचारी थे उनको नौकरी से रिजम्पशन की कार्यवाही करते ही अलहदा कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

श्री भैरों सिंह—(च) में यह पूछा गया है साहब कि ठिकानें के कर्मचारियों की आजीविका का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री अंगदराम—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रबन्ध नहीं कराया जिससे चौमू में पानी में आदमी बह गये ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह चौमू की विशेषता है कि किस तरह बह गये, मेरे पास जानकारी नहीं है।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि सामोद ठिकाने के जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं उनको स्क्रुटिनाइज़ ऐसा किया है कि २५ में से केवल २ को लिया है और बाकी को डिस्चार्ज का नोटिस दे दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दरखास्तें इतनी अधिक हैं कि उतने स्थान नहीं हैं। हम उतनों को ही ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं जितनी कि जागीर रिजम्प्शन के बाद में पोस्ट्स क्रियेट होती हैं।

श्री भैरों सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रोपोरशन से सरकार इन जागीर के कर्मचारियों को लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि जागीर रिजम्प्शन के बाद जो नई पोस्ट्स क्रियेट की जाती हैं उनके स्थान पर वे उययुक्त हैं तो उनको लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जागीर रिजम्प्शन के बाद भी कितने ही जागीर एम्प्लोइज़ को न लिया जा कर दूसरों को और सरकारी कर्मचारियों को लिया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं बाहर से तो नहीं लिये जा रहे हैं जो सरकारी सर्विस में हैं उन्हें जरूर लिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह—जागीरों के मामले में क्या जागीरों के कर्मचारियों को राजकीय सेवा प्रिफेरेन्स दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सूटेबिलटी का खयाल करके किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह—जागीर के मामलों में जो पोस्ट्स क्रियेट रिजम्प्शन के बाद में हुई हैं वहां पहले ही अपोइन्टमेंट हो चुके हैं तो अब जागीरों के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिये जाने का तो सवाल ही पैदा नही होता, उनके लिये तो कोई स्थान ही रिक्त नहीं रहे हैं, क्यों कि जागीर विभाग में जितने एपोइन्टमेंट हुए हैं, सरकारी कर्मचारियों के हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। जब तक कि उपयुक्त व्यक्तियों का जागीर के कर्मचारियों में से चुनाव नहीं हो जाय, तब तक के लिये अभी दूसरे नहीं हैं इसलिये इनको एडजस्ट किया है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार इस बारे में कोई निश्चित आदेश जारी करेगी कि जब तक जागीरों के भूतपूर्व कर्मचारियों के एपोईन्टमेंट का मसला तय नहीं हो जाय तब तक के लिये गवर्नमेंट के विभागों में कोई नया एपोइन्टमेंट न हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोई नया एपोइन्टमेंट नहीं हुआ, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं को लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह—मैं बताऊं आपको कि पुलिस में अभी अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, रेल्वे पुलिस में अभी अभी रिक्रूटमेंट हुआ है।

श्री जयनारायण व्यास—पुलिस में पुलिस के लायक आदमी लिये जायंगे, रेवेन्यु के लायक नहीं।

श्री भैरोंसिंह—जो पुलिस में अच्छा काम कर सकते हैं उनको तो लिया जाना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—पहले जब जागीरों में जागीरी पुलिस रखी जाती थी और जो वे पॉवर्स लिये गये तो जागीरों की पुलिस को एब्जोर्ब किया गया था। पर अब इन लोगों को हैड कॉनिस्टेबल या सब इन्स्पेक्टरों में तो लेना मुश्किल है। फिर भी जो पुलिस में जाना चाहें तो इसके लिये एप्लाई करें जिस तरह की दूसरे लोग अर्जी देते हैं।

श्री भैरोंसिंह—उन लोगों की अर्जियां कलेक्टर्स के पास पड़ी हुई हैं, उनको पूछा नहीं गया और इस तरह उनको एपोइन्टमेंट नहीं मिला।

श्री जयनारायण व्यास—पुलिस वाले, जब वेकेन्सी होती है तो बाकायदा एक नोटिस निकाल देते हैं, एप्लीकेशन्स मांग लेते हैं। पुलिस को डाइरेक्ट एप्लाई करने में कोई एतराज नहीं।

श्री भैरोंसिंह—कलेक्टर अगर पुलिस के लिये उनकी अर्जियां भेज दे तो उन पर विचार किया जा सकता है, बिना कलेक्टर के भेजे स्वतन्त्र रूप से दी हुई अर्जियों पर पुलिस वाले नहीं सोचते।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि पुलिस में जो ट्रेन्ड शुदा होते हैं उन्हीं को लिया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं जो काबिल होते हैं और अर्जी देते हैं उनको लिया जाता है।

कु०श्री जसवन्तसिंह-तो क्या पुलिस ऑफीसर्स को हिदायत की गई है कि जो काम करने वाले हैं उनके लिये स्थान रखे जांय।

श्री जयनारायण व्यास—बशर्ते कि उनकी अर्जी उनके पास हो।

कु० श्री जवन्तसिंह—उनको कैसे मालूम हो। अगर गवर्नमेन्ट इमदाद देना चाहती है, सहानुभूति से बर्ताव करना चाहती है तो क्या गवर्नमेंट का भी कर्त्तव्य नहीं है कि वह इनको स्थान देने के लिये हिदायत दे ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सवाल पुलिस के लिये ही नहीं बल्कि और और विभागों में, फोरेस्ट, कस्टम्स, इरिगेशन, पी. डब्ल्यू. डी. सभी जगह नौकरियों की जरूरत रहती है, सभी

[श्री जयनारायण व्यास]

जगह अर्जी भेजी जा सकती हैं। अगर माननीय सदस्य की यह मंशा है कि जागीर विभाग में सरप्लस हो जाते हैं, एब्जोर्ब नहीं होते हैं तो दूसरे विभागों को सूचना दे दी जाय तो वे भी जागीरदारों को और जागीरदारों के कर्मचारियों को सूचना दे दें कि जहां जहां जगह खाली हो वहां एप्लाई कर दें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस तरह से तो अनएम्प्लॉयमेंट का हल नहीं हो सकता। इस बड़ी समस्या को हल करना है तो बड़ी सहानुभूति के साथ सुलझना पड़ेगा और उनको अगर रिहेबिलिटेट करना है तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में रखना होगा। नहीं तो यह समस्या हल नहीं हो सकती, अनएम्प्लायमेंट का यह प्रश्न हल नहीं हो सकता।

श्री जयनारायण व्यास—जितने बेकार हैं उनको एब्जोर्ब करने के सम्बन्ध में सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाय, ऐसा मैं समझता हूं। सरकार से अपेक्षा की जा सकती है। जागीरों मे बेकार होंगे उनको जगह दी जायगी, अधिकारियों को कहा जायगा कि कोई जागीर कर्मचारी १६ २० भी हों तो भी उनको एब्जोब करें। वैसे सिविल सप्लाई से भी बेकार होंगे। बेकारों के साथ सहानुभूति होनी चाहिये।

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि जागीर एम्प्लॉईज़ को सरकारी नौकरियों के समय की सूचना नहीं मिलने के कारण वे दरख्वास्तें नहीं दे सके और उस कारण काफी संख्या में लोगों को बेकार रहना पड़ा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इस संबन्ध में काफी पब्लिसिटी की गई थी, पर्चे बांटे गये थे व अखबारों में भी प्रचार किया गया था और समय को भी एक्सटेन्ड किया गया था।

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि कुछ तहसीलों में पर्चे बांटने के लिये भेजे गये वे नहीं बांटे जाकर तहसीलदार की टेबल पर ही पडे हुए हैं। जैसे जो कागज छप कर बांटे जाने को थे वे तहसीलदार सवाई माधोपुर की टेबल पर पड़े रह गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पर्चे रखे भी गये तोभी काफी प्रचार इस सम्बन्ध में किया गया था। पर्चों के अलावा भी दूसरे जरिये थे जैसे अखबार में भी निकाले गये थे।

श्री भैंरूसिंह (१६)—बिना जानकारी के अधिक तादाद में लोग वंचित रह गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं।

श्री मानसिंह महार—क्या जयपुर कलेक्टर के यहां से जिन लोगों को निकालने के लिये नोटिस दे दिये गये हैं उनको सरकार किसी दूसरे विभागों में लेने के लिये आदेश जारी करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर और किसी विभाग में इसके लिये गुंजायश होगी।

श्री मानसिंह महार—अगर एक व्यक्ति पटवारगिरी पास है तो उसको किसी दूसरे विभाग में भेजने के बजाय राजस्व विभाग में ही रखा जावे तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्या सरकार इसको राजस्व विभाग में नहीं ले सकती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर पटवारी पास है और राजस्व विभाग में जगह हो तो उसको मिल सकती है।

श्री कु० जसवन्तसिंह—क्या यह सही नहीं है कि राज के कर्मचारी जो रिट्रेन्च किये जाते हैं अगर दुबारा जगह होती है तो उनको नौकर रखने के लिये प्रायोरिटी दी जाती है। यह प्रश्न मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं।

श्री जयनारायण व्यास—उनको भी रिट्रेन्चड सर्वेन्ट समझा जावेगा और उनके साथ भी वही बर्ताव किया जावेगा जो दूसरों के साथ किया जाता है।

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि जागीर के एम्प्लोइज़ ने प्रार्थना-पत्र दिया उनके साथ बिलकुल सोतेली मां का सा बर्ताव किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी बात तो हमारे सामने नहीं आई। अगर इस प्रकार कोई बात बतावें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार—जयपुर डिस्ट्रीक्ट में जो लोग अभी कोट पतलून पहिन कर इन्टव्यू में आये उनमें से तो एक दो व्यक्तियों को ले लिया गया और जो लोग धोती कुर्ता पहिन कर आए चाहे वे कितने ही क्वालीफाइड थे उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि क्वालीफिकेशन क्या है।

एक माननीय सदस्य—(अश्रव्य)...दरवाजे बन्द करके...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आज के जमाने में रात को दरवाजे घरों के बन्द करने पड़ते हैं।

श्री मानसिंह महार—चुनाव के जमाने में दरवाजे खुले रखने का वादा किया गया, वह वादा तो पूरा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १६०२। श्री मोटाराम चौधरी।

प्रश्न संख्या १६०२

तहसील सिवाने के कृषकों को अच्छी खाद व बीज की शासकीय सहायता

श्री मोटाराम चौधरी—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.35

[श्री मोटाराम चौधरी]

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसील सिवाना का एरिया सारा लूनी नदी का है और वहां एक बड़ा बन्ध मेली का है जहां हर किस्म की अच्छी सालें पैदा हो सकती हैं, फिर भी सरकार का एग्रीकल्चर विभाग वहां के किसानों को किसी तरह की भी सहायता नहीं देता है ?

(ख) क्या वहां के किसानों द्वारा सरकार से कई दफा मांग करने पर भी अच्छा खाद व अच्छे बीज उन्हें नहीं दिये गये ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि मेली के बन्ध में अनाज की फसल में रेती और गेरू की बीमारी फैल जाती है जिससे सारी फसल बरबाद हो जाती है, तो फिर इसके लिये वहां के किसानों को कणक के बीज जिसमें यह बीमारी नहीं होती है बार-बार मांग करने पर भी नहीं मिले हैं ?

(घ) क्या सरकार इस वर्ष की फसल के लिये इस तहसील के किसानों को कणक के अच्छे बीज देगी अगर देगी तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) वहां के काश्तकारों की बीज और खाद के बारे में कोई मांग नहीं होने से सहायता नहीं दी गई ।

(ख) कोई मांग नहीं की ।

(ग) कोई मांग नहीं थी ।

(घ) इस साल अच्छे गेहूं के बीज इकठ्ठे कर लिये गये हैं और जो किसान मांगेंगे उनको उपयुक्त समय में वितरण कर दिये जावेंगे ।

श्री मोटाराम चौधरी—आप कहते हैं कि जिसको चाहे मिल सकते हैं । महीने डेढ़ महीने पहले हमारे यहां पर खाद डाला जाता है । आपने फरमाया कि डिपो में रखा हुआ है । कहां रखा है......

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, यह भाषा हमारे समझ में नहीं आती ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ।

श्री मोटाराम—आपने कहा कि कोई मांग नहीं की गई,... मांग की गई थी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपका प्रश्न समझ गया । इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं दी । इस साल बीज पर्याप्त मात्रा में है और किसानों को दे दिये जावेंगे । यह आप किसानों को आश्वासन दे सकते हैं ।

श्री भैंरोंसिंह (१६)--वह बीज कहां पर रखे गये हैं ?

श्री मोटाराम—आपने फरमाया कि मिल जावेंगे, मगर कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ? यह सब जानकारी होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यहां एसेम्बली में कहां मिलेंगे कब मिलेंगे आदि बातों का सारा फैसला करने के बजाय आप दरख्वास्त देंगे तो उस पर मिलेंगे, मगर मैं यह कहूंगा कि मिलेंगे अवश्य।

श्री मोटाराम—दरख्वास्तें दे दी हैं।

श्री मानसिंह महार—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जयपुर डिविजन में किसी प्रकार का बीज का इन्तजाम नहीं होने से काश्तकारों को काफी परेशानी हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि सिवाना जयपुर डिविजन में नहीं है।

श्री मानसिंह महार—मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं सिवाणा के सम्बन्ध में पूछे जाने वाले सप्लीमेंटरीज़ का उत्तर दे रहा हूं।

श्री मानसिंह महार—क्या सिवाना में जयपुर का बीज देंगे ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जयपुर में फौरिन कन्ट्रीज़ से बीज लाया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो बाद में चर्चा करेंगे।

श्री भैंरोंसिंह—बीकानेर में सबसे उपयुक्त बीज जयपुर का होता है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि काश्तकारों को बीज आदि फसल के बोने के समय के बाद में मिलते हैं, जब वे उनके किसी काम के नहीं रहते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मैं जनरल तौर पर स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि फसल के मौके पर उनको बीज नहीं दिये जाते। अगर ऐसा होता तो कोई लोग सरकार से बीज खरीदते ही नहीं।

Page No.37

श्री मानसिंह महार—क्या बाजरी के अच्छे बीज के लिये सरकार खाचरियावास को सजेस्ट करती है ?

श्री अध्यक्ष—Now the questions are over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री संग्रामसिंह डि० नं० ११४ ने विधान सभा की बैठकों से पूर्ण सत्र के लिए अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन में विद्युत पंखा गिरने सम्बन्धी तथ्य जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

Further I have to inform the House that the period of one week appointed for the presentation of the report of the Facts finding Committee on the indent relating to the landing of the fan body in the House on the 14th September, 1954, has been extended upto the 16th October, 1954.

सदन के भविष्य के कार्यक्रम सम्बन्धी वाद विवाद

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या हम जान सकते हैं कि हाउस कब तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—कल कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य—कब तक के लिए कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—कल एनाउन्स हो जावेगा।

एक माननीय सदस्य—हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक के लिए ११ अक्टूबर या ...

श्री अध्यक्ष—आप चाहें तो मैं से इन डाई एडजोर्न कर दूं।

('सदन के स्थगित होने के बारे में क्या हुआ' ऐसी आवाज)

कल एनाउन्स करेंगे।

श्री मानसिंह महार—हमें आइडिया तो हो जाय ताकि हम अपना प्रोग्राम तो तय कर लें।

श्री अध्यक्ष—Idea we have given.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

Now futher clause by clause Consideration of Tenancy Bill. clause 132B

श्री सोहनलाल भटनागर—इसके बारे में मेरा एक अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष—आपका अमेंडमेंट तो १३१ बी के बारे में है।

श्री सोहनलाल भटनागर—१३१ बी के बारे में। Deletion of sub-clause (3).'

श्री अध्यक्ष—१३२ के बारे में विचार चल रहे हैं।

('नहीं साहब, १३१ बी के बारे में चल रहे हैं' ऐसी आवाज)

Typing mistake. Yes. आपका यह अमेंडमेंट है कि: "sub-clause (3) be deleted.

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लॉज़ १३१ के माफिक एप्लीकेशन के लिए जुरिस्डिक्शन शिडयूल के माफिक तहसीलदार को दिया है और सिलेक्ट कमेटी ने असिस्टेन्ट कलेक्टर कर दिया था। इजेक्टमेंट के लिए एप्लीकेशन होगी और ऐसी एप्लीकेशन जिसमें काफी सूचना और देनी पड़ेगी वह तहसीलदार को न देकर असिस्टेन्ट कलेक्टर को देनी पड़ेगी, ऐसा सिलेक्ट कमेटी ने तय किया। उसके बाद उसमें लिखा है कि—

"If within such period the tenant appears and contests his liability to ejectment, the court shall forward the proceedings for disposal to the Sub-Divisional Officer."

जब कि एप्लीकेशन असिस्टेन्ट कलेक्टर के सामने होगी और नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एस. डी. ओ. के बजाय असिस्टेन्ट कलेक्टर रखने का संशोधन पेश किया इसलिए यह रिडन्डेन्ट हो जाता है। जब जुरिस्डिक्शन ही असिस्टेन्ट कलेक्टर को दे दिया गया है तो फोरवर्ड करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—इस सम्बन्ध में कल भी कुछ सुझाव आये थे और अब भी कुछ बातें रखी हैं तो मैं समझता हूं कि अलग अलग सारी चीजों का समावेश करके इस क्लॉज़ को लिया जाय तो सारी बातें आजावेंगी :

"131B. Procedure subsequent to the issue of notice:

(1) If a tenant or sub-tenant on whome a notice is served under section 131 A appears and admits his liability to ejectment, the court shall pass an order for his ejectment, but he shall not be liable for any costs.

(2) If the tenant for sub-tenant does not appear within the period prescribed by such notice the court shall pass an order for his ejectment.

Provided that such tenant or sub-tenant may, within 30 days from the date of such order, apply for setting it aside, and if he satisfies the court that either the notice was not served on him for that he had sufficient cause for non-appearance within the period prescribed by the notice, the court shall set aside the order and shall proceed to hear the application in the manner prescribed.

(3) If within the period prescribed by the notice the tenant or sub-tenant appears and contests his liability to ejectment, the court shall, on payment of proper court fee, treat the application to be a plaint and proceed with the case as a suit.

Provided that in the event of the application having been made by a Tehsildar in respect of land held directly from the State Government, no court fee shall be payable.

(4) To a decree or order passed under this section, the provisions of sub-section (1) of section 130 shall apply."

मैं समझता हूँ कि इससे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है कि पहले सब क्लॉज़ के बारे में जो बातें कॉन्सीक्वेन्टली आती हैं नहीं होनी चाहिये। तो वह डिलीट हो जाता है और थर्ड सब क्लॉज़ के बारे में जो अभी आपत्ति उठाई गई है उसका भी इसमें समावेश हो जाता है। अब मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इसमें कोई आपत्ति नहीं उठावेंगे।

श्री सभापति (राज हिम्मतसिंह)—१३१ (१) पर श्री जवानसिंह का अमेंडमेंट है। लिस्ट नं० ५ सीरियल नं० ६०।

Page No.40

श्री जवानसिंह—What is the serial number, Sir ?

श्री सभापति—I am sorry. I referred to clause 131. We are taking 131B. Shri Sohanlal Bhatnagar ?

१३१ (बी) पर तो श्री सोहनलाल का अमेंडमेंट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—He is not present.

(विराम)

वोटिंग के लिए रख दीजिये।

श्री सभापति—१३१ (बी) पर श्री सोहनलाल का अमेंडमेंट है। क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, चूंकि ओरिजिनल अमेंडमेंट प्रस्तुत हुए वे रिड्राफ्ट फोर्म में क्लियर हो जाते हैं और की ड्राफ्टिंग हो रहा है तो ऐसी हालत में एक तरफ अमेंडमेंट एक्सेप्टेड हैं और दूसरी तरफ रिड्राफ्टेड क्लॉज़ को वोट पर रखने के लिए है तो It will be out of order because this we would not be able to vote an amendment because it has been negatived.

अत: मैं यह सजेस्ट करता हूँ कि सब अमेंडमेंट्स को विद्ड्रा करने के लिए पर्मिशन दे दी जाय और माननीय राजस्व मंत्री का जो अमेन्डेड फॉर्म में क्लॉज़ है वही वोटिंग के लिए रखा जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा नहीं करने के लिए तैयार हो तो क्या किया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन देट केस उनको छोड़ कर बाकी पर वोटिंग लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस हालत में लफ्ज़ कुछ के कुछ हो जावेंगे। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट को विद्ड्रा कर लेंगे तो ठीक होगा।

श्री सभापति—१३१ बी पर श्री कपिलदेव अग्रवाल के अमेन्डमेन्ट्स हैं।

Page No.41

[श्री सभापति]

जो अमेंडमेंट्स और ड्यू हो चुके हैं उनके ऊपर भी तो विचार होगा।

श्री कपिलदेव के जो अमेंडमेंट्स हैं क्या सदन को वे स्वीकार है।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—मुझे अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

श्री सभापति—The question has been put.

ना पक्ष जीता। अमेन्डमेन्ट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—मैं भी अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति—It is too late now.

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ १३१ बी रिड्राफ्टेड जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दी बिल ने प्रस्तुत किया है, क्या वह विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

रिड्राफ्टेड क्लॉज़ १३१ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—Now we can take 127, Sir.

श्री सभापति—क्लॉज़ १२७ पर श्री कपिलदेव का अमेन्डमेन्ट है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, पहले श्री नाथूरामजी का अमेन्डमेन्ट ले लिया जाय। उसके बाद अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १२७ जो मौजूद टिनेन्सी बिल का है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ है। इस क्लॉज़ का हेडिंग इस प्रकार है Procedure in ejectment for decreed arrears" यानि जिन एरियर्स की डिक्री हो जाती है उसके बाद में किसान को उस खेत से जिस खेत के लगान के बारे में उस पर डिक्री हो गई हो उसके बाद में इजेक्टमेंट का क्या तरीका होगा, यह बात इस क्लॉज़ में लिखी गई है।

माननीय चेयरमेन, जो तरीका इजेक्टमेंट के बारे में होना चाहिये और जैसा कि हम मान चुके हैं जहां तक संभव हो सके उस किसान को सारी सहूलियतें दी जांय सारी सहूलियतें लेने के बाद भी लगान अदा नहीं करता हैं तब उसको उसके खेत से बेदखल किया जावे। जिस खेत के जरिये वह अपना भरण पोषण करता है उसके लिये यह सिद्धान्त हमने शुरू से ही माना है और इस सिद्धान्त को असल रूप देने के लिए यह क्लॉज़ १२७ है। काफी चर्चा करने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि क्लॉज़ १२७ जिसका इस टिनेन्सी बिल में समावेश है उसके जरिये जो इरादा हम रखते हैं किसान को अपनी जमीन से बेदखल होने के पहले सारे मौके इस प्रकार के दे दिये जांय ताकि वह डिक्री ऑफ एरियर्स लगान अदा कर सके। इतना मौका मिल जाना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, इसकी कॉपी सक्युलेट नहीं हुई है।

श्री **सभापति**—Yesterday it was circulated.

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी रखते हुए)—माननीय चेयरमेन, मैं यह जिक्र कर रहा था कि जिस सिद्धान्त को लेकर हम चलना चाहते हैं, एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिये जहां तक बन सके एक

Page No.43

[श्री नाथूराम मिर्धा]

किसान को अपनी धरती से हाथ न धोना पड़े यह किसी भी तरह, कितनी भी मेहनत करके, किसी न किसी प्रकार एरियर ऑफ़ रेन्ट को अदा कर सके चाहे वह रेन्ट लैंड होल्डर का हो चाहे सरकार का हो। इन इरादों को रखते हुए मौजूदा क्लॉज़ में जितना भी प्रोसीजर या जिस मोड में वह काम में लाया जाय जो जो जिस जिस वक्त मौका मिलना चाहिये इन सब बातों का पूरी तरह से मोजूदा क्लॉज़ १२७ में नहीं हो पाया है। इसलिये माननीय चेयरमेन, मैंने एक संशोधन मूव किया है जिसका नंबर ४०३ है इस संशोधन के जरिये मैंने यह प्रार्थना की है सदन के सदस्यों से कि आप इस मौजूदा क्लॉज़ को जो टिनेन्सी एक्ट का १२७ वीं क्लॉज़ है उस क्लॉज़ को हम हटा दें और उसके बाद में एक नई क्लॉज़ सबस्टीट्यूट करें इस कानून में जो कि बहुत साफ है। जो सारे रास्ते बता सके इस प्रोसीजर में उस किसान को बेदखल करने के पहले क्या क्या तरीके अदालत के काम में लाने चाहिये, क्या मौके किसान को मिलते हैं जिसमें वह अपने लगान को अदा कर सकता है। इन सारी बातों को समावेश मैंने अपने संशोधन करने की चेष्टा की है। मैं अब माननीय सदस्यों के सामने मैंने अभी जो नया क्लॉज़ रखने का प्रस्ताव रखा है उस क्लॉज़ को पेश करना चाहता हूँ। उसको पढ़कर सुनने के बाद मैं उसका कुछ विवेचन करूंगा। क्लॉज़ १२७ इस प्रकार होगा :

"Ejectment in execution of decree for arrears of rent;-

(1) A decree for arrears of rent passed in a suit under section 114 may be excuted, in addition to any other mode of execution permissible under the law, by ejectment of the tenant from his hoiding.

Provided that no tenant shall be liable to ejectment unless recourse has been had to all other modes of execution and the decree has not been completely satisfied by any such mode within two years from the date of such decree.

(2) Subject to the proviso to sub-section (1), the landholder may apply to the court which passed the decree for the issue of a notice to the tenant for payment of the amount due under the be cree and for his ejectment in case of default.

(3) Upon receipt of an application under sub-section (2) the court shalt issue a notice stating the amount due under the decree and requiring the tenant within two months from the service thereof to pay such amount in court or in case default to show cause why he should not be ejected from his holding and to state whether in case an order for his ejectment is pased he claims compensation on account of any improvements made by him.

(4) If the amount is so paid the court shall record satisfaction on the decree and grant a receipt therefor, which shall operate as an acquitance for the

[श्री नाथूराम मिर्धा]

amount deposited as if such amount hat been received by decree holder and shall pay such amount to the decree holder.

(5) The court may, on the application of the tenant—

(i) from time to time extend the time for payment of the amount due under the decree, provided that the extended period shall in no case exceed three months, or

(ii) allow payment thereof by such instalments as it may fix.

(6) If the tenant appears and claims that the decree may be lawfully executed by any other mode to be specified by him, the court shall, without requirng another application in that behalf, proceed in accordance with law to execute the decree by such other mode.

(7) If the tenant appears and claims that he is not liable to ejectment on any other ground, the court shall decide such claims.

(8) If the tenant does noi appear in response to the notice issued under sub-section (2) or if he appears but does not pay the decretal amount or does not apply under sub-section (5) for extension of time or for permission for payment by instalments or, having so applied, does not pay the decretal amount within the extended time or by fixed instalments or does not claim non-liability to ejectment under section (6) or sub-section (7) or if the mode of execution specified by the tenant under sub-section (6) has proved infructuous or his claim under sub-section (7) ans been rejected, the court shall pass an order that he be ejected from his holding.

Provided that where the court seized of the proceedings under this section is inferior in grade to that of an Assistant Collector, it shall not pass the order for such ejectment but shall submit the proceedings for the orders of the Assistant Collector who shall, after pursuing the same and making such further enquiry and taking such further action as he may consider necessary proper in the circumstances of the case, either reject the application for ejectment of pass an order for the ejectment of the tenant from his holding.

(9) When an order for the ejectment of a tenant from his holding has been passed under sub-section (8), he shall if in attendance, be again asked to

Page No.45

[श्री नाथूराम मिर्धा]

state whether he claims compensation on account of any improvements made by him, and if he makes any such claim or has previously made any such claim in response to the notice issued under sub-section (2), the court shall proceed to assess the amount of such compensation and the payment thereof shall be regulated by the provisions of section 120;

(10) Ejectment of a tenant in pursuance of an order under sub-section (8) shall be subject to the provisions contained in sections 122 and 122B.

(11) If within one month after the passing of an order for ejectment the tenant deposits the decretal amount in court, the order for ejectment shall be cancelled, unless possession in pursuance there has of been delivered to the land holder"

माननीय चेयरमेन महोदय, इस तरीके से क्लॉज़ १२७ में जो संशोधन मैंने इस क्लॉज़ में पेश किया है उसके ११ सब क्लॉज़ेज़ हैं और उन सब क्लॉज़ेज में अगर हम एक दूसरे के साथ में पढ़कर देखें तो मालूम होगा, कि इनमें आपस में एक बड़ा रिलेशन है, और किस स्टेज पर क्या कार्यवाही अदालत को करनी है और किस स्टेट पर क्या कार्यवाही किसान को करनी है, यह बताया गया है।

किसान के पास में जो नोटिस जावेगा उसमें क्या क्या बातें दर्ज रहेंगी, यह भी इसमें है। जैसे मेरे द्वारा प्रस्तुत सब क्लॉज़ (१) यह कहता है कि क्लॉज़ ११४ के नीचे अगर एक एरीयर का सूट हुआ हो तो उसकी डिक्री अदर मोड्स ऑफ एग्ज़ीक्यूशन जो कि दूसरे कानून के जरिये खुले हैं, वह इजक्टमेन्ट के जरिये भी हो सकते हैं।

पर उसमें शर्त यह है कि जब तक उसके दूसरे सारे तरीके डिक्री के एग्ज़ीक्यूट करने को हैं, वे काम में नहीं लिये जा चुके हों, तबतक इक्जेंटमेंट की जो लास्ट रेमेडी है, उसको काम में नहीं लिया जा सकेगा।—

इस प्रोविज़ो के जरिये और इस सब क्लॉज़ के जरिये जो हमने यहां व्यवस्था की है कि जब तक एक किसान के लगान का बकाया लगान की डिक्री के जितने दूसरे कानून के नीचे तरीके हैं, उन सब तरीकों को जब तक काम में नहीं लिया जा चुकेगा, तब तक इस क्लॉज़ के नीचे यह इजेक्टमेन्ट का करार नहीं काम ले सकेगा। यह व्यवस्था इस क्लॉज़ के जरिये की गई है। इसके साथ में जो सब क्लॉज़ (२) है:

"Subject to the proviso to sub-section (1), the landholder may apply to the court which passed the decree for the issue of a notice to the tenant for

[श्री नाथूराम मिर्धा]

payment of the amount due under the decree and for his ejectment in case of default."

उसमें यह कहा गया है कि ऊपर के प्रॉविजन (१) के होते हुए भी अगर आखिर में एक लैंड होल्डर जिसको कि एरीयर की डिक्री मिल चुकी है, वह एक नोटिस दिलवायेगा और वह नोटिस कोर्ट इश्यू करेगा कि अगर तुमने लगान का पेमेंन्ट, जिसकी कि डिक्री हो चुकी है, अब तक नहीं दी है तो तुमको इस खेसेत बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार का नोटिस उस किसान को देने की व्यवस्था सब क्लॉज (२) के जरिये की गई है। सब क्लॉज़ (३) में यह व्यवस्था की गई है कि "Upon receipt of an application under sub-section (2) the court shall issue a notice stating the amount due under the decree and requiring the tenant within two months from the service thereof to pay such amount in court or in..." अर्जी देगा लैंड होल्डर इस सब क्लॉज़ तीन के नीचे, और उसके बाद में अदालत उसको एक नोटिस इस आशय का देगी, कि तुम दो महीने के अन्दर (विदिन टू मन्थ्स) हाजिर होकर इस बात का जवाब पेश करो, कि तुमको यह रुपया जमा करन है जिसकी डिक्री हो चुकी है, और इस रुपये को अगर तुम जमा नहीं करवाते हो, तो हाजिर होकर यह जाहिर करो, कि तुमको क्यों नहीं इस मामले में बेदखल किया जावे ? यह व्यवस्था नोटिस की और हाजिर होकरजवाब देने की की गई है।

सबक्लॉज़ ४ में अगर वह किसान हाजिर होकर रुपया जमा करा देता है तो अदालत जो है, वह उसका सैटिस्फैक्शन मान लेगी पूरी डिक्री का और वह रुपया जो जमा हो चुका है उस रुपये को वह अपने पास में जमा करके अदालत फिर उसको लैंड होल्डर को देने की व्यवस्था करेगी। यह इस क्लॉज [४] में कहा गया है। और सब क्लॉज (५) में यह कहा गया है कि :

"The court may, on the application of the tenant,(i) from time to time extend the time forapyment of the amount'" हाजिर होने के बाद में अगर पूरा रुपया जमा नहीं करवा पाता है, और कुछ रुपया जमा कराने के बाद में यह कहता है कि इतना रुपया इतने अर्से के बाद में जमा कराऊंगा, तो अदालत को इस सब क्लॉज़ (५) के हिस्से (१) के जरिये यह व्यवस्था करनी होगी, कि वास्तव में उसकी स्थिति को देखते हुए समय बढ़ाना वाजिब है या नहीं। अदालत को इसके लिए यह डिस्क्रेशन दिया है। पर यह भी डिस्क्रेशन लम्बा नहीं दिया जा सका है। इसलिये तीन महीने के समय को भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ में इस सब क्लॉज़ में यह भी व्यवस्था की गई है कि अदालत चाहे तो उस किसान का वह रुपया जिसकी कि डिक्री हो चुकी है, उसको इन्स्टालमेंट के जरिये दिलाने की भी व्यवस्था कर सकती है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

सब क्लॉज़ (६) के जरिये इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि अगर वह किसान अदालत में हाजिर होता है, और यह जाहिर करता है कि साहब मेरे एरीयर को रियलाइज करने के लिये जो सभी मोड्स ऑफ एरीयर्स को काम में लाने की व्यवस्था क्लॉज़ (१) में की गई है, पर यह मेरे पास चीज़ मौजूद है। अमुक तरीका जो मैंने बताया जिसको कि कानून में काम में लिया जा सकता था, वह लिया जावे, पहले नहीं लिया गया, तो अब भी लेकर मेरी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा लिया जावे। किसान खुद अपना तरीका बताता है जो कि कानून के नीचे ठीक रूप से निश्चित है तो इसका नोटिस भी अदालत दे सकती है, और इसके मुताबिक उसको सैटिस्फाई करने की व्यवस्था इस क्लाज़ में है। सब क्लॉज़ ७ में :

"If the tenant appears and claims that he is not liable to ejectment on any other ground, the court shall decide such claims." इसके अलावा इस सब क्लॉज़ के जरिये एक मौका फिर उस किसान को मिला है कि कोई उज्र कर सकता है, उस वक्त और उस उज्र के जरिये यह बता सकता है। और दूसरे उज्र पेश कर सकता है कि जिसकी वजह से इजेक्टमेंट ऑर दी डिक्री ऑफ एरियर्स केरें पर आई है तो मेरा इजेक्टमेंट नहीं किया जा सकता है। यह उज्र करने का मौका क्लॉज़ ७ के जरिये आखरी वक्त में उसको मिला है। इसमें जो व्यवस्था की गई है वह यह व्यवस्था की है कि यह जो कि ऊपर की सब क्लॉज़ेज़ (२) (५) व (६) को काम में लाने के बावजूद भी किसीतरीके से एरियर्स की रिकवरी होने की पासिबिलिटी नहीं हो, तब अदालत को विवश होकर यह डिग्री पास करनी पड़ेगी, कि अब इसको इस खेत से बेदखल कर दिया जाय। परन्तु उसके साथ में यह जो प्रोविजो लगाया है, उस प्रोविजो के जरिये यह व्यवस्था की गई है कि अगर वह अदालत जिसमें कि उसकी डिक्री के एक्जीक्यूट करने की इजेक्टमेंट के जरिये की जो प्रोसीडिंग चल रही है अगर वह अदालत एक असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत से छोटी अदालत है, तो उसको अपना रेकॉर्ड असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास में पेश करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, और फिर असिस्टेन्ट कलेक्टर उस सारी कार्यवाही को, जो उनके सामने उपस्थित हुई है अच्छी तरह से मुलाहिजा करेंगे, और देखेंगे कि जितने मौके कानून के नीचे एक किसान को दिये जाने चाहिए थे, वास्तव में उन सारे कानूनों को पूरे तौर से काम में लाया गया या नहीं। उसके बाद में वह उचित आर्डर जो सारी कार्रवाई दूसरी अदालत में हुई है, उसमें वह पास करेंगे। उसमें उचित आर्डर यह हो सकता है कि कानूनी कार्यवाही ठीक नहीं की गई, जितने तरीके एक्जीक्यूशन के काम में लाने चाहिए थे, कानून के नीचे वह नहीं लाये गये, तो he can reject the application उस अर्जी को खारिज कर सकता है, और सब कार्यवाही ठीक और उचित समझता है, तो उस पर वह इजेक्टमेंट का ऑर्डर फाइनल कर सकता है।

उसके बाद में सब क्लॉज (९) के जरिये यह व्यवस्था की गई है कि किसान को जब खेत से बेदख़ल करने का हुक्म आखरी तौर पर धारा, सबक्लाज, ८ के अन्दर पास किया जा चुका है। उस वक्त में भी जो अदालत जिसने कि वह आखरी हुक्म पास किया है वह एक दफा

[श्री नाथूराम मिर्धा]

उस किसान से पूछेगी कि "भाई अब तुम बेदखल हो रहे हो। अगर तुमने उस खेत में जिससे कि तुम बेदखल किये जा रहे हो कोई इम्प्रूवमेंट्स किये हों तुमने इस जमीन के अन्दर कोई बेहतरी का काम किया हो, खेत की तरक्की का काम किया हो जिसमें कि कोई यदि हरजाना मांगने की बात हो तो तुम हमारे सामने उज्र पेश करो।" हरजाने के लिये वह उससे पूछेगी उस इम्प्रूवमेंट के लिए जो कि उसने किये हैं। यह एक मौका आखिरी वक्त में बता दिया जाता है कि इम्प्रूवमेन्ट्स अगर कोई हो तो बता दिये जायें। और अगर वह हरजाना बता देता है तो वह उसमें इम्प्रूवमेंट किसान बताता है, तो उन इम्प्रूवमेंट्स का वे कम्पेन्सेशन देंगे। कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है जो कि १२० की क्लाज के अन्दर पास किया हुआ है।

उसके साथ में सब क्लॉज (१०) के जरिये यह व्यवस्था की गई है कि एक किसान का इजेक्टमेंट जो कि सब क्लाज (८) के अन्दर फाइनल, आखरी हुक्म होगा, वह subject to the provisions of sections १२२ और १२२ बी के होगा। वह क्लॉज जो १२२—"Right to crops and trees when ejectment takes effect;"

इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ट्रीज और क्रॉप्स का किस तरीके से निबटारा किया जायगा? अगर उस वक्त में फसल खड़ी है, तो इसकी व्यवस्था क्लॉज १२२ में है और १२२ बी में यह व्यवस्था की गई है कि जिस खेत से वह बेदखल किया जा रहा है, अगर उस जमीन के ऊपर उसका रेजीडेन्शल हाउस बना हुआ है, तो वह घर से बेदखल नहीं होगा। यह व्यवस्था १२२बी में की गई है। इसलिए इसमें सबजेक्ट टू दि प्रोविजन्स १२२ और १२२ बी फाइनली इजैक्टमेंट इसकी व्यवस्था सब क्लॉज़ १० के जरिये इसमें की गई है।

फिर भी सब क्लॉज़ (११) माननीय चेयरमेन साहब, जो मैंने प्रस्तुत किया है, उसमें यह व्यवस्था है कि एक महीने के भीतर भीतर जिस तारीख से बेदखली का जो हुक्म पास हुआ है आखिर का उसके एक महीने के अन्दर फिर किसान हाजिर होकर अगर अपनी डिक्री की रकम जो बकाया है वह उस वक्त में भी आकर यह कहे कि "मैं रुपया अदा करने को तैयार हूं।" जब उसको आखिरी बेदखली का मौका हो चुका है, और खेत से बाहर जाता है, परन्तु हुक्म के पास होने के एक महीने के भीतर भीतर फिर वह हाजिर होकर कहता है कि "बकाया लगान की डिक्री हो चुकी है उसकी रकम अदा करने को तैयार हूँ" और अगर उस वक्त में—

"The order for ejectment shall be cancelled, unless possession in pursuance thereof has been delivered to the landholder"

हुक्म पास होने के एक महीने के भीतर भीतर जब तक कि लेन्ड होल्डर ने उस खेतपर कब्जा नहीं लिया है, उस दौरान में वह अदालत के सामने आकर अपने एरियर्स बकाया लगानकी डिक्री की रकम जमा

[श्री नाथूराम मिर्धा]

करा देता है तो ता-आखिरी वक्त का वह हुक्म जो कि बेदखली का है, वह केन्सिल किया जा सकता है।

यह सारी व्यवस्था जिनका जिक्र, माननीय चेयरमैन साहब, मैने अभी आपके सामने किया है, वह सारी व्यवस्था इस क्लॉज १२७ के इस संशोधन के जरिये की गई है। मेरे ख्याल से अब कोई ऐसा मौका नहीं रह जाता, इसमें किसान को डिक्री ऑफ एरियर्स, लगान को बजाय रकम जिसकी कि उसके ऊपर डिक्री हो चुकी है, उसको अदा करने के लिए कोई बाकी नहीं रखा। इसके उपरान्त भी अगर कोई लगान किसी तरीके से लिया नहीं जा सकता है तो आखिर में जमीन से उस किसान को बेदखल करने का ही रास्ता रह जाता है। यह सारी प्रोसीजर १२७ मे है, माननीय चेयरमेन महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जो कि पहले क्लॉज में जिस तरीके का प्रोसीजर दिया हुआ है जिसको मैं सदन के सामने पढ़कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता। उसमें इतनी व्यवस्था साफ नहीं है जितनी कि इस संशोधन में की गई है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह सदन बड़ी खुशी से इस संशोधन को स्वीकार करेगा, पास करेगा।

श्री सभापति—श्री कपिलदेव अग्रवाल का संशोधन है।

एक माननीय सदस्य—He is not present.

श्री सभापति—इस क्लॉज में श्री चांदमल मेहता का भी संशोधन है पर वे भी उपस्थित नहीं है।

इस क्लॉज में श्री तनसिंह का भी एक अमेन्डमेन्ट है, वे भी उपस्थित नहीं है।

श्री श्री भानसिंह—Mr, Chairman, Sir, these are the very happy signs when the State Government after putting and end to the landlordism is trying to be liberal to the tenants. However, welcoming Shri Nathuram's amendment, I have a few observations to make. One of my observations will take me back to section 120 However, that has been passed. A tenant after being ejected by a court we could have redrafted this sub-clause (5) in a manner so as to make it compulsory for the court to assess thee amount of improvement. Even in clause 120 there is this, when the tenant claims compensation for improvement, the court shall assess the amount. While yesterday I said in the House that sponsors of this Bill had quoted U.P. Tenancy Act section 129, But as far as I remember even in U.P. Tenency Act it is compulsory for the Court to assess the improvement without the tenant's claiming for that. Therefore, it is necessary that sucha provision must be made in sub-clause (9) that even if the tenant does not claim any comp ensation

Page No.50

[श्री श्रीमानसिंह]

for the improvements, the Court must assess the improvements and then the arrears of rent. This clause is deceptive and as far as I understand law the Court will eject the tenant if he does not pay arrears of rent without assessing compensation for the improvements made by him. Therefore, the court is not bound to assess the compensation and the court can decree for arrears of rent without incorporating in the decree the improvements, the compensation for improvements.

While coming to sub-clause (11) I should say that the clauses are very liberal but since the State is entering on the threshold of landlordism, the State has also adopted the attitude of the landlord and after giving everything to the tenant: for the line incorporated in sub-clause (11) unless possession in pursuance thereof has been delivered to the landholder, I will request the mover of the amendment to delete it because possession can be taken by the landholder within a week. Therefore, if within one month after the passing of an order for ejectment the tenant deposits the decretal amount in court, the order for ejectment shall be cancelled. Therefore, if this was the intention, why after the words be cancelled, 'unless possession in pursuance thereof has been delivered to the landholder' have been added. Therefore, this generosity is negatived by these words. I will, therefore recommend that these words be deleted if you really want an improvement in the conditions of tenants.

श्री जवानसिंह—माननीय चेअरमेन महोदय, मौजूदा क्लॉज़ जो संशोधित रुप में प्रस्तुत किया गया है, उसको एक प्रकार से उचित ही कहना चाहिये। अलावा उसके जो प्रिन्सिपल रखा गया है वह अलबत्ता काफी इलोबरेट है और इलोबरेट होने से भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके पीछे जो निहित भावना मालूम होती है उसके अनुसार इजेक्टमेंट आसानी से नहीं हो सकता, इजेक्टमेंट ज्यादा नहीं हो सकता ऐसा ख्याल मालूम पड़ता है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि इस बिल में जहां तक इजेक्टमेंट का सवाल है हमने केवल एक ही रास्ता अपनाया है चाहे वह इजेक्ट होने वाला काश्तकार खातेदार टिनेन्ट हो, चाहे सब-टिनेन्ट हो, चाहे गैर खातेदार हो या और प्रकार का टिनेन्ट हो। यदि इस तरह से हम इस दृष्टिकोण से इजेक्टमेंट की बात को सोचते हैं तो यह मालूम पड़ता है कि एक ही तरह से हम तमाम इजेक्टमेंट के मामलों को हल करना चाहते हैं। मैं इस सिद्धान्त को भी मानता हूं कि अभी इस जमाने में जब कि हमने काश्तकारों को विशेष हक दिये हैं। जिसके अनुसार खातेदार टिनेन्ट की जमीन एक तरह से उसकी मिलकियत हो जाती है, तो उसका इजेक्टमेंट भी आसानी से उस जमीन पर से नहीं होना चाहिये। मैं इस बात को भी मानता हूं लेकिन साथ ही साथ सब टिनेन्टस के जो अधिकार है जमीन पर काश्त करने के अलावा उसको मद्देनजर रखते हुए, जिस प्रकार का प्रोविजन दिया हुआ है, उससे उनका अहित हो तो यह

[श्री जवानसिंह]

उनके साथ न्याय नहीं होगा। जो सब लेटिंग के अधिकार इस बिल में आये है उनके अनुसार हमने इस बिल में सब लेटिंग के अधिकार दो प्रकार से दिये है। एक तो उन आदमियों को सब लेटिंग के अधिकार दिये हैं जो अपनी मर्जी से सब लेटिंग करें। दूसरा उन व्यक्तियों को सब लेटिंग के अधिकार दिये हैं जिन की लिस्ट क्लॉज ३७ में दी गई है। एक तो वे इन्सान हैं जो माइनर होने के नाते, विधवा होने के नाते, इनवेलिड होने के नाते, ल्यूनेटिक होने के नाते, ईडियट होने के नाते, अपनी जमीन खुद काश्त करने के काम में नहीं ला सकते, इसलिये उसको सब-लेट कर देते है। इन तमाम आदमियों को हमने सब-लेटिंग के अधिकार दिये हैं और उनके लिये आपको ख्याल रखना होगा। सब लेटिंग का जो तरीका अपनाया है वह इनके लिये मुफीद है, या परेशानी का बायस होता है। इस बात का ख्याल रखना होगा चेअरमेन महोदय, कि हम उन आदमियों के लिये जो धारा ३७ में वर्णित हैं क्या करने जा रहे हैं ? उनकी जिन्दगी का एक ही जरिया केवल ज़मीन है। ऐसी सूरत में वे जो सब लेटिंग करेंगे, मजबूरी के कारण अपनी जमीन किसानों को सौंपेंगे, यदि एरियर ऑफ रेन्ट उन लोगों को नहीं दिया जायगा, तो क्या उनके लिये वाजिब होगा ? यह उनकी परेशानी का बायस होगा, यह ध्यान रखना है।

मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा इस बारे में, कि यदि हम सब लेटिंग को जिस प्रकार दिया गया है, और खातेदार टिनेन्ट को इजेक्ट करने का प्रश्न दोनों को अलग अलग लाने की कोशिश करते तो दोनों ही उचित स्थान पर आ सकते थे, और सहूलियत के साथ आ सकते थे, और सबके साथ में ज्यादा न्याय कर सकते थे, मगर हमने उसको नहीं अपनाया। एक खातेदार का जमीन पर बहुत बड़ा हक है। उसने बड़ा इन्वेस्टमेन्ट किया है, तो वह उसको छोड़ने के लिये तैयार नहीं होगा। लेकिन सब टिनेन्ट जानता है कि २ साल का लगान उसने नहीं दिया है, और उसका कुल तीन साल का लीज है, तो वह यह कोशिश करेगा कि वह तीसरे साल का भी लगान नहीं दे, और फिर जमीन छोड़कर चला जाय, क्योंकि लीज के अनुसार भी वह तीन साल से ज्यादा तो उस जमीन पर नहीं रह सकता। इस बिल की धाराओं को देखने से यह नहीं मालूम पड़ता कि सब टिनेन्ट का लीज़ खत्म होने के बाद इजेक्टमेन्ट किया भी जायगा या नहीं, इस चीज को हम बिल में नहीं पाते हैं; लेकिन मान लीजिये कि भविष्य में ऐसे संशोधन आयेंगे, और इसके लिये भी कोई प्रोविजन किया जायगा। अगर इस चीज को मान लिया जाय, तो भी मैं महसूस करता हूं कि हम सब टिनेन्ट्स के सिलसिले में एक प्रोविजन इस क्लाज़ में रख रहे हैं वह परेशानी का बायस अवश्य है जहां तक क्लॉज़ १२७ का सवाल है, मैं आपका ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहूंगा सब क्लॉज़ (३) की तरफ और सब क्लॉजेज़ (६) और ७ की तरफ। जहां तक सब क्लॉज़ ३ का सवाल है, हमने इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (६) में भी इसका समावेश किया है। आप दूसरी तरह से देखेंगे कि सब क्लॉज़ (६) को हमने शुरू किया है, सब क्लॉज (७) में सब क्लॉज़ (६) चाहता है कि एक टिनेन्ट अपनी जमीन से हटाया जाता है, अगर उससे वह जमीन का हक छुड़वाया जाय, बेदखल किया जाय तो उसे बेदखल

[श्री जवानसिंह]

करने से पहले उसका मुआवजा तय कर लिया जावे, और मुआवजा उसको दे दिया जावे। लेकिन इसके साथ साथ इस क्लॉज़ को इस ख्याल से कुछ और बनाना चाहते हैं, वह चीज समझ में नहीं आती है।

तहसीलदार से कोर्ट में इजेक्टमेंट का केस चल रहा है, इजेक्टमेंट और एरियर्स का केस चल रहा है, जिसमें काश्तकार को नोटिस दे, कि एरियर्सअदा करे। पुरानी धारा में पास कर चुके हैं, और इसमें पास करना चाहते थे कि कोर्ट ने कम्पेन्सेशन तय नहीं किया है तो नोटिस देगा कि कम्पेन्सेशन चाहते हो तो नोटिस दो; दरख्वास्त दो उसकी जो दरख्वास्त होगी वह एसिस्टेन्ट कलेक्टर उसको हर सूरत में जायगी। एसिस्टेन्ट कलेक्टर उसको हर सूरत में तय करेगा न कि उसके नीचे का कोर्ट, इसके पहले जो नोटिस देना है वह बिल्कुल बेकार चीज है।

क्लॉजेज़ (१) व (२) के जरिये हमने यह प्रोविजन किया है कि जो व्यक्ति बेदखल किया जाने वाला है, कानून की तहत मे आने वाला है, तो उसे दो वर्ष का समय दिया गया है, कि उस अर्से में कोई जायदाद कानून के माफिक कुर्क की जा सकती है और उसके माफिक एरियर्स ऑफ रेंट की डिक्री सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं। इसके बाद सब क्लॉज़ (६) में इस बात का प्रोविजन किया है कि :

"If the tenant appears and claims that the decree may be lawfully executed by any other mode to be specified by him, the court shall, without requiring another application in that behalf, proceed in accordance with law to execute the decree by such othor mode."

मेरी समझ में नहीं आता, कि दो साल तक जिस व्यक्ति के पास में इस तरह की कोई जायदाद जमीन नहीं थी, नहीं दी जा सकी, तो अब क्या मतलब होगा कि उसके पास कोई जायदाद हो जिसके जरिये वह डिक्री सेटिस्फाई हो सके ? और वैसा का वैसा उपखण्ड (७) भी हमें देखने को मिलता है :

"If the tenant appears and claims that he is not liable to ejectment on any other ground, the court shall decide such claims."

उपखण्ड (६) और (७) को मिलाकर हम केवल (७) ही रखते तो वह प्रश्न हल हो सकता था जो उपखण्ड (६) और (७) को अलग अलग रख कर करना चाहते हैं। सब क्लॉज (७) में हर प्रकार की गुंजाइश रखी है। बेदखली के पहले कई तरह के एतराज आयेंगे कि मैं बेदखल नहीं हो सकता तो वे सब क्लॉज़ (७) के जरिये सुने जायंगे। सब क्लॉज़ (६) में भी इसी तरह के एतराज हैं। तो ये दो क्लॉजेज़ हैं। इनकी बजाय एक क्लॉज़ रख दिया जाता तो ज्यादा उचित था।

[श्री जवानसिंह]

और दोनों का समावेश एक सब क्लॉज़ के जरिये हो सकता था, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके अलावा उपखण्ड ४ की तरफ देखते हैं तो उसमें इस प्रकार के वर्ड्स हैं, शायद गलती से मिसप्रिन्ट हो सकता है :

"If the amount is so paid the court shall record satisfaction on the decree and grant a receipt therefore, which shall operate as an acquitance for the amount deposited as if such amount had been received by the decree holder......"

यहां पर ये शब्द है, "deposited" वहां एक्विटेंस किस रकम का माना जायगा ? जो कि डिपोजिट हो चुकी है उसका ? यह गलत है। सेटिस्फेक्शन उसका होना चाहिये, जो कि डिक्रीड एमाउन्ट है, उस रकम का हो सकता है जो कि डिक्री होल्डर ने डिमाण्ड की है। इसकी जगह या तो क्लेम्ड होना चाहिये था या डिक्रीटल (decretal) एमाउन्ट होना चाहिये था, वरना यह गलत है, और सब क्लॉज़ (४) के जरिये जो फायदा पहुँचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुँचा सकते।

इसलिये मैं इस बात के लिये दरख्वास्त करूंगा कि कम्पेन्सेशन का हमने जिस प्रकार से समय दिया है, काश्तकार को बेदखल होने से पहले, कि उसके खिलाफ १ साल के एरियर्स ऑफ रेंट हो जायं तब तो दावा दायर करे, और दावा दायर करके साल डेढ़ साल का डिक्री में टाइम लग सकता है, इसके बाद और टाइम दिया कि डिक्री के पैसे अदा कर सकता है या नहीं। इसके बाद एक महीने का पीरियड और दिया जायगा, कि कम्पेन्सेशन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हो तो करेगा। तत्पश्चात् उसको यह अधिकार है कि वह आकर कहेगा कि इस प्रोपर्टी से रुपया वसूल किया जा सकता है। यह एक बिल्कुल बेकार चीज है। इसके बाद और अधिकार, और भी क्लेम पेश करता है तो उसके लिए इस प्रकार का समय रखा है। तो इस क्लॉज़ को जैसा इस वक्त यह है इसको देखते हुए मैं यह मानता हूँ, कि सब-लेटिंग का अधिकार दिया है, वह इस क्लॉज़ के जरिये बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया है, और यह एक सुन्दर वस्तु नाम की चीज़ इस कानून में रह जायगी, १२७ को रखते हुए इसका कोई अर्थ नहीं।

ज्यादा अच्छा यह होता कि खातेदार टिनेन्ट को इजेक्ट करने का जो तरीका है, वही रहता। सब टिनेन्ट्स के एरियर्स के बारे में इजेक्टमेंट करने का जो तरीका है, उसको यदि ज्यादा सुविधाजनक रखते तो इसकी मंशा पूरी हो सकती थी, और दोनों आदमियों को लैंड होल्डर को और टिनेन्ट को न्याय मिल सकता था। यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन मेड़ता से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा उसके सम्बन्ध में मेरा पूर्व वक्ता ने खास तौर से यह एतराज किया, कि जो सब लेटिंग की गुंजायश आगे रखी है, वह इस क्लॉज़ के रखने के बाद एक तरह से नलीफाई हो जाती है,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

क्योंकि सब टिनेन्ट के एरियर्स के लिये इजेक्टमेंट का जो प्रोसीजर रखा जा रहा है वह इतना लंबा है कि जिससे दिक्कत पैदा होगी। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने सब टिनेन्ट को रखता है तो अव्वल तो इस बात को देख कर रखेगा कि किस प्रकार का व्यक्ति है, लगान के सम्बन्ध में कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होगा, कि हर किसी को रख ले। तो इस तरह से गलत तरीके का आदमी रखने की तो बात रहेगी ही नहीं।

दूसरी बात यह कि दो वर्ष तक कोई व्यक्ति अपने सब टीनेन्ट पर एरियर चढ़ाता रहे, तो ऐसी मिसाल भी आम तौर से सामने आने वाली नहीं। दो वर्ष तक कोई व्यक्ति एरियर चढ़ने नहीं देगा, और इस क्लॉज़ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये आगे बढ़ेगा, या किसानों को लाभ पहुँचावेगा। हम भी यह चाहते हैं कि इजेक्टमेंट आसानी से नहीं हो, और सदस्यों की राय भी जो समय समय पर आती रही है, उससे भी यही प्रकट होता है, जो कि सभी सदस्यों को मालूम है। जिस वक्त क्लॉज़ ११९ और अन्य दूसरे क्लॉजेज़ को पास किया जा रहा था, उस समय भी इस पर विचार किया जा रहा था, कि हम इजेक्टमेंट को लास्ट रिसोर्स ही मानें, न कि ईज़ी रिसोर्स। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन रखा गया है, उसका स्वीकार करने से सारी बातों की पूर्ति हो जाती है। अतः मैं संशोधन को मंजूर करता हूँ, और आशा करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगें।

श्री सभापति—क्लॉज़ १२७ पर श्री तनसिंह, श्री चांदमल मेहता, के संशोधन थे। उनकी अनुपस्थित के कारण वे नहीं लिये गये। इसके ऊपर श्री नाथूराम जी मिर्धा का भी एक एमेन्डमेंट हैं।

प्रश्न यह है कि धारा १२७ पर जो श्री नाथूरामजी मिर्धा का एमेन्डमेंट है और जिसको मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ दी बिल ने स्वीकार किया है उसके बाबत मत लिये जाते हैं।

(स्वीकृत)

खण्ड १२८ अमेन्डमेंट स्वीकार किया गया और मौजूदा क्लॉज़ की जगह नया सब्स्टीट्यूटेड क्लॉज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

अब क्लॉज़ १२८पर श्री कपिलदेव अग्रवाल का एमेन्डमेंट है। (श्री अग्रवाल से) आप मूव करना चाहते ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—श्री नाथूरामजी मिर्धा बोलेगें, उनके बाद मूव करूंगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्लॉज़ १२८ पर श्री तनसिंह का एमेन्डमेंट है। वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिये वह मूव नहीं होगा।

दूसरा एमेन्डमेंट श्री जवानसिंह का है।

श्री जवानसिंह—मैं अपना एमेन्डमेंट पेश करना नहीं चाहता।

श्री हिम्मतसिंह—इस क्लॉज के सब क्लॉज (५) पर भी आपका एक एमेन्डमेंट है। वह भी आप मूव नहीं करेंगें।

श्री जवानसिंह—नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—श्री नाथूराम मिर्धा का एमेन्डमेंट हैं। और वे अपना अमेन्डमेन्ट मूव करें।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सभापति, मौजूदा टिनेन्सी बिल में जो क्लॉज़ १२८ है, वह इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर इस कानून में दिये हुए तरीके के अलावा अगर कोई जमीन को ट्रान्सफर करता है, या इस जमीन को सब-लेट करता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? इजेक्टमेंट के दूसरे जो ग्राउन्डस हैं, उनके साथ में क्लॉज़ १२८ में यह व्यवस्था की गई है कि जो ट्रान्सफर और सब-लेट इस कानून में जिन रेस्ट्रीकशन्स के साथ जिन धाराओं में दिया हुआ है उसके अलावा अगर खिलाफवर्जी की जावेगी तो उस किसान को जमीन से बेदखल कर दिया जा सकता है। मौजूदा जो क्लॉज़ १२८ है वह जिस रूप से सिलेक्ट कमेटी से पास होकर इस कानून में है इसमें हमने भी कोन्सीक्वेन्शियल चेन्जेज और जिस फाइनल रूप में इन क्लॉज़ेज़ को स्वीकार किया है उनको ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा प्रोविज़न है, वह ठीक नहीं बैठता, और जब उनका इस क्लॉज़ में ठीक तरह से समावेश नहीं हो सकता तो मैंने एक संशोधन जो ४०४ नम्बर पर है, लिस्ट नम्बर २७ में, उसके जरिये मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। मौजूदा टिनेन्सी एक्ट के क्लॉज़ १२८ को हटा कर उसके बजाय में १२८ नया क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट किया जावे। जो मौजूदा एमेंडमेंट और संशोधन पेश किया है उससे इसकी भाषा इस प्रकार होगी:

"128. Ejectment for illegal transfer or subletting:-

(1) If a tenant transfers or sublets the whole or any part of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the transferee or sub-lessee has entered upon or in possession of such holding or such part in pursuance of such transfer or sublease, both the tenant and any person who may have thus obtained, or may thus be in, possession of the whole or any part of the holding shall be liable to ejectment from the area so transferred or sublet.

(2) The Tehsildar within the local limits of whose jurisdiction the area so transferred or sublet lies shall, suo moto in case such area is held directly from the State Government or on the application of the landholder in other cases, issue a notice to the tenant to appear within such time as may be specified therein and show cause why he be not ejected from such area.

[श्री नाथूराम मिर्धा]

(3) To every proceeding under sub-section (2), the transferee or the sub-tenant, as the case may be, shall be made a part and a like notice shall be issued him also.

(4) If in response to the notice issued under sub-section (2) or sub-section (3) appearance is made within the time specified therein and the notice is contested, the Tehsildar shall forward the case to the Assistant Collector having jurisdiction who shall proceed with it, on payment of the proper court fee, as if it were a suit for ejectment.

Provided that in the event of the notice having been issued by the Tehsildar suo moto, no court fee shall be payable.

(5) If no such appearance is made or if appearance is made but the notice is not contested the Tehsildar shall forward the proceeding for the order of the Assistant Collector having jurisdiction."

यह कुल क्लॉज़ जिसको कि मैं संशोधित रूप में और एक नये रूप में इस कानून में पास कराना चाहता हूं, उसका मद्दा इस प्रकार से है। इसके विवेचन के सिलसिले में माननीय चेयरमेन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सब क्लॉज (१) में हमने यह व्यवस्था की है कि जिस किसान ने या जिस आदमी ने अपनी जमीन को जिन क्लॉज़ेज कि हमने उस जमीन के ट्रान्सफर के सिलसिले में, और सब लेटिंग के सिलसिले में, इस कानून में व्यवस्था की है उनकी खिलाफवर्जी करके कोई ट्रान्सफर किया जाता है, या सबलेटिंग किया जाता है, तो जिस जमीन का ट्रान्सफर हुआ है, और जिस जमीन का सबलेटिंग हुआ है, उस ट्रान्सफरी को जिसको जमीन सबलेट की गई है या ट्रान्सफर की गई है उस जमीन का हिस्सा या पूरी जमीन उसको ट्रान्सफर या सबलेटिंग कानूनी धाराओं के खिलाफ थी तो ऐसी सूरत में जो उस जमीन को गलत रूप से सबलेटिंग कानून की धाराओं के खिलाफ थी तो ऐसी सूरत में जो उस जमीन को गलत रूप से ट्रांसफर करने वाला है और जो कि उस जमीन को गलत रूप से सबलेटिंग करने वाला है, उस आदमी को भी उस जमीन से हटा दिया जायगा बेदखल कर दिया जायगा, और उस आदमी को भी जिसने गलत सबलेटिंग को एक्सेप्ट किया है और गलत ट्रान्सफर की हुई जमीन को एक्सेप्ट किया है, तो उस आदमी को भी अगर जमीन उसके कब्जे में है तो उस जमीन को भी, उसके कब्जे में नहीं रहने दिया जायगा, और उसको उसको उस जमीन से बेदखल किया जायगा। यह व्यवस्था, माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ के जरिये इस कानून में करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी व्यवस्था कोई कानून में नहीं रहती है तो जो धारायें सबलेटिंग के बारे में जो सरटन रेस्ट्रिक्शन्स हैं, याद हो तो पांच साल के लिए सबलेटिंग कर सकते हैं, और पांच साल के बाद में दो साल तक जिसने सबलेट किया है, परसन कल्टीवेशन नहीं करता है, और फिर सबलेटिंग कर देता है, तो उसके ऐसी बन्दिश हमने कानून में लगाई हैं और अगर उनको कानून में बनाये रखे और

[श्री नाथूराम मिर्धा]

गलत तरीके से सबलेटिंग होता रहे, मोर्टगेज, ट्रान्सफर, सेल के तरीके जो हमने कानून में लिख दिये हैं अगर वे तरीके ठीक तरीके से न बरते जांय तो उनकी वैसे रोकथाम करने के लिए हमारे पास कोई लीगल सेक्शन न हो, तो इस कानून में उन सारी धाराओं का समावेश करना व्यर्थ हो जाता है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए क्लॉज़ १२८ में हमने व्यवस्था की है कि यदि इस प्रकार का गलत ट्रान्सफर हुआ है या सबलेटिंग हुआ है तो सरकार या लेन्ड होल्डर जो उन बातों को नहीं चाहते हैं, या वे बर्दाश्त न करें तो उनके लिए कानून का रास्ता खुला है। वे अदालत में आकर इस बात की चाराजोई कर सकते हैं, और उसका तरीका भी हमने इस क्लॉज़ में पेश, किया है। सब क्लॉज़ २ के अन्तर्गत हमने यह अधिकार दिया है कि जिस आदमी को, अगर वह लेन्ड होल्डर है तो लेन्ड होल्डर को और स्टेट है, सरकार खुद लेन्ड होल्डर है, यानि वह जमीन खुद सरकार की है तो तहसीलदार या उस इलाके के तहसीलदार जिसमें ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही हुई है, तो उसको यह अख्तियार है है कि अगर सरकारी जमीन है तो खुद तहसीलदार और अगर गैर सरकारी जमीन है या किसी लेन्ड होल्डर की जमीन है, तो उसकी अर्जी पर उस आदमी को नोटिस देगा कि जिसने गलत तरीके से ट्रान्सफर किया है या सबलेटिंग किया है। तो यह व्यवस्था सब क्लॉज़ (२) में है।

सब क्लॉज़ (३) इस बात की व्यवस्था करता है कि वह तहसीलदार उसको भी नोटिस देगा, कि जिसको कि गलत तरीके से ट्रान्सफर हुई है या जिसने अपने हक में ट्रान्सफर करवाया है जो कि उस जमीन में काबिज़ होने वाला है उस गलत सबलेटिंग के जरिये और गलत ट्रान्सफर के जरिये, तो उसको भी तहसीलदार नोटिस देगा, और सब क्लॉज़ (४) क्लॉज़ १२७ में यह व्यवस्था की है कि जैसा कि नोटिस का समय निर्धारित है उस समय में आदमी हाजिर होकर नोटिस को कन्टेस्ट करना चाहता है और यह कहता है कि ट्रान्सफर हमने सही किया है, सबलेटिंग सही किया है, और जिसको सबलेट हुआ है वह कहता है कि यह बिलकुल सही है, और जिसको ट्रान्सफर हुआ है वह भी कहता है कि कानून के खिलाफ नहीं है, वाजिब हैं तो उस वक्त तहसीलदार क्या करेगा ? वह नोटिस की कार्यवाही असिस्टेन्ट कलेक्टर को ट्रान्सफर कर देगा, फोरवर्ड कर देगा। और फिर उस असिस्टेन्ट कलेक्टर के सामने जाने के बाद वह प्रासिडिंग्स जो नोटिस तक हुई है, वह सूट के रूप में परिणत हो जावेगी और उस सूट में फिर हमने प्रोविज़ो के जरिये यह व्यवस्था की है कि अगर वह सरकारी जमीन है, जिसका गलत सबलेटिंग और गलत ट्रान्सफर हुआ है तो सरकार की तरफ से कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है, किन्तु अगर लेन्ड होल्डर की जमीन है तो उस पर कोर्ट फीस देनी पडेगी। और तब ही वह प्रोसिडिंग्स सूट के रूप में परिणत होगी।

सब क्लॉज़ पांच के जरिये यह व्यवस्था की है कि अगर इस नोटिस से रेस्पोन्स न हो, अगर वे हाजिर नहीं हों या हाजिर होजाते हैं तो "If no such appearance is made or if appearance is made and the notice is not contested..."

हाजिर नहीं होता है, या हाजिर हो जाता है और या कहता है कि नहीं साहब, यह वास्तव में गलत ट्रान्सफर हुआ है, या गलत सबलेटिंग हुआ है, उसकी खिलाफवर्जी होती है, उज्र नहीं करता

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है तो तहसीलदार उस सारी कार्यवाही को असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास भेजेगा, उस असिस्टेंन्ट कलेक्टर को जिसके हल्के में गलत प्रयोग किया गया है, सबलेटिंग और ट्रान्सफर का।

तो ये सारी व्यवस्थायें हमने इस क्लॉज़ १२८ में की है और जिसको संशोधित रूप में इस सदन के सामने पेश किया गया है इस आशय से कि जो कानून हम बनाते हैं उनका हमें ठीक तरह से पालन करवाना है। तो उस ठीक तरह से पालन करवाने के लिए अगर हम पीछे कोई सेन्कटीटी या फोर्स नहीं रखते हैं, किसी कानून के जरिये, तो उन क्लॉज़ेज़ों का उल्लंघन बाजवक्त होगा अ मिसयूज़ उन धाराओं का होगा तो हमारा उन धाराओं को रखना बेकार होगा। इसलिए यह कड़ी सजा है, उन आदमियों को, जो कानून की धाराओं के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसलिए माननीय चेयरमेन साहब, यह प्रस्ताव जो मैंने सदन के सामने संशोधन के रूप में रखा है, मैं आशा करता हूँ कि सदन के सब सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन....

श्री सभापति—जो अमेंडमेंट आये हैं वे आपने (राजस्व मंत्री) देख लिये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No. Let him (Shri Moti Lal Cho d)hrwy move.

श्री सभापति—I have got an amendment from Shri Moti Lal Chowdhry. I allow him to move his amendment.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, जो अमेंडमेंट मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उस अमेन्डमेन्ट के पहले क्लॉज़ में मेरा अमेन्डमेन्ट है वह निम्न प्रकार है ;

'If a tenant' के बाद 'or land holder or Khudkasht holder' रखा जाय। यानि 'टिनेन्ट' व 'ट्रान्सफर', इन दोनों शब्दों के बीच ये शब्द 'or land holder or Khudkasht holder' एड किए जांय। फिर यह सब क्लॉज़ (१) इस प्रकार हो जायगा :

"If a tenant or landholder or Khudkasht holder transfers or sublets the whole or any part of the holding......"

मेरा इस अमेन्डमेन्ट के रखने का मकसद यह है कि इजेक्टमेन्ट के इल्लीगल टर्म्स पर जो सबलेटिंग के जो क्लॉज़ हैं, सबलेटिंग या ट्रान्स्फर टिनेन्ट करे जैसा कि माननीय सदस्य का अमेंड-

[श्री मोतीलाल चौधरी]

मेन्ट है। टिनेन्ट सबलेटिंग का इल्लीगल ट्रान्सफर करें उनके लिये क्या क्या पेनेल्टी होगी, इस क्लॉज में रखी गई है। सिर्फ टिनेन्ट ही यहां क्यों रखा जाय। लेन्ड होल्डर या खुदकाश्त होल्डर भी यदि इल्लीगल ट्रान्सफर करें, इल्लीगल सबलेटिंग करें उसके लिए पेनेल्टी होनी चाहिए। शुरू से मैं यह कहता आया हूं कि हम एक तरफ तो खातेदार टिनेन्ट को इस क्लॉज की मातहत पेनेल्टी देते हैं। लेन्ड होल्डर और खुदकाश्त होल्डर जो जमीन के मामले में हमेशा से मिडिल क्लास का काम करती आई हैं, जिन्होंने जमीन के ज़रिये से अन्याय पूर्वक या न्याय पूर्वक बहुत फायदा उठा लिया है उनको हम इस प्रकार की पेनेल्टी से छोड़ते जा रहे हैं। खातेदार टिनेन्ट्स के पास जमीन नहीं रहेगी तो वह सब लेटिंग के रूप में इल्लीगल ट्रान्सफर्स करेंगे इस तरह से खुदकाश्त होल्डर के पास जमीन नहीं रहेगी। जागीरी रिजम्प्शन के बाद भी खुदकाश्त के नाम से हजारों बीघा जमीन खुदकाश्त के रेकर्ड में दर्ज करवा दिये गये हैं तो क्या उनसे सबलेटिंग इल्लीगल होने पर उनसे पेनेल्टी नहीं ली जायगी, तो इससे कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। जो खुदकाश्त होल्डर या लेन्ड होल्डर इस प्रकार से इल्लीगल सब लेटिंग करेंगे तो इस क्लॉज के मातहत, इस कानून के मातहत, कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।

माननीय चेयरमेन, मेरे संशोधन को एड करने के बाद में यह उनके ऊपर भी लागू हो जायगा, जो लेन्ड होल्डर या खुदकाश्त होल्डर अगर इल्लीगल सबलेटिंग या ट्रान्सफर करेगा तो क्लॉज ३७ और ३६ के विरूद्ध ट्रान्सफर करेगा तो उसको भी पेनेल्टी देनी होगी। तभी कुछ इस क्लॉज का मकसद पूरा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं हाउस से माननीय चेयरमेन, आपके जरिये निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस अमेन्डमेन्ट को जरूर स्वीकार करें। मेरे अमेन्डमेन्ट के बाद यह इस तरह से पढ़ा जायगा।

"If a tenant or landholder or Khudkasht holder trasnfers or sublets the whole or any part of the holding......"

श्री कपिलदेव अग्रवाल—'Landholder.' काट दीजिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—All right ; "If a tenant or Khudkasht holder..."

श्री जवानसिंह—क्या आपने अपना माइन्ड मेक अप कर लिया है ?

श्री मोतीलाल चौधरी—आप अपने माइन्ड को मेक अप कर लीजिये, सब लेटिंग आपका मिट जायगा।

(श्री लालसिंह शक्तावंत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी मेड़ता से आये हुए मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है, उस सम्बन्ध में मेरी यह राय है कि इसका बेसिक अप्रोच ही बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री कपिलदेव अग्रवाल को संबोधित करते हुए)

You do not want to move your amendment ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—He declines to move his amendment.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—No, no. I will move another amendment in the amendment moved by Mr. Nathu Ram Mirdha.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the position ? He wants to move his amendment or declines to do so ?

श्री उपाध्यक्ष—That he declines. Now he wants to move a new amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Till that new amendment comes into existence...

श्री उपाध्यक्ष—That has been dropped. He does not move his previous amendment, but this new amendment............

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, मेड़तासे आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट मूव किया, जहां तक उस अमेंडमेंट की भावना का प्रश्न है मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं और कुछ हद तक नहीं। जहां तक उसकी भाषा का प्रश्न है मैं उससे सहमत नही हूँ। अभी कल सदन में हमने क्लॉज़ १२६ पास किया है। जो भाषा का प्रयोग हमने उसमें किया है आज उसी किस्म का दूसरा क्लॉज़ जब पास करने जा रहे है तो कम से कम इस एक्ट को देखते हुए और भाषा की कानूनी स्थिति को देखते हुए हमको यह चाहिये था कि जो भाषा उस १२९ वें क्लॉज़ की है उसी किस्म की भाषा १२८ में भी कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मैं सदन को बतला देना चहता हूं, कि माननीय मिर्धाजी ने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें वे कहते हैं कि तहसीलदार नोटिस देगा जो गवर्नमेन्ट की डाइरेक्ट लेन्ड्स है उसके सिलसिले में चाहे टिनेन्ट कॉन्टेस्ट करे या न करे; दोनों सूरतों में वह पूरा रेकार्ड, पूरे कागजात असिस्टेंट कलेकटर के पास भेज दिये जायेंगे, वहां तहसीलदार सिर्फ एक नोटिस देने की कार्यवाही करेगा। कोर्ट फीस वगैरह और लेंड होल्डर की दरखास्त पर जो भी कार्यवाही होगी, वह असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट में होगी जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था

Page No.61

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

कि आखिर तहसीलदार द्वारा नोटिस देने कि क्या आवश्यकता है ? पहले तो तहसीलदार नोटिस दें, फिर उसका जवाब ले, और अगर जवाब नहीं दे तो सारे कागज असिस्टेंट कलेक्टर के पास भेज दिये जावें। अगर जवाब दे तो भी सारे कागज असिस्टेंट कलेक्टर के पास भेज दिये जांय। यह सब कार्यवाही और इस सारे सेक्शन की भाषा वही होनी चाहिये जो क्लॉज़ १२६ की है, यह तभी हो सकता है जब कि मैंने जो अमेंडमेंट सदन के सामने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

मेरा अमेंडमेंट यह है कि :

"In sub-clause (1), insert 'on the application of the landholder' between 'shall' and 'be liable' ".

श्री हरिकृष्ण व्यास—Add in the original or as suggested by Shri Mirdha ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—As suggested by Shri Nathuram Mirdha. तो

"In sub-clause (1) insert the words 'on the application of the landholder' between 'shall' and 'be liable' ".

(b) Omit sub-clause (2).

(c) In sub-clause (3), substitute :

"To every application under this section, the transferee or the sub-tenant, as the case may be, shall be joined as a party."

(d) In sub-clause (4), omit "in response to the notice issued under sub-section (2) or sub-section (3)".

(e) For the words 'therein' substitute 'in the notice'.

(f) For the words "the notice is contested" substitute the words "liability to ejectment is contested".

(g) For the words 'Tehsildar' shall proceed...ejectment", substitute "the Court shall, on payment of proper court fee, treat the application to be a suit and proceed with the case as a suit."

(h) In the proviso, substitute 'application' for 'notice' and 'made by Tehsildar in the case of land held directly from the State Government', for this substitute 'issued by the Tehsildar suo moto.'

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

(i) In sub-clause (5), for the words "notice" substitute "liability to ejectment"; for the words "tehsildar" substitute "court," and for the words "forward to the S. D. O. having jurisdiction" etc. substutite "for such order on the application as the Court may deem proper."

तो इसका नतीजा यह निकला, माननीय उपाध्यक्षजी, कि बजाय तहसीलदार के कोई नोटिस इश्यू करे तो दी कोर्ट ऑफ दी असिस्टेन्ट कलेक्टर लैंडड होल्डर की एप्लीकेशन पर इश्यू करे। अगर राइट्स नहीं है तो....

श्री जवानसिंह—पूरा क्लॉज़ आप अपने अमेंडमेंट के माफिक पढ़ दें तो अच्छा हो।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह कम्बर्सिव हो जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपके लिए कम्बर्सिव हो जावेगा तो हमारे लिए आसान हो जावेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं तो आप हीं के लिए कह रहा था कि आपके लिए कम्बर्सिव हो जावेगा। मेरे लिये नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अच्छा उसको टोलरेट करिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अच्छी बात है। अब आप ध्यान से सुन लेना साहब।

श्री भैरोंसिंह—ध्यान से बोलना।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—छोटी छोटी बातों में आप लोग मुझे हैरान करते हैं। (हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—गलत मत पढ़ना।

"(1) If a tenant transfers or sublets the whole or any part of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the transferee or sub-lessee has entered upon or is in possession of such holding or such part in pursuance of such transfer or sublease, both the tenant and any person who may have thus obtained, or may thus be in, possession of the whole or any part of the holding, shall, on the application of the landholder, be liable to ejectment from the area so transferred or sublet."

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

(2) is omitted.

"(3) To every such application under this section, the transferee or the sub-tenant, as the case may be, shall be joined as a party.

"(4) On an application having been made under this section the Court shall issue a notice to the opposite party to appear within such time as m specified therein and show cause why he should not be ejected from the area so transferred or sublet.

(5) If in response to the notice issued......"

"If in response to the notice issued......"

"If in response to the notice......"

(हंसी)

"If in response, appearance is made within the time specified in the notice, and the liability to ejectment is contested, the Court shall, on payment of the proper court fee, treat the application to be a suit and proceed with the case... .."

श्री हरिकृष्ण व्यास—Just a moment. Please excuse the interruption. You said 'If in response appearance is made", but if I heard correctly, in the original amendment you have deleted 'in response'. Which is correct ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Mr. H. K. Vyas is right. "If appearance is made within the time specified in the notice the Court shall on payment or the prope court fee......"

"liability to ejectment is contested; the Court shall on payment of proper court fee, treat the application to be a suit and proceed with the case as a suit.

Provided that in the event of the application having been made by a Tehsildar in respect of land held directly from the State Govenment, no court fee shall be payable."

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"If no such appearance is made or if appearance is made and the liability to ejectment is contested, the Court shall, pass such order on the application as it may deem proper."

तो यह इसकी भाषा इस अमेंडमेंट के बाद होगी जिसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे खयाल से अब अच्छी तरह खास तौर पर समझ पाये होंगे।

श्री जवानसिंह—बहुत मुश्किल है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह तो मुझको पहले से ही मालूम है।(हंसी) पर फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा और समझाने का प्रयत्न करूंगा।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, यह अर्ज मैं कर रहा था कि इस अमेंडमेंट के बाद जो क्लॉज़ १२९ हमने पास किया है उसी के मुताबिक यह क्लॉज़ १२८ भी हो जावेगा, और इसकी भाषा काफी अच्छी होगी और उसी किस्म की होगी जैसी हमने क्लॉज़ १२९ में पास की थी।

इसके साथ ही यहां हम इस बात से भी बच जावेंगे कि तहसीलदार को हमने बिना काम ही बीच में पोस्ट ऑफिस के रूप में जो काम में लेने के लिए लगा दिया था, कि वह महज नोटिस दे और नोटिस ले, जवाब ले और दे कि लैंड होल्डर की दरख्वास्त पर जवाब आया या नहीं और फिर कागज ऊपर फार्वर्ड करदे, तो इस सब चीज से भी बच जावेंगे। गवर्नमेंट का लैंड हो या लैंड होल्डर का लैंड हो, असिस्टेन्ट क्लेक्टर की कोर्ट में दरख्वास्त दी जावेगी और मेड़ता से आने वाले सदस्य की इच्छानुसार कोर्ट में पेशी भी होगी और सारी बातें होंगी। और जो डीडवाना से आये माननीय सदस्य ने खुदकाश्त होल्डर की बाबत अपने सुझाव दिये हैं वे वाकई वाजिब हैं और उसका मैं समर्थन करता हूँ।

लेकिन एक प्रश्न जो अभी मैं समझ नहीं पाया हूं और जैसा कि मैंने शुरु में ही अर्ज किया था कि मैं कुछ बातों को जो माननीय मेड़ता से आने वाले सदस्य हैं उनसे सहमत हूं, और कुछ से नहीं हूं। उनका एक मतलब यह था कि अगर एक टिनेन्ट इस एक्ट की प्रोविजन्स के खिलाफ अपनी जमीन ट्रान्सफर कर देता है तो जिस शख्स ने पैसा दिया है और उसका कब्जा लिया है, तो उसका नुकसान जो कुछ हुआ वह ट्रान्सफरी का हुआ, क्योंकि इजेक्ट जो होगा तो ट्रान्सफरी होगा कि जिसने वेलिडली पेमेन्ट किया है। जिस शख्स ने कानून की खिलाफवर्जी दरअसल में की है उसके लिए इसमें कोई सजा मुकर्रर नहीं की गई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं और स्पष्ट कर दूं कि अगर एक टिनेन्ट कानून के खिलाफ अपनी जमीन किसी को बेचता है या गिरवी रखता है या गिफ्ट करता है या और किसी तरह से इल्लीगली ट्रान्सफर करता है, तो इस धारा में यह

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

प्रोविज़न मिलता है कि जिसकी वजह से ट्रान्सफरी को घाटा पड़ता है । जिस शख्स ने पैसा ले लिया है । गलती से बेच देता है, उसको क्या नुक्सान दिया जाना चाहिए ? इजेक्ट तो वह अपने आप ही हो गया । उसने पैसा ले लिया । लेन्ड उसके पास नहीं है । उसको कोई नुकसान नहीं है । उसने ट्रान्सफर गिफ्ट के जरिये कर दिया है, सेल के जरिये कर दिया है, लीज़ के जरिये कर दिया है उसको किसी किस्म का दण्ड नहीं देते हैं । और दण्ड दिया जाता है, जिसने कि बोनाफाइडली उस जमीन को खरीद लिया है । तो मैं यह अर्ज करता हूँ कि प्राइमरी ड्यूटीज़ मेरे खयाल से तो यह होनी चाहिए कि जिसने इल्लीगली ट्रान्सफर किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, न कि जिसने इल्लीगली खरीदा है या कान्ट्रेक्ट या ट्रान्सफर या एग्रीमेंट के जरिये जो कि सेकन्ड रेट पार्टनर है, क्योंकि जिम्मेवारी उस टिनेन्ट की है कि कानून की खिलाफवर्जी नहीं करे । जितने भी अधिकार या लाइबिलीटीज़ जितनी दी हैं, इस कानून के जरिये से वह थर्ड परसन को नहीं बल्कि टिनेन्ट को दी हैं । इसलिए उस टिनेन्ट की जिम्मेवारी है कि वह कानून के खिलाफ जमीन को ट्रान्सफर नहीं करे । वह कानून के खिलाफ सब-लेट नहीं करे । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से सदन को बताना चाहता हूं कि मानलीजियेगा कि आप जब ५ साल के लिए सब-टिनेन्सी की इजाजत देते हैं, और टिनेन्ट १५ गुना या २० गुना या कितना ही गुना आप लेकर उसको ६ साल तक सब-टिनेन्ट रहने देते हैं तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह पूछना चाहता हूँ कि उस टिनेन्ट को क्या सजा मिले कि जिसने जान-बूझकर कनाइवेन्स के साथ अपने सब-टिनेन्ट को ६ साल तक रहने दिया, सजा तो आप उसको दे रहे हैं जो काबिज़ है, जो पांच साल से ज्यादा काबिज रहता है उसको इजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस शख्स ने पैसा लेकर सब-टिनेन्ट को कायम रहने दिया उसको कुछ नहीं कहना चाहते । उसको तो फायदा ही फायदा हुआ । कुछ घाटा नहीं पडता है और दफा १२८ में कुछ सजा भी नहीं देना चाहते हैं । तो दोनों ही तरीके पर कनाइवली सब-लेटिंग और इल्लीगल ट्रान्सफर के लिए इस क्लॉज़ में वह क्लॉज़ नहीं रखी कि जिसकी वजह से ट्रान्सफरर को या लेन्ड होल्डर को जो वह टिनेन्ट जो कि सब-टिनेन्सी को कायम रखे वह कुछ कनाइव करता है उसको क्या सजा देना चाहते हैं, और किस तरह से उसका प्रतिकार करना चाहते हैं ? तो मैं मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य से और माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, कि इसके लिए स्पष्टीकरण करें कि ऐसे आदमियों को क्या सजा देना चाहते हैं, और किस तरह से एक पार्टी को पनिश करना चाहते हैं और ऐसा पनिशमेंट देना चाहते हैं कि जिससे उनका रुपया भी गया और उनकी जमीन भी गई उनका एग्रीमेंट वाइड हुआ, और कोई नतीजा नहीं निकला, और जो दूसरा कसूर करता है उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं देना चाहते हैं । जो ओरीजिनल धाराएं जब सिलेक्ट कमेटी में यह आया तो वहां कम से कम यह बात मान ली गई थी । माननीय उपाध्यक्ष, अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें यह था कि जो कम्पेन्सेशन लेन्ड होल्डर या टिनेन्ट को मिलने वाला है, उस पर कुछ रेस्ट्रिकशन्स हों गलत कार्यवाही करने के लिए, लेकिन हमने उसको खोल दिया, छूट दी है कि अगर कोई कनाइव करना चाहता है, इल्लीगली ट्रान्सफर करना चाहता है, तो इसमें कोई खतरा नहीं है । खतरा अगले पर है जो कि ज्यादा दिनों तक सबलेट रखे ।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

दूसरी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि खन्ड ३६ और ३७ में इस बात के लिए कानून बनाया है कि ५ साल से ज्यादा सब-लेटिंग नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ ५ साल से ज्यादा सब-लेटिंग करे तो कोई पेनाल्टी नहीं रखी। माननीय उपाध्यक्ष जी, पेनाल्टी रखी है तो यह रखी है, कि सब-टिनेन्ट वापिस होगा उस टिनेन्ट का क्या होगा? यह नहीं मालूम, माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जो कुछ क्लॉज़ १२८ है इसकी भावना जैसी कि इसकी भाषा दुरुस्त नहीं है, वैसी ही गलत है। जिस गलती को यह रोकना चाहते हैं वह गलती इस क्लॉज़ से रुकती नहीं है। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति में मौजूदा अमेन्डमेन्ट जो माननीय मेडता से आने वाले सदस्य ने किया है वह इसकी गम्भीरता को देख कर विचारेंगें। और इसके अलावा अपना कोई फ्रेश अमेंडमेंट देगें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, मैं उसूलन उसको गलत मानता हूं और मैं यह चाहूंगा कि सदन इस प्रश्न पर काफी सन्जीदगी और गम्भीरता से विचार करे यह बात सही है कि काफी अर्से तक टिनेन्सी बिल के दिमाग में घूमते घूमते अब शायद दिमाग कुंठित होने की स्थिति कुछ माननीय मित्रों की आ चुकी होगी। लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, और कम से कम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें कि जहां इसी बिल की एक से दूसरी क्लॉज़ परस्पर विरोधी हम पास करते चले जायं।

श्री जवानसिंह—इसीलिए आप रेस्ट करने के लिये बाहर गये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे तो रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं तो टॉपष्टील वाले लोगों में से हूं। रेस्ट की तो उन्हें आवश्यकता है जो कि रेस्ट के जरूरत से ज्यादा आदी रहे हैं या उनको आवश्यकता है कि जिनके दिमाग कुंठित हो गये हैं।

(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) मैं अर्ज कर रहा था, माननीय उपाध्यक्षजी, कि इस बिल में परस्पर विरोधी क्लॉज़ेज़ नहीं रखें। और वे कैसी हैं? मैं आपका ध्यान क्लॉज़ ११ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। न सिर्फ क्लॉज़ ११ बल्कि क्लॉज़ ११ को पास करते समय जो बहस हुई थी इस सदन में, उस बहस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्लॉज़ ११ के भाग (२) को गौर से आप पड़े तो उसमें यह लिखा है :-

"Where land istransferred in contravention of sub-section (2) of section 8, the transferee shall become a khatedar tenant thereof." लीज के जो देने का सवाल है वह क्लॉज़ ११ (ए) डील विथ करता है, और वह डिलीट कर दिया। जहां तक मुझे याद है that was deleted. अब संशोधन जो माननीय मेड़ता से आने वाले मेरे मित्र ने रखा है...

Page No.67

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ट्रान्सफर यदि इल्लीगल कर दिया गया तो both the transferee, and the tenant, which as amended by virtue of the amendment of the other Hon'ble member from Didwana, becomes a tenant and khudkasht holder; both of them will be liable to ejectment. अब कल किसी कोर्ट के सामने मामला जायगा तो वह हैरान हो जायगा क्लॉज़ ११ के मातहत ट्रान्सफर जो है he becomes a khatedar tenant और क्लॉज़ १२८ के मातहत he is liable to ejectment.,, किस को मानेंगें। यह तो हुई कांट्राडिक्शन की बात।

अब प्रश्न दूसरा आता है उसूल का। नीम के थाने से आये हुए माननीय सदस्य का सारा ध्यान, आवश्यकता से अधिक ध्यान, प्रोसिजर और भाषा की ओर गया लेकिन प्रोसिजर और भाषा गौण चीज है, कम महत्व की चीज है, उसूल बड़े ही महत्व की बात है और वे उसूल क्या हैं? इस क्लॉज़ को अमेन्डेड रूप में पढ़ने के बाद मुझे हंसी आई, इस वजह से, कि इसमें जो शब्द हैं, वे विचित्र से मालूम होते है। एक थोड़ा सा इशारा एक माननीय मित्र ने किया कि यदि कोई किसी को इल्लीगल या कायदे के बर-खिलाफ ट्रान्सफर करदे तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसको इजेक्ट कर देंगे? कहांसे इजेक्ट करदेगें जमीन को उसने ट्रान्सफर कर दिया वह तो वोलेन्टरिली इजेक्ट हो गया और जो कंसीडेशन उसको लेना था वह ले चुका उसने गैर कानूनी काम किया, कंसीडेशन लेचुका, वोलन्टेरिली इजेक्ट हो चुका। उसके बाद अब हम पेनल्टी देने चले और मुझे यह ख्याल आता है कि बिल मे से सांप निकल गया तो परवाह नहीं, पर उसके बिल को तो सीमेन्ट से बूरेंगें। आप सीमेन्ट से नहीं शीशे दे बूरें, पर इससे ट्रान्सफर करने वाले का क्या होगा? आप कहेगें कि 'he will be liable for ejectment' वह कहेगा सौ बार करो, मेरा क्या बिगड़ेगा! माननीय सदस्य ने इशारा किया था, लेकिन न मालूम क्यों डरते डरते।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप का ख्याल और परिभाषा ही गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) अब इसका मतलब यह होगा कि ट्रान्सफर करने वाला करता है जुर्म और जो उस जमीन को हांसल करता है he may also be a bonafibe person. यह मुमकिन है कि वे दोनों कॉलिजरेसी करके चाल करें, लेकिन यह भी मुमकिन है कि खरीदनेवाला या ट्रान्सफर स्वीकार करनेवाला बोनाफाइडी किसान है। हम अपना न्याय उस तरफ रखते है कि ट्रान्सफर करनेवाला जो है उसको छोड दें, तो कोई बाधा नहीं, लेकिन यह जो बोनाफाइड पर्सन ट्रान्सफर स्वीकार करता है, उसके बारे में कहते हैं कि he will be liable for ejectment; यह कोई न्याय हुआ? यदि खुद ट्रान्सफर खातेदार टिनेन्ट बन जाता है तो १२८ के अनुसार इल्लीगल ट्रान्सफर क्यों करे। उसमें भी ट्रान्सफरी को खातेदारी हक देने का प्रोविजन रखना चाहिये। ट्रान्सफर करनेवाले को सजा दें, लेकिन जो ट्रान्सफर स्वीकार करता है उसने मुमकिन है मेलाफाइड इन्टेन्शन से नहीं किया हो। किसी के भी पास जमीन जायगी तो वह उस पर काश्त करेगा यदि नहीं करेगा तो युटेलिजेशन कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लीज पर लगातार देगा तो भी उससे छीनली जायगी इसलिये यदि मेलाफाइड ट्रान्सफर किया है तो भी ट्रान्सफर करने वाले को सजा देनी चाहिये। ट्रान्सफरी के अधिकार तो उस जमीन पर मानलें तो कोई बात नहीं है।

अब आप गौर फरमावें लीज के कानून पर। मुझे ताज्जुब है कि जिस बिल को लगातार प्रोग्रेसिव बनाने की धमकियें उधर बैठनेवाली पार्टी के चीफ विप ने बहस की शुरूआत में दी थी उसको इतना प्रोग्रेसिव बनाया जारहा है कि बिल के क्लॉज़ १२८ को (१) (बी) जो है वह सब लेटिंग के कुछ अधिकारों को तकसीम करता है। वह कहता है:

"The sublessee shall be entitled to apply for the acquisition of Khatedari rights in the land after the lapse of six months from the date on which the term of sublease fixed in accordance with the provisions of this Act expires."

मेड़ता से आये हुए माननीय मित्र ने कहा कि इस बिल को प्रोग्रेसिव बनाया जाय इसलिये इस बेचारे सब लेसी का जो थोड़ा सा अधिकार तसलीम सब-क्लॉज़ (१) पार्ट (बी) में किया गया था, उसका भी गलत मोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे आपके जरिये, और माननीय राजस्व मंत्रीजी से भी, कि आप इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे तो क्या होगा। आप कहते हैं कि इस एक्ट की धाराओं के खिलाफ सब लेट कर देंगे। क्या है वह धारा? ५ साल से ज्यादा के लिये आप जमीन किराये पर नहीं दे सकते। उसके बाद कम से कम २ साल तक खुद काश्त करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करता है तो उस धारा के विरुद्ध एक लीज दे रहा है अर्थात् जो आदमी ५ साल से खेती करता है, लेकिन पांच साल से ज्यादा अरसे तक लगातार अपनी जमीन को किराये पर देता रहा, वह अपने आप को चाहे खुद काश्त के नाम से दर्ज करावे, चाहे उसने खातेदार को नाम दर्ज करा लिया हो लेकिन वह दर असल में काश्तकार नहीं है। वह रेन्ट कमाने वाला है, एकसेन्टी काश्तकार है, इस उसूल को माना है। दूसरी ओर एक काश्तकार ५ साल के लिये एक काश्तकार से जमीन ले किराये पर, और इस एक्ट को भंग किया। ५ साल ही नहीं बल्कि पांच साल से ज्यादा समय तक वह काश्त कर रहा है तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिये उसके प्रति हमारा? जो असली काश्तकार को अधिकार देना चाहता है और रेन्टियर क्लास के हाथ से अधिकार छीनना चाहते हैं उनका दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि ५ साल की अवधि के बाद भी लीज पर देता है तो लीज पर देने वाले रेन्टियर को बेदखल करें लेकिन ५ साल से ज्यादा-समय के लिये उस जमीन पर जिसने काश्त की है वह असली काश्तकार है। मैं कहता हूं कि वह काश्तकार है।

By all standards of law he is a Kashtkar, by all standards of morality he is a kashtkar, by all standards of Justice he is a kashtkar.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

५-७ साल तक जो आदमी काश्त कर ले, उसको आप काश्तकार नहीं मानेंगे, उसको आप खातेदार के अधिकार नहीं देंगे, उसका जमीन की कुछ सीमा पर कब्जा है, उसको ऑफ टेन्योर नहीं देंगे तो वह किस बुनियाद पर और किस उसूल पर ? अब क्लॉज़ १२८ यह कहता है कि लीज़ देने वाला और लीज़ लेने वाला दोनों इजेक्टमेंट के लिए लायेबल हैं। यह हम गलत उसूल कर रहे हैं। हम असली काश्तकार और रेन्टियर को एक ही जोड़ में मिलाकर यह कर रहे हैं। रेन्टियर काश्तकार को दरअसल में बेदखल करना चाहिये, चाहे वह लैंड होल्डर के नाम से खुदकाश्त की जमीन हो या खातेदार के नाम से दर्ज हो। "If they do not till the land, lease it, lease it by habit, they are not kashtkars but they are" इसके खिलाफ आप कानून बनावें, लेकिन लगातार काश्त करने वाले जो हैं, उनके खिलाफ आप कानून बनायेंगे तो उसका तात्पर्य यह है कि इस एक्ट के खिलाफ लीज दिया जा रहा है। उसका मतलब यह नहीं कि दोनों ही गुनहगार हैं। इसका मतलब यह है कि लीज़ देने वाले की गलती है, लेकिन जिसने लीज़ ली, उसने ५ साल से ज्यादा लीज़ ली या ७ साल तक काश्त किया, तो उसके लिए दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि उसको फायदा मिले, जमीन पर उसका पर्मानेन्टली कब्जा मिले। इस वजह से मैं दरख्वास्त करूंगा, कि इस सारे के सारे क्लॉज पर गम्भीरता से विचार किया जाय और फिर से विचार किया जाय। इसे पोस्टपोन किया जाय। न सिर्फ इसलिए कि यह क्लॉज़ कॉन्ट्राडिक्शन का क्लॉज़ रखता है, बल्कि इसलिए कि सारे के सारे एप्रोच को तोड़ता है और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि क्लॉज़ ११ को पास करते समय जो डिबेट हुई थी सदन में, उस समय माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कुछ शब्द कहे थे। जब परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, (वे हैं तो किशनगढ़ के) ने संशोधन रखा और उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार के मेलाफाइड ट्रान्सफर को क्यों रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो रेवेन्यु मिनिस्टर ने कहा था कि यह मुमकिन है कि कुछ केसेज़ में यह मेलाफाइड होकर प्रेजेन्ट प्रोप्राइटरशिप, खातेदारी की नई क्लास तात्कालिक तौर पर क्रियेट करेगा। उनमें से तात्कालिक तौर पर जो मेलाफाइड ट्रान्सफर करने वाले, गैर कानूनी ट्रान्सफर करने वाले हैं उनसे जमीनें छीनना यह न्याय संगत होगा। वह स्टेन्डर्ड हम भूलें नहीं, उस आर्टीकल को बदलें नहीं, और इस पूरे के पूरे क्लॉज़ के उसूल हैं उनको संशोधित करना पड़ेगा, सब लेटिंग और ट्रान्सफर के अधिकार पर कन्सीडर करना पड़ेगा।

इन सब बातों के समावेश के लिए यह जरूरी है कि इस सारे के सारे क्लॉज़ को स्थगित कर दें, और एक नया संशोधन कोई साथी प्रस्तुत करें। कोई नये नहीं हो तो मैं डीडवाने से आये हुये मित्र को दावत देता हूँ जिन्होंने यह धमकी दी थी कि जैसे जैसे बहस करते जायेंगे, हम लगातार इस कानून को प्रगतिशील करते जायेंगे, आज उसी प्रगतिशील भावना को पूरा करने के लिए, उस धमकी को पूरा करने के हेतु वे इस प्रकार का संशोधन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ इन संशोधनों का और इस क्लॉज़ का विरोध करते हुए मैं इसे डिफर करने की मांग करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज के सम्बन्ध में एक संशोधन मेडता से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, दूसरा संशोधन डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और फिर तीसरा संशोधन नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा। अगर मैं नहीं भूलता हूँ तो ये तीनों ही संशोधन हैं जिन पर ज्यादा चर्चा चली है।

जहाँ तक डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका जहां तक सवाल है, उस संशोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ और इसका कारण मेरे पूर्व वक्ता ने बताया। यह सही है कि जिस वक्त हमने क्लॉज़ ११ पर विचार किया था उस समय इस बात को स्वीकार किया है कि जो खुदकाश्त होल्डर है वह अगर ३६ और ३७ के कॉन्ट्रावेंशन में सब लेटिंग करता है तो उस पर जो सब टिनेन्ट होगा उसको सीधे खातेदारी के राइट्स प्राप्त हो जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सबलेटिंग नहीं, इल्लीगल ट्रान्सफर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह क्लॉज़ ३६ व ३७ का कन्ट्राबेन्शन करता है तो उस पर उस शख्स को खातेदारी राइट्स प्राप्त हो जायेंगे; इस प्रकार ट्रान्सफर का भी किया।

इस वजह से मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया उसमें खुद काश्त होल्डर को १२८ में शामिल नहीं किया क्योंकि इसके लिए हम जो प्रोविजन कर चुके हैं वह डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य के ध्यान में नहीं था, इसलिए उन्होंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूं कि वे अपना सशोधन वापिस ले लेंगे। पीछे कुछ तय किया, इसे छोड़ दिया जाय बाद में लिया जाय और प्रगतिशील और अप्रगतिशील की चर्चाएं इस इश्यू पर करना टीक नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने मान लिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शायद आपको याद नहीं, मैंने मना किया था। आपके कहने से नहीं मान रहा हूं, ऐसा नहीं समझें? दर असल कॉन्ट्राडिक्शन होता है अगर इसे स्वीकार करते हैं तो।

अब सवाल रहा दूसरे बारे में, अगर खातेदार टिनेन्ट अपनी लैंड का ट्रान्स्फर या सबलेट करता है, इन कॉन्ट्रावेन्शन ऑफ प्रीवियस सेक्शन्स, तो उसको बेदखल करने के लिए क्लॉज़ १२८ में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको रखते समय काफी सदस्य जो मिले थे, उनसे चर्चा हुई थी। एक स्थिति की कल्पना करके चलिये कि यह संभव है कि एक टिनेन्ट जिसके पास ज्यादा जमीन है आपस में मिल जुलकर एक ऐसे आदमी को जिसके पास पहले से खातेदारी की जमीन काफी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मौजूद है, खातेदारी का हक होते हुए सीलिंग के प्रयत्नों को डिफीट करने के लिए दे देता है, जब तक चलता है चलता रहा, इस एक्ट के प्रोविजन्स का कॉन्ट्राविन्शन करते हुए ५ साल से ज्यादा समय भी हो जाता है, दूसरे काश्त करते रहते हैं और काश्त करने के बाद अगर हम यह प्रोविजन रखते हैं कि जब तक कॉन्ट्राविन्शन ऑफ दी प्रोवीज़न्स ऑफ दिस एक्ट का नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक तो वह खातेदार बना रहेगा और बाद में जिसके साथ मिलकर इस एक्ट के प्रोविजन्स को कन्ट्रावीन करके उसने अरेन्जमेंट बनाया है उसे खातेदार बना दिया तो इससे तो कोई विशेष असर उस पर नहीं पड़ने वाला है, वह इस एक्ट के प्रोविजन्स को कन्ट्रावीन करके अपना अरेन्जमेंट बनाकर चलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा सजा अगर यह होगी तो उन लोगों को हमारे जो प्रोविजन्स हैं उनको डिफीट करने का मौका मिलता रहेगा। तो ऐसी सूरत में यह आवश्यक है कि अगर वह इन कन्ट्राविन्शन ऑफ दिस एक्ट इस तरह का अरेन्जमेंट करें तो उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिले और सब टिनेन्ट को भी यह रहे कि वह अरेन्जमेंट किया तो मेरे पास से जमीन चली जा सकती है। ऐसी सूरत में सबलेटिंग के चान्सेज़ नहीं रहेंगे।

और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जमीन आखिर जायेगी कहां? गवर्नमेंट के पास जाती है, खालसे के इलाके में या जागीर के इलाके में जिसके पास ज्यादा जमीनें हैं उनके पास से इस तरह इल्लीगल ट्रान्सफर करने की सूरत में अगर जमीनें छीनी जाती हैं तो इसमें सदन को और माननीय सदस्यों को क्या एतराज हो सकता है? गवर्नमेंट उस जमीन को रिज्यूम करके अगर कोई टिनेन्ट ऐसा है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको बेचती है तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? हां, इस तरह की जमीन एलॉट करने का तरीका हो उसमें उसको प्रायोरिटी दी जाय जिसके पास कि जमीन नहीं है तो इसके बारे में गवर्नमेंट तरीका तय करेगी, इन्ट्रक्शन्स दे सकती है। और इस प्रकार के समझौते से जो ज्यादा जमीन रख ली है, जो एक तरह से इस कानून को इन्फक्च्युअस बनाने की कोशिश की है तो उन दोनों को बेदखल करना चाहिये और लैंड रिवर्ट होनी चाहिये और यह अगर गवर्नमेंट एकोर्डिंग टू पोलिसी कर दे तो इसमें कोई अप्रगतिशील जैसी बात नहीं हो रही है।

इल्लीगल ट्रान्सफर करने के बाद वह जमीन उस टिनेन्ट से रिवर्ट हो जाती है, जिसने कि इल्लीगल ट्रान्सफर किया है, इल्लीगल सबलेट किया है। इसमें रखा है कि जिसको ट्रान्सफर की गई है उसको बेदखल किया जाय। इसमें यह हो सकता है कि आपने टिनेन्ट को पे किया है उसको तो बेदखल किया जाय और जिसने पैसे लिये हैं उनको कोई नुकसान नहीं। यह ठीक नहीं, ऐसे व्यक्तियों के राइट्स लूज करना भी वाजिब है, उनके पास वह जमीन नहीं रहनी चाहिये, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसे व्यक्ति इग्नोरेन्स से ऐसा करेंगे या कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास ३० एकड़ इरिगेटेड लेन्ड और ६० एकड़ अन-इरिगेटेड लेन्ड है वह दूसरों को पैसा दे कर और जमीन लेने में इग्नोरेन्ट होगा या इनोसेन्ट होगा, यह मानने में नहीं आ सकता। वह तो जान-बूझ कर अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के लिये ही ऐसा करेगा। इसलिए ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिये। यह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हम अपने दिमाग से स्पष्ट तोर से सोच कर चलते हैं कि जिसने ट्रान्सफर की है और पैसा ले लिया है उसको क्यों सजा मिलनी चाहिये। मैंने पहले कहा कि पहले ऐसा प्रोविजन रखने का था लेकिन इस बारे में राय ली गई और इण्डिया के लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि इस प्रकार के कानून को अल्ट्रावायर्स करार दिया जा सकता है। इस कारण उसको इसमें नहीं रखा गया। अब यह प्रश्न आता है कि जिसको जमीन मिले उससे लेकर सरकार ओक्शन पर रखे और उस शख्स को नहीं दी जावे जिसने ट्रान्सफर करा ली है और बाद ऑक्शन के जिसको चाहे दी जावे। मैं समझता हूं कि यह प्रोसेस इस मामले को और कम्पलीकेटेड बना सकता है। इसलिये इस प्रकार की सजा रखी जानी चाहिये। इससे नतीजा यह होगा कि लोग-बाग जमीन खरीदेंगे नहीं और जो लोग अननेसेसरी प्रोफिट उठाना चाहते हैं, नहीं उठा सकेंगे। इससे हमारा जो पर्पज़ है वह भी सर्व हो जावेगा और वह ज्यादा अच्छा सर्व होगा।

इसलिये मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें रखी हैं इससे बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो गया होगा और मेड़ता से आने वाले और नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंट रखे हैं उनके एमेन्डमेंटों को मैं स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि उनको स्वीकार करने के बाद सब बातों का समावेश हो जाता है और कोई बात बच नहीं रहती। इसलिये सदन इसको पास करे।

श्री एच. के. व्यास—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोरमेशन, सर, माननीय उपाध्यक्ष, जब हमने खुदकाश्त होल्डरों को और खातेदारों को बराबर आंका है तो इन दोनों के बराबर हकूक होने चाहिये, मगर यहां पर दोनों को बराबर हकूक नहीं दिये गये हैं। इसमें फर्क क्यों रखा गया है? पहली बात तो यह है:

Why a difference, in respect of illegal transfers has been made for a Khudkasht Holder and a Khatedar Tenant when we have treated them on the same basis?

दूसरी बात जो सीलिंग के बारे में है वह इसके बाद की बात है। Let it be in records. इस क्लॉज़ में आपने अधिकार दे दिया तो इसमें कॉम्पलीकेसीज़ आवेंगी। इन दोनों बातों के बारे में मैं आपसे क्लॉरीफिकेशन चाहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जिस समय इस क्लॉज़ का संशोधन पेश किया था उस वक्त जो इस सम्बन्ध के क्लॉज़ेज़ कानून में हमने पास किये हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिये, इसलिये मैंने यह किया कि माननीय सदस्यों को वे क्लॉज़ेज़ जो पास किये गए हैं और सदन में हमने स्वीकार किये हैं वे ध्यान में होंगे और जोधपुर से आने वाले माननीय

[श्री नाथुराम मिर्धा]

सदस्य ने अपने भाषण में जो दलीलें दीं और यह बताने की कोशिश की कि इस क्लॉज़ में जिस उसूल को हम स्वीकार कर रहे हैं वह उसूल ठीक नहीं जंचता और अब तक उनके दिमाग में शक चल रहा है। एक तरफ तो खुदकाश्त की जमीन कोन्ट्रावेन्शन में ट्रान्सफर या सब लेट हो, उसमें ये किसान आवेंगे या खुदकाश्त के सब टीनेन्ट हैं उसको खातेदारी के हकूक मिल जावेंगे और उधर यह व्यवस्था है कि जिसने जमीन ट्रान्सफर में ली है या सब लेट कराई है अगर उसने जो व्यवस्था इस कानून के क्लॉज़ेज़ में ट्रान्सफर और सब लेटिंग में की है, उसके कॉन्ट्रावेन्शन में है उसको बेदखल होना पड़ेगा। यह एक तरह का फर्क है। यह फर्क उनके दिमाग में ठीक तरह नहीं बैठता। उसके साथ में उन्होंने यह कहा कि यह उसूल कतई समझ में नहीं आता कि जो गलत तरीके से ट्रान्सफर करे कॉन्ट्रावेन्शन में, तो यह जब हम शब्द बोलते हैं कि कितने ही गलत तरीके से ट्रान्सफर हो सकते हैं परन्तु जितने ट्रान्सफर के तरीके हैं वे या तो सेल या मोर्टगेज से या गिफ्ट से होते हैं। हमने बाकी दो पर कोई बन्धन नहीं लगाया है और सिर्फ सेल पर ही रेस्ट्रिक्शन लगाया है। वह यह है कि जिस आदमी को जमीन बेची जावेगी और जो जमीन को खरीदने वाला है उस आदमी के पास में बैरानी जमीन हो, ३० एकड़ इरिगेटेड और ६० एकड़ अन इरिगेटेड, तो वह आदमी उस जमीन को नहीं खरीद सकेगा। यह मोटा रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा मोर्टगेज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी वजह यह है कि मोर्टगेज में हमने यह रखा है कि १० वर्ष में जो रकम उस व्यक्ति ने दी है वह अगर किसान खेत को छुड़ाना चाहे तो जो मालिक है उससे छुड़ा सकता है और वह रकम मालिक की पूरी की पूरी भुगताई हुई समझी जावेगी, यह रेस्ट्रिक्शन है। पीरियड थोड़ा होने से कोई भी व्यक्ति उस पर अपनी रकम एडवान्स करना नहीं चाहेगा। लेकिन पर्टिकुलर इकोनोमिक होल्डिंग जिसकी कल्पना लेकर हम चलते हैं कि किसान के पास कितना होल्डिंग रहना चाहिये जिससे वह अपने जीवन को ठीक तरह से व्यतीत कर सकता है वह स्केल तो हमने रख दी है और वह है ६० एकड़ अन-इरिगेटेड लेन्ड और ३० एकड़ इरिगेटेड लेन्ड और मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रान्त की सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने अपने दिमाग में रखा है। अब जो आदमी जमीन को खरीदता है उससे उसके पास ज्यादा जमीन होने वाली है और हम यह कहते हैं कि ऐसे आदमी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिये और उसको क्लॉज़ १२८ की तहत में बेदखल किया जा सकेगा। तो जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसे किसान जो आमतौर से हैं गरीब, जिनको लेन्डलेस लेबर कह सकते हैं, जिनको हम दबे हुए किसान कहते हैं उसमें करीब करीब मिडल क्लास के लोग आते हैं और अगर वे इस प्रकार जमीन खरीद कर अपने होल्डिंग के पेरो को जोरों से बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनको बेदखल कर दिया जावेगा।

यह एक तरफ कहा जा सकता है कि ठीक है, उसके लिए एक तरफ आपने सजा रखी है। लेकिन लेन्ड होल्डर जिसको पैसा मिला है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? पैसा मिल गया, जमीन गई? जमीन गई कहां? जमीन कहीं जाती नहीं, वह सरकार के पास गई और सरकार उस जमीन को अलोट कर सकती है। उन लोगों को अलोट कर सकती है जिनके पास जमीन नहीं

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है, जिनके पास जीवन निर्वाह के साधन नहीं है। इसके लिए कानून बने हैं, बने हुए हैं। उनकी तहत जमीन अलॉट कर सकती है और लेन्ड होल्डर को जिसने गलत तरीके से ट्रान्सफर किया, कानून की धाराओं का कन्ट्रावेन्शन किया, उनके लिए दवा है, इलाज है उसके लिए, वे दीवानी अदालतों में जाकर चाराज़ोई करें और जो रुपया उनसे लिया है, जिस किसान से लिया है उसको लौटाये। उसकी वसूली के लिये अदालत में वह चाराजोई कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि स्टेट पेनाल्टी इसके लिए क्यों नहीं रखती और रुपया वापिस क्यों नहीं दिलाती? इसमें कानूनी अड़चने है। स्टेट को पता नहीं लग सकता है कि कितने रुपयों का ट्रान्जेक्शन हुआ है, या क्या कन्डीशन थी और क्या शर्तनामे थे। तो इन सारी बातों को तय करने के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स काफी नहीं है और उस पर पेनेल्टी लगा देवें, हजार रुपया, दो हजार रुपया; क्यों न जुर्माना लगा दिया जाय? तो यह एक प्रकार से सिविल रोग है। जो रुपया उसने दिया है उसकी वसूली के लिए वह अदालत में ज़ाकर चाराजोई करे और रुपया वसूल करे। यह कहा जाय कि कोई वजुहात नहीं रहते है कि रुपया वापिस ले। तो जो वाइड कॉन्ट्रेक्ट्स हुए है उनके जरिये से अदालत में जाकर चाराजोई करे और उनको वसूल करे! वह सब कोर्ट फीस वसूल हो सकते हैं इसलिए डर और उसूलों को गलत बताया माननीय उपाध्यक्ष, मैं मानता हूँ कि वह कतई गलत नहीं है।

जो संशोधन नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे संशोधन में प्रस्तुत किया है भाषा को ठीक बनाने के लिए उनको तहसीलदार की अदालत में रखने के लिए, तहसीलदार को कोई अख्तियार न होते हुए वह कागजों को आगे भेजेगा, मैं उसको मंजूर करता हूं और वह संशोधन मेरे संशोधन में समावेश हो जाना चाहिए।

इसके बाद डीडवाना-परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो 'खुदकाश्त' शब्द जोड़ने का संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और खास तौर पर माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है इसलिए उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो सिद्धान्त और उसूल हैं वे ठीक हैं और जो भाषा नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे संशोधन में संशोधन के रूप रखी हैं वह काफी ठीक है और माननीय सदस्य उसको मंजूर करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैंने जो अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ पर रखा था वह खुदकाश्त के चेप्टर को देखते हुए रखा था। क्लॉज़ ११ (ए) जो खुदकाश्त का है और यह जो क्लॉज़ चल रहा है १२८, वह है इल्लीगल ट्रान्सफर के बारे में। इसके बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा है उसको मैं मन्जूर करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं दोनों सदस्यों से अपील करूंगा कि वे कम से कम सेक्शन ११ (ए) को देखें। सेक्शन ११ (ए) कोन्सिक्वेन्सेज़ ऑफ इल्लीगल सब लेटिंग ऑफ खुदकाश्त है। उसमें है कि :

Page No.75

[श्री मोतीलाल चौधरी]

"If any khudkasht land is sub-let in contravention of the provisions of this Act or a tenant or Khudkasht is allowed to remain in occupation of such land for a period longer than prescribed in Section 9, the provisions of Section 128 shall apply:"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौनसा ?

श्री मोतीलाल चौधरी—११ (ए) ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह तो डिलीट हो गया ।

श्री मोतीलाल चौधरी—यदि क्लॉज़ ११ (ए) डिलीट हो गया है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चौधरी को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२८ पर जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया और उस संशोधन पर जो दूसरा संशोधन श्री कपिलदेव की तरफ से पेश हुआ और जिसको उन्होंने (श्री नाथूराम मिर्धा)ने स्वीकार किया, तो जो संशोधन के ऊपर संशोधन श्री कपिल देव ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, श्री कपिलदेवजी का संशोधन किस चीज़ में स्वीकार किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट में स्वीकार किया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह अमेन्डमेन्ट किसी पोज़िटिव फॉर्म में सदन के सामने नहीं है।

If the main amendment is rejected, in that case what will be the sense of this positive vote? श्री नाथूरामजी का अमेन्डमेन्ट रिजेक्ट हो जाय तो श्री कपिलदेवजी के अमेन्डमेन्ट को लिया जाय। नहीं तो उस पोज़िटिव वोट की क्या दशा होगी? इसलिए पहले नाथूरामजी के संशोधन पर मत लें और फिर कपिलदेवजी के संशोधन पर, otherwise this voting will become redundant and illegal.

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह रिवर्स मालूम होगा।

He is putting the cart before a horse. जो संशोधन माननीय कपिलदेवजी ने रखा और जिसको मिर्धाजी ने स्वीकार किया वही अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया और उस पर जो संशोधन था वह स्वीकार कर लिया गया तो उस संशोधित रूप में जो संशोधन श्री नाथूरामजी मिर्धा का है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा का संशोधन संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि........

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लाज़ १२८ स्वीकार किया गया, तो सबस्टीट्यूट...

श्री उपाध्यक्ष—यह सारा ही सब्स्टीट्युटेड है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(श्री मिर्धा के संशोधित संशोधन के स्वीकार किये जाने से वह खण्ड विधेयक का अंग बना)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ १२७ के लिए मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसको मैं सर्कुलेट कर देना चाहता था। इस पर अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे सदस्य बोलेंगे तब फिर मैं बोलूंगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसके पहले १२८ (ए) भी है।

Page No.77

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह पहले ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

खण्ड १२८ए

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक संशोधन जिसका नं० ४०५ है और जो लिस्ट नम्बर २७ में है, उसके जरिये मैं यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि क्लॉज़ १२८ के बाद एक नया क्लॉज़ १२८ ए जोड़ दिया जाय और उसका हैडिंग हो "Decree or order under section 128" इसमें जो इसकी भाषा है वह इस प्रकार रखी है :

"A decree or order under seciion 128 may direct the ejectment of a tenant and his transeferee or sub-lessee from the area transferred or sublet otherwise than in accordance with the provisions of ihis Act."

यह क्लॉज़ इसलिये रखी है माननीय उपाध्यक्ष कि इसके जरिये "A decree or order unde rsection 128 may direct the ejectment of a tenant and his transfree or sub-lessee-"

इस संशोधन के जरिये इल्लीगल सब लेटिंग या ट्रान्सफर पर इजेक्टमेन्ट की बात रखी है। जिसके नाम गलत सबलेटिंग हुआ है उस आदमी को इजेक्टमेन्ट करने की डिक्री दे दी जायगी और उस खेत के बारे में इजेक्टमेन्ट की डिक्री के लिये जो प्रोसीजर फोलो होगा वह क्लॉज़ १२७ में रखा है।

क्लॉज़ १२८ ए में इनके इजेक्टमेन्ट का प्रोवीजन रखा है। क्लॉज़ १२८ ए के जरिये वह इजेक्टमेन्ट का हुक्म, जो क्लॉज़ १२८ के नीचे होगा, वह इजेक्टमेन्ट और डिक्री के रूप में होगा। उनको उस खेत से उस सब लेसी को, उस ट्रान्सफरी को जिसने गलत तरीके से हासिल किया है उसको इस हुक्म की डिक्री के रूप में जो क्लॉज़ १२७ में दिया हुआ है, काम होना चाहिये। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो इसकी तामील कैसे होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को अवश्य मन्जूर किया जाना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, जो क्लॉज़ १२८ ए नया जोड़ने के लिये मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मतलब यह समझता हूँ कि १२८ ए के मुताबिक सब टिनेन्ट और इल्लीगल ट्रान्सफरी को इजेक्ट करने का हुक्म कोर्ट देगा। उसके इजेक्ट करने के बाद वह लेन्ड किसको रिवर्ट हो या उस लेन्ड का क्या हो, यह क्लॉज़ १२८ ए में नहीं है। इसलिये मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ १२८ ए जोडकर यह सुझाव दिया है कि वह जमीन उस टिनेन्ट को तो कम से कम रिवर्ट नहीं होगी जिसने इल्लीगल ट्रान्सफर किया है या सब लेट किया है। यह वैधानिक संकट सब लेसी और ट्रान्सफरी के इजेक्ट हो जाने के बाद पैदा हो सकता

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

है कि आखिर उस जमीन का क्या होगा ? अगर उसको गवर्नमेन्ट ले तो वह किस कानून के मातहत ले ? ऐसी स्थिति में क्लॉज़ १२८ ए के मुताबिक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि जहां हम सब लेसी और ट्रान्सफरी को इजेक्ट करते हैं वहां यह अधिकार भी रखे जायं जिससे इल्लीगल सब लेट और ट्रान्सफर किया हो, उसको बाकी नहीं बचना है। यह सुझाव जहां उपयुक्त है वहां आवश्यक भी है। लेकिन एक बात मैं और क्लेरिफिकेशन के रूप में चाहूंगा माननीय सदस्य या माननीय मंत्री से कि अगर किसी टिनेन्ट ने गलती से कोई सब लेटिंग किया हो और उसके लिये आप सब लेसी को इजेक्ट करना चाहते हैं, अगर वह टिनेन्ट किसी फिक्स्ड टर्म पर, जिसकी मियाद दो या तीन महिने की हो सकती है, उस सब टिनेन्ट को वापिस हटाकर खुद अपना कब्जा कर ले तो भी क्या टिनेन्ट इन बीच को इजेक्ट किया जाना चाहिये ? मेरा मतलब यह है कि अगर एक टीनेन्ट अपने किसी दूसरे आदमी के सीर में काश्त कर लेता है और लेन्ड होल्डर को यह कहता है कि यह तो मेरा टिनेन्ट नहीं लेकिन सब टिनेन्ट है और इल्लीगल ट्रान्सफर किया है तो क्या उस टिनेन्ट और सब टिनेन्ट का इजेक्टमेन्ट होना चाहिये। जैसा कि क्लॉज़ १२८ में बताया गया है, सब लेसी इजेक्ट कर दिया जायगा, सब टिनेन्ट को इजेक्ट कर दिया जायगा, क्लॉज़ १२८ ए के मुताबिक टीनेन्ट को इजेक्ट कर दिया जायगा। इन दी मीन वाइल (इसी बीच) उनके पास नोटिस आ गया और वह लेने को तैयार है उससे जिसको आप इल्लीगल सब लेटिंग कहते हैं उनको हटाने के लिये तैयार है, इस स्थिति में क्या वह पेनल्टी उनको देना चाहते हैं क्योंकि लेन्ड होल्डर को तो सिर्फ किराये से मतलब है, वह तो रेन्ट चाहता है। उसके आगे जब तक सब लीज कायम है तो उसका कोई अधिकार बाकी नहीं रहेगा उस फिक्स्ड पीरियड के लिये जब तक के लिये कि सब टिनेन्ट बनाया हो। यह स्थिति उस समय आ सकती है जब कि फरदर सबटीनेन्सी का उसको कोई अधिकार नहीं उस सब टिनेन्ट को। फिर अगर वह अपने यहां सबटिनेन्ट मुकर्रर कर देता है तो वैसी स्थिति में उसको हटा दिया जाय या उसको उस जमीन से इजेक्ट किया जाय या नहीं, यह बड़ा इक्वीटेबल होगा उसको इस किस्म से इजेक्ट कर दिया जाय जो डिक्री और ऑर्डर क्लॉज़ १२८ में आता है वहां कोर्ट को भी यही अधिकार दिये जायं। उस बीच को खत्म कर दे और उस डिक्री को कोर्ट में एग्जीक्यूट किया जायगा, जैसा कि दूसरे क्लॉज़ेज़ में हमने प्रतिबन्ध लगाया है। ऐसे भी मौके आ सकते हैं जबकि एक लेन्ड होल्डर अपने टिनेन्ट को इजेक्ट करना चाहता है, यह कह कर कि वह मेरा एक्चुअल टिनेन्ट नहीं है, मेरा टिनेन्ट तो कोई दूसरा है तो उसको वह इजेक्ट कैसे कर सकता है। कोई दूसरा आदमी सब टिनेन्ट को नहीं दे तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो बोना-फाइडी टिनेन्ट्स है वे इल्लीगली इजेक्ट किये जा सकते हैं, इसलिये कोर्ट को, किसी भी मेरिट्स को देखते हुए चाहे गवाही या सुबूतों के जरिये साबित हो, यह अधिकार दिये जाने चाहिये।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि पहले वाले को सब क्लॉज़ (१) कर दिया जावे, १२८ ए में और सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार एड कर दिया जावे :

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

'Such decree or order may further direct that it shall not be executed except in respect of costs, if within 3 months from the date thereof or within such further period as the Court may, or reasons to be recorded, allow, such compensation as the court may specify in the decree or order, is paid."

यानि कोर्ट बजाय इजेक्टमेंट के कम्पेन्सेशन उसका कायम कर दे, but the reasons are to be recorded; तो वह कम्पेन्सेशन दे दे और फिर यह इजेक्टमेंट न किया जावे ।

यह सद्भावना का अमेंडमेंट है और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है । जो टिनेन्ट इन चीफ अपने सब टिनेन्ट को इजेक्ट कराना चाहता है, अगर कोर्ट कम्पेन्सेशन दिला देती है और वह कन्डीशन्स, जिनके ब्रीच के लिए, रोंगफुल सबलेटिंग के लिए इजेक्टमेंट चाहता है, पूरी कर दी जाती है और कम्पेन्सेशन टिनेन्ट इन चीफ को मिल जाता है तो कोई वजुहात बाकी नहीं रहतीं कि उसको इजेक्ट किया जावे । इसलिए कोई यह वाजिब समझे पर्टीकूलर सरकम्सटेन्सेज में तो पहले वाले क्लॉज़ में इजेक्ट कर दे । पर अगर यह समझे कोर्ट कि भूल से ऐसा हो गया है तो टीनेन्ट इन चीफ को उस पीरियड का कम्पेन्सेशन दिला देगी, सब टीनेन्ट को डाइरेक्ट कर देगी कि एक महीने में वापिस ले रहे हो जमीन को और ऐसी स्थिति में कोई अन्याय नहीं हो सकेगा । इक्विटी इस बात को डिमांड करती है कि ऐसा क्लाज़ होना चाहिए । इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे इस छोटे से अमेंडमेंट को, जो कि सद्भावनापूर्ण है अवश्य स्वीकार करें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मन्त्रीजी के प्रति आपकी सद्भावना कब जाग्रत हुई ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह आपको जवाब देने के लिए पाबन्द नहीं हूं मैं ।

श्री जवानसिंह—इसको एक बार वापिस पढ़ दीजिये ।

श्री कपीलदेव अग्रवाल—Renumber the existing provision of clause 128A as sub-clause (1) and insert the following new sub clause (1) as:

"(2) Such decree or order may further direct that it shall not be executed except in respect of costs if within three months from the date thereof or within such further period as the court may, for reasons to be recorded, allow, such compensation as the court may specify in the decree or order, is paid"

In lieu of ejectment the court may order compensotion simply to remedy the breach which he has already done.

यानि कहने का मतलब यह है कि in lieu of ejcetment the court can order compensation; तो मैं यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री गोपीलाल यादव—लिख कर दीजियेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—लिख कर ही दिया है। मैं फिर खुद ही हाजिर होता हूं।

(श्री यादव के उठकर उनकी तरफ आने पर)

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्री महोदय, पहले इसके कि इसका जवाब दें, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूँगा कि अभी जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है और इसके ऊपर से जो दूसरा अमेंडमेंट और आया उन दोनों अमेन्डमेन्ट्स की अहमियत क्या होगी, जब कि हम आगे क्लॉज़ १३३ ट्रेसपासर्स के लिए पास करने जा रहे हैं और जैसा कि मैं अभी समझ पा रहा हूं कि अभी वह क्लॉज़ डिलीट नहीं हो रहा है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—परिभाषा में ही डिलीट हो जावेगा वह तो।

श्री जवानसिंह—हो जावेगा तब देखा जावेगा। पर आज भी जितनी पीरियड के लिए ट्रेसपासर्स की हैसियत से कब्जा रहता है और चार साल का लगान दिलवाना है तो सिर्फ क्लॉज १२८ के सब क्लॉज़ (२) में वह कौन सा कम्पेन्सेशन है और वह ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स कौनसी होंगी जिनके लिए कम्पेन्सेशन दिया जावेगा, जिसकी वजह से सब क्लॉज़ (२) की जरूरत है ? यह समझ में नहीं आया। इसका स्पष्टीकरण हो जावे तो अच्छा है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी इजाजत हो तो मैं आपको जवाब दे दूं।

यह कम्पेन्सेशन इस बात का है कि प्रश्न यह है कि एक सब-टिनेन्ट को फर्दर सब-टिनेन्सी क्रिएट करने का अधिकार नहीं है, पर अगर गलती से वह और किसी को सबलेट कर देता है तो जैसे हमने क्लॉज़ १२८ पास किया उसके मुताबिक उसको फर्दर सब-टिनेन्सी क्रिएट करने वाला भी इजेक्ट होगा और वह खुद भी इजेक्ट होगा; दोनों इजेक्ट होंगे। तो मैंने जो तरमीम रक्खी है उसका मकसद इतना ही है कि कोर्ट चाहे तो दोनों को इजेक्ट कर सकता है और चाहे तो एक को तो इजेक्ट कर सकता है और जो टिनेन्ट इन चीफ है उससे हर्जाना दिलवा सकता है कि उसने सब-टिनेन्सी की कन्डीशन्स का ब्रीच किया और फर्दर टिनेन्सी क्रिएट की, इसलिए वह हर्जा दे जुर्माने के बतौर। पर सब-लैसी को तो इजेक्ट करने की डिक्री दे सकता है और दूसरे को १२८ के अन्तर्गत इजेक्ट न करके उससे हर्जा व खर्चा दिलवा सकती है कोर्ट, कम्पेन्सेशन इस बात के लिए दिला सकती है कोर्ट कि उसने कन्डीशन्स की खिलाफवर्जी की है। तो कोर्ट लैन्ड होल्डर को तो यह कह सकती है कि तुमको तो इतना हर्जा दिलाया जाता है; और सब टिनेन्ट को यह पेनल्टी और कम्पेन्सेशन देने के लिए कह सकती है कि तुमने चूंकि सब-टीनेन्सी की कन्डीशन्स का ब्रीच किया है, दूसरी सब टिनेन्सी क्रिएट कर देने के अपराध में, तो उसकी इतनी पेनल्टी दो और पेनल्टी लेकर उसको सब-टिनेन्ट कायम रख सकते

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

हैं। टर्म्स जब तक हैं तब तक तो वह सब-टिनेन्ट रहे और टर्म्स जब खतम हो जावेंगी तो आगे जैसा होता है होगा।

यह पोजीशन तो तब तक के लिए है जब तक कि उस पीरियड में वह खिलाफवर्जी करता है। इसके लिए बजाय इजेक्ट करने के कम्पेन्सेशन दे दे, अगर कोर्ट जरूरत समझे तो, नहीं तो इजेक्ट भी कर सकता है। इसीलिए यहां शब्द 'shall' भी नहीं 'may' है और इसके लिए यह भी लिखा है "for reasons to be recorded in writing" कोर्ट रीजन्स देखेगा, फिर भी अलाऊ करेगा तो करेगा।

यह किन सूरतों के लिए है कि कोई आदमी गलती से ऐसा कर बैठता है, मैलाफाइडी इन्टेन्शन उसका कोई नहीं है और वह यह कहे कि एक बात है साहब, गलती हुई, भूल से मुझे इसका ज्ञान नहीं था, माफी चाहता हूँ, लाइये इसके लिए दण्ड करते हैं तो दण्ड कर दीजिये। ऐसी सूरत में दण्ड करना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि उसको इजेक्ट कर दिया जावे। इसमें भी कोर्ट अगर उचित समझे तो कर देगा। तो ऐसी स्थिति में मैंयह सोचता हूं कि १३३ ट्रेसपासर्स के क्लॉज़ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो अमेन्डमेन्ट्स मूव किये गये हैं, मैं समझता हूं, कि माननीय सदस्य को भी वे स्वीकार हैं और मुझे भी कोई एतराज नहीं हैं और दोनों ही अमेन्डमेन्ट्स एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिये मुझे स्वीकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया क्लॉज़ १२८ ए पर उसके ऊपर एक और सप्लीमेन्टरी जो दूसरा संशोधन श्री कपिलदेव ने प्रस्तुत किया वे दोनों स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुए।

(वीराम)

प्रश्न यह है कि यह क्लॉज़ १२८ पर संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२८ ए. संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १३१ में संशोधन किसके द्वारा मूव होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी तरफ से समझ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसको मूव कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि यह अमेंडमेंट मूव्ड समझा जाय, उसके बाद मैं जो कुछ मुझे कहना है वह बाद में कहूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन इस अमेंडमेंट पर किसी ने कोई दस्तखत नहीं किये हैं। एक बार पहले बगैर दस्तखत किये हुए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो कोई कारण नहीं है कि इसको रिजेक्ट न किया जाय। अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो इसको पोस्टपोन करके कर लिया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हमें तो यह मालूम था कि चिड़ावा की सभा के बाद तुम सब बातें रीज़नेबल करोगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने समझ का ठेका नहीं लिया था, कहने का ठेका लिया था।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—समझ के लिए तो हमें पहले ही मालूम था।

श्री गोपीलाल यादव—यह बहुत बड़ा क्लॉज़ है इसको कल ही लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब आफ एन आवर डिस्कशन को लिया जाय। कल इसको लेलें।

सादूल टेक्सटाइल लिमिटेड से बिजली व्यय की रकम वसूली के विषय में तारांकित प्रश्न संख्या १८९५ पर आधे घंटे का वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष—श्री जसवन्त सिंह।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, गंगानगर के टेक्स्टाइल मिल के मुताल्लिक मुझे कुछ कहना है और मैं उस विषय में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस डिस्कशन को रेज़ करने में यह नहीं समझा जाय कि मैं उस मिल की तरफ से पैरवी करने को खड़ा हुआ हूं। (हंसी) या किसी प्रकार का मेरा उसमें इन्टेरेस्ट है। न तो मैं उसका शेयर होल्डर हूं

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

और न किसी भी हालत में मैरा किसी तरह का उसमें कोई इन्ट्रेस्ट है। जो भी इन्टेस्ट्र है वह इस बातका है कि सरकार की बहुत बडी रकम एक जगह अड़ी हुई है 'और जनता के काफी रुपयों का नुकसान हो रहा है और उसकी कुव्यवस्था भी देखने में आई है। इन सब बातों का हाल जानने के लिए और सही हालात क्या है उसकी जनकारी करने के लिए यह आधे घन्टे की बहस करने के लिए मैंने सूचना दी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, करीब ५-६ वर्ष पहले गंगानगर के वासियों ने भूतपूर्व बीकानेर राज्य से यह दरख्वास्त की कि वहां पर जो कपास पैदा होता है उसको उपयो में लाने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और उनकी अर्जी के संबन्ध में वहां पर मिल स्थापित करने की तजवीज की गई। उनमें पहले बीकानेर राज्य के शेयर्स भी काफी तादाद में थे और अब यह शेयर्स ट्रान्सफर राजस्थान सरकार को हुए हैं। राजस्थान निर्माण होने के बाद में यह मिल चालू हुआ। मैं समझता हूँ कि मिल के साथ कुछ एग्रीमेन्ट भी है। तो मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मन्त्रीजी से कि उस एग्रीमेंट में इस मिल को बिजली देने के लिए क्या शर्तें थीं? क्या कोई रेट्स फिक्स्ड किये गये थे और किस तादाद तक कितने यूनिट्स और कितना लोड बिजली का इस मिल को दिया जावेगा, और क्या यह एग्रीमेंट इस सदन को मेज पर रखा जायगा ? क्या इस एग्रीमेंट में यह भी एक शर्त थी कि इस मिल को जो इतना बड़ा बिजली का लोड दिया जायगा, सुनने में ऐसा आया है कि उनकी जरूरत के माफिक जो कि एग्रीमेंट है उसमें जिस कदर यह तजवीज थी कि इतना लोड उनको दिया जायगा, वह लोड नहीं दिया गया है और क्या उसी कारण पिछले ४ साल से जबसे कि मिल चालू हुआ है कभी वह चलता है और कभी बन्द हो जाता है, जिसका नतीजा यह निकला कि जिस मकसद के लिए यह मिल वहां स्थापित किया गया था वह मकसद पूरा नहीं हुआ है और कोटन वहां की उस मिल में कन्जूम नहीं हो रही है ?

इसके अलावा यह मिल जो बन्द हुआ है और कुछ समय पूरा लोड नहीं मिलने की वजह से, मुझे नहीं मालूम है, मैं जानना चाहूंगा लेकिन ऐसा सुनने में आया है, कि पूरा लोड नहीं दिया जाता है। मिल के बन्द हो जाने से शेयर्स का गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट का नुकसान होने के साथ में जो ओर्डीनरी शेयरहोल्डर्स हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है।

यह भी सुनने में आया है कि पिछले ४ सालों में जो सरकार का पॉवर हाउस गंगानगर में है और जो बिजली वह सप्लाई करता है इस मिल में उसके कारण साढ़े आठ लाख रुपया तक उस मिल के बरखिलाफ वह रकम चढ़ गई है, तो मैं यह भी माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी रकम उस मिल के प्रति होने का क्या कारण है ? एक ऑर्डीनरी कन्जूमर जैसे महीने के महीने अपना बिल चुकाता है और नहीं चुकाता है तो दूसरे महीने उसकी बिजली बन्द कर दी जाती है या दूसरी व्यवस्था की जाती है जिससे की वह रकम उसके दूवारा अदा कर दी जाती है इतनी बड़ी तादाद की रकम, साढ़े आठ लाख रुपये, मिल के प्रति बकाया रही ? और इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

क्या बात सही है कि अभी हाल ही में इस मिल का कनेक्शन बिजली का भी काट दिया गया है और मिल के एरियर्स होने पर इतने लाखों रुपयों की रकम मिल के बरखिलाफ होने की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ और इसके लिए बिजली काट दी । इससे दूसरी समस्या यह हो गई है कि मिल एरिया में जो लेबर स्टाफ रहता है तो बिजली काटने से यह भी हुआ है कि उनके पीने के पानी की व्यवस्था उठ गई है और उनके डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेबर को और स्टाफ के लिए जो बिजली थी उसको बन्द कर दिया गया है । सबसे बड़ी मुश्किल पीने के पानी की होगई है । बिजली से जो पम्प्स चलते हैं वह बन्द कर दिये गये हैं । इसलिये वहां पर काफी दिक्कत, और डिस सेटिस्फेक्शन इससे हो रहा है ।

इसके अलावा यह भी सवाल है कि लाखों की तादाद में यूनिट्स इस मिल को सप्लाई किये जाते रहे हैं, वह यूनिट्स अब उस पॉवर हाउस के लिए बेकार हैं या उनको दूसरे काम में या दूसरों के कन्जूम करने के लिए प्रबन्ध किया गया है या नहीं ? अगर प्रबन्ध नहीं किया गया है तो इस बात पर हजारों रुपयों का नुकसान सरकार को उस पॉवर हाउस से क्या नहीं हो रहा है ।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी तादाद में हमारा रुपया इस मिल में लगा हुआ है तो क्या उनके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में हमारा भी रिप्रेजेन्टेटिव है या नहीं ? अगर है तो उन्होंने इस मिल की कुव्यवस्था होने दी, इसके लिये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन या इत्तिला देते रहे हैं या नहीं देते रहे हैं ? अगर नहीं देते रहे हैं तो हमारे डाइरेक्टर्स के बरखिलाफ कार्रवाई करने की क्या तजवीज की जा रही है ?

दूसरा सवाल यह भी ठीक है कि हमारे शेयर होल्डर्स को डिवीडेन्ड नहीं मिलता है । यह बुरी बात है । लेकिन इसके अलावा जो लाखों रुपये हमारे फंस गये हैं इस मिल के अगेन्स्ट में उनको रियलाइज़ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

यह एक ऐसी बात गंगानगर के एरिया में बन गई है कि जहां जिस मकसद से मिल स्थापित की गई थी वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है । कपास के लिए कोई प्रबन्ध नहीं होने की वजह से काफी परेशानी और नुकसान हो रहा है । गवर्नमेंट के लाखों रुपये शेयरों की वजह से और इस मिल के बन्द होने की वजह से इसमें लगे हुए हैं इसलिये गवर्नमेंट को भी लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है, आम जनता को भी जिनके शेअर इस मिल में हैं उनको नुकसान हो रहा है । हमारा पॉवर हाउस जो इस मिल को बिजली सप्लाई करता है उसकी भी आमदनी बन्द हो गई है और जहां तक मेरा खयाल है, प्राइवेट करेन्ट की भी व्यवस्था नहीं की गई है, इससे भी काफी अव्यवस्था हो रही है और जो करेन्ट काट दिया गया है उससे लेबर को और दूसरों को बिजली और पानी नहीं मिल रहा है, तो इस सब अव्यवस्था से नुकसान हो रहा है । इन सब मामलों को ठीक करने के लिये हमारी सरकार ने क्या कदम उठाया है या उठा रही है, इसकी जानकारी के लिये मैंने आधा घंटे का

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

समय चाहा था जिसे स्वीकार किया गया। मैं माननीय पालीवालजी से निवेदन करूंगा कि वे इसके बारे में सूचना दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे भी इस पर कुछ बोलने की पर्मिशन दें। मैं कुछ स्पेसिफिक प्रश्नों के उत्तर चाहूँगा और डाइरेक्ट उत्तर चाहूंगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्नों का समय तो नहीं है। मेरी समझ में क्वेश्चन अवर तो नहीं है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—रूल्स ऑफ प्रोसिजर में ऐसा दर्ज है कि कोई भी सदस्य यदि इन्फॉर्मेशन चाहे तो माननीय अध्यक्ष की इजाजत से मांग सकता है। आप रूल्स ऑफ प्रोसिजर देखिये। मैंने पर्मिशन ले ली है।

श्री टीकाराम पालीवाल—पर्मिशन दे दी गई है क्या?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हां।

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not object to it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Object you should, because it is very uncomfortable to you, but even if you object, the Hon'ble Deputy Speaker has permitted me.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे पांच चार बातों के लिए इन्फॉरमेशन या उत्तर चाहिए।

(१) पहली बात तो यह है कि ये ८ लाख रुपयों तक के ड्यूज एक्युमेलेट हुए और ५० हजार रुपयों के करीब कनेक्शन के लिए दिए गए और जो बाकी हैं उनको वसूल करने के लिए विभाग ने क्या क्या कदम और कब कब उठाये?

(२) यदि कोई कदम नहीं उठाया, तो इस ढिलाई के लिए कौन जिम्मेदार है और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(३) पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने इस मिल के केस को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को रिकमन्ड किया है। पूरी मिल ३० लाख रुपयों की है जिसमें से १० लाख के शेअर राजस्थान सर-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कार के हैं। उसने २५ लाख रुपयों का कर्ज सिक्योर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राजस्थान सरकार की रिकमन्डेशन का फायदा उठा कर, तो तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे लोन की रिकमन्डेशन करते समय पुराने बकाया की वसूली के बारे में क्या स्टिपुलेशन किया गया और कम से कम लोन आने पर राजस्थान सरकार की रकम मिल जाय ऐसी शर्त क्यों नहीं रखी गई ? यदि नहीं रखी गई तो बकाया पैसा जो बाकी है और लोन की रिकमन्डेशन की उसके इन्टेनशन के बारे में सरकार ने जांच की या नहीं ?

(४) जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के मेम्बर्स राजस्थान सरकार की ओर से नियुक्त हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की हरेक मीटिंग के बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट की या नहीं और यदि की तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया और यदि नहीं, तो उन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं ?

(५) लास्टली यह जो ८ या साढ़े आठ लाख रुपयों की बकाया रकम है और लगभग मेजोरिटी शेअर होल्डर गवर्नमेंट है ऐसी सूरत में केवल बिजली काटने के अलावा उस मिल को टेक ओवर करने या नीलाम होने देने या असेन्शियल गुड्स कन्ट्रोल एंड एक्वीजीशन ऑर्डर, १६४६, जो ३१ मार्च, १६५४ तक चालू रहेगा उसके मातहत कार्यवाही की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

इन पांच प्रश्नों का उत्तर मैं चाहूंगा और इस जबर्दस्त गोलमाल के लिए कौन जिम्मेबार है इसका उत्तर माननीय मन्त्रीजी देंगे, ऐसी आशा है।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं विरोधी दल के नेता माननीय जसवन्तसिंह जी......

एक माननीय सदस्य—जरा जोर से बोलिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—(भाषण जारी रखते हुए) मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया और इस पर विस्तृत प्रकाश डालने का मुझे अवसर दिया। मैं उनके इस कथन को मान लेता हूं कि वे मिल के मेनेजमेंट की तरफ से वकालात करना नहीं चाहते, यद्यपि कई एक बातें उन्होंने वही कही हैं जो रुपये न अदा करने के बारे में मिल के मेनेजमेंट की ओर से बहाने किये जा रहे हैं। जैसे बिजली ठीक नहीं मिली, लगातार नहीं मिली, कम मिली इसलिए मिल को घाटा रहा; this and that. ये ही हीले हवाले मिल के मेनेजमेंट की तरफ से अब तक होते रहे हैं, बिल्स के अदा नहीं करने के बारे में। एक और निवेदन कर दूं कि यह प्रश्न असल में उठा बिजली के एरियर्स के बारे में और इसीलिए मैंने इसका उत्तर दिया। इसी प्रश्न को लेकर हाफ एन अवर डिस्कशन की

[श्री टीकाराम पालीवाल]

डिमान्ड की गई और मैंने भी इसी के लिए एग्री कर लिया। लेकिन इसके सारे इतिहास में बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये बातें भी जो मेरी नोलेज में आई हैं वे मैं हाउस के सामने रखूंगा। सीधे तौर से मैं इससे संबन्धित नहीं हूं क्योंकि यह इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में संबन्ध रखता है।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—Control of investments is Finance Department's work.

श्री टीकाराम पालीवाल—इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इन चीजों को डील करता है। यह ठीक है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सामने भी चीज आती है। उस हैसियत से जितनी जानकारी हुई है वह मैं हाउस के सामने रखूंगा।

यह मिल जैसा कि कुंवर साहब ने बताया, सन् ४६-४७ में इसके लिए योजना बनी और सन् ५१ में किसी समय चालू हुई। सरकार ने भी इसमें ११ लाख ८० हजार के शेअर्स लिये हैं। उनमें से करीब आधे के ऑर्डिनरी शेअर्स हैं और आधे करीब प्रिफरेन्शियल शेअर्स हैं। जो प्रश्न है इस समय वह तो असल में बिजली के बिलों की अदायगी न करने का है और इस सम्बन्ध में ही माननीय विरोधी दल के नेता ने कुछ पोइन्ट्स दिये हैं। उन्होंने इसमें पूछा है कि जो कांट्रेक्ट हुआ है उसकी शर्तें क्या हैं और उन शर्तों में ही ऐसा लगता है कि मिल मेनेज़मेंट इनकी ही आड़ लेकर, इन शर्तों की आड़ लेकर इस पेमेन्ट को पुट ओवर करता रहा है और आगे भी करना चाहता है और आगे भी करना चाहते हैं। मैं मुख्तसर आपको बताऊं, शर्तें यह थीं..

पहली बात तो यह थी कि गवर्नमेंट उनको सूटेबल प्लॉट ऑफ लैंड कन्सेशन रेट पर देगी, वह दे दी। जो लैंड दी वह कन्सेशनल रेट पर दी।

दूसरी शर्त थी कि मील २०००० स्पिन्डल्स और ५०० लूम्स लगायेगी।

तीसरा कन्सेशन यह दिया गया था कि १,००,००,००० का केपिटल होगा, वह इश्यू किया गया। चौथी शर्त जो एग्रीमेंट के क्लॉज़ ६ में थी...

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक्च्युएली पेड अप केपिटल कितनी थी?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास फीगर्स नहीं हैं। ऑथोराइज्ड केपिटल एक करोड़ की थी। जितना इश्यू हुआ गवर्नमेंट का सारा पेड अप हो गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो एक करोड पेड अप ही थी।

श्री टीकाराम पालीवाल—क्लॉज़ ६ में एक शर्त की गई थी कि मिल के लिये मशीनरी, स्टोर्स, स्पेअर पार्ट्स वगैरह जो आयेंगे उन पर कस्टम्स नहीं लिया जायगा। यह स्पेशल कन्सेशन था जो गवर्नमेंट की ओर से दिया गया और मिल जिसको एन्जोय करता रहा।

एग्रीमेंट के क्लॉज़ १२ में यह प्रोवाइड किया गया कि मिल को कोल और पॉवर जो दी जायगी वह होगी :

"at concessional rates prevailing in the State of Bikaner at that time as and when they are available and that also after meeting other commitments of the Government."

और, दूसरे कमिटमेंट्स पूरा करने के बाद जितना कोयला, बिजली हम उन्हें दे सकते हैं उतना देंगे, यह एग्रीमेंट में था।

कम्पनी को यह भी अधिकार दिया गया था कि अगर वह चाहे तो अपना खुद का जेनरेटर लगा सकती है; इत्यादि।

जहां तक बिजली के एरियर्स का ताल्लुक है वहां तक इस एग्रीमेंट के ये दो क्लॉज़ेज़ ही रिलेवेन्ट हैं। एक, उन्हें अधिकार दिया गया कि वह चाहें तो जेनरेटर लगा दें, दूसरा यह कि जो प्रिवेलेन्ट कन्सेशनल रेट्स हैं उन पर उनको बिजली दी जायगी जब जैसी वह उपलब्ध होगी, गवर्नमेंट की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यह बहुत साफ तौर से लिखा गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कन्ट्रेक्ट की डेट क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It was entered some time in 1946. डेट मेरे पास नहीं है......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एग्रीमेंट में तारीख होगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एग्रीमेंट नहीं है मेरे पास, नोट है।

(कुछ विराम के अनन्तर)

I have got the date. This agreement was entered on the 27 th April, 1946.

इसके अनुसार काम शुरू हुआ और सन् १९५१ के मध्य में वह मिल चालू हुई। जितनी पॉवर उपलब्ध थी, दी जा सकती थी वह उनको देना शुरू कर दिया। वह पॉवर जिस शर्त

[श्री टीकाराम पालीवाल]

में दी, एग्रीमेंट में पहले तो २० हजार स्पिन्डल्स और ५०० लूम्स लगायेंगे यह था, पर इतना काम शुरू करने के लिये काफी नहीं था, इसलिए शुरू में वह पूरा नहीं लगा सके, लेकिन बहर हाल काम शुरू हो गया और पॉवर जितना उपलब्ध था उनको रेगुलर मिलता रहा। ५२ के मध्य में जाकर उस समय नियर एबाउट में १९५२ होगा पावर हाउस में एक दम ब्रेक डाउन हो गया और उस समय एनर्जीज़ सप्लाई नहीं की जा सकती थीं, पुराना एंजिन था, अचानक ऐसा हो गया। उसे करीब एवरेज जुलाई में रिपेअर कर दिया, अच्छी हालत हो गई अपौर चालू हो गया और जहां एक शिफ्ट चलता था वहां दो शिफ्ट चालू हो गये। फिर इसके बाद दिसम्बर ५३ में और इम्प्रूवमेंट किये और एक हजार का टरबो ओल्टनेटर इन्स्टाल किया गया और पॉवर ज्यादा दी जाने लगी जिससे मिल के तीन शिफ्ट चलने लगे। यह तो रही है पॉवर की सप्लाई। मई सन् १९५२ में कुछ समय के लिये ब्रेक डाउन हुआ जुलाई तक, कुछ यही हालत चलती रही; कोई डेढ दो महीने तक उन्हें पावर नहीं मिला और काम बन्द करना पड़ा। इसके बाद यह दूसरी बात है कि किसी समय लोड कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ पर; इसके बाद करीब करीब रेगुलर पावर सप्लाई होती रही और इसका नतीजा यह हुआ कि जहां एक शिफ्ट चलता था वहां दो शिफ्ट चलने लगे अपौर बाद में तीन शिफ्ट चलने लगे। यह सम्भव नहीं हो सकता कि पावर सप्लाई नहीं हो और तीन शिफ्ट चालू रहें। It is not at all possible.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Average annual killowat per hour ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास नहीं।

इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का पेमेन्ट उन्होंने शुरू से नहीं किया। देखा कि नई नई इन्डस्ट्री है, शुरू शुरू का मामला है बाद में ले लेंगे। यह देखा गया कि बड़ा कन्सर्न है, गवर्नमेंट के शेयर्स इसमें हैं, कहीं रुपया लेकर थोड़े ही जाते हैं। इसलिये सहज में समझ में आ सकता है कि तुरन्त लेने-देने वाली बात नहीं है, ऐसा समझ कर 'इस हाथ दे उस हाथ ले' ऐसा व्यवहार नहीं किया गया! यह भी अपन सब जानते हैं कि इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के चेयरमैन जे. पी. श्रीवास्तव जैसे माने हुए व्यक्ति हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रियायत का यही कारण है।

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not know that. यह कारण है यह नहीं, यह मालूम नहीं। यह होता तो अब भी होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तो मामला लाखों तक पहुँच गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—पर यह व्यवहार शुरू में करने लगे कि एक महीने के बिल का पेमेंट कर दीजिये नहीं तो कनेक्शन्स कट कर दिये जायेंगे; यह ठीक नहीं था। वह भी उस हालत में जबकि गवर्नमेंट के भी इसमें शेअर्स थे, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के चेयरमेन भी प्रभावशाली व्यक्ति थे, यह सहज में समझ में आ सकता था कि रुपया जाता कहां है ? चलता रहा इसी तरह से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार पर भी उनका कुछ प्रभाव हुआ या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार पर तो प्रभाव नहीं हुआ, इसीलिए कनेक्शन काट दिया और किन्हीं क्वार्टर्स में प्रभाव हुआ है, यह मुझे मालूम है।

श्री टीकाराम पालीवाल—वे मेरे सामने नहीं रही। गत मार्च या माह फरवरी में ये बातें मेरे सामने आईं। जनवरी में मैंने चार्ज लिया था। जब मुझे मालूम हुआ कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हो गई है तो मैंने बहुत साफ शब्दों में लिखा। गवर्नमेंट की तरफ से साफ शब्दों में लिखा गया कि रुपया अदा करो। जिस समय यह लिखा गया तो उस समय ८ लाख रुपयों से कुछ कम रकम थी। यह लिखा गया कि तुरन्त रुपया अदा करो वरना कनेक्शन काट दिया जावेगा। यह गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट की तरफ से लिखा गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनसे पॉवर किस रेट से चार्ज किया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दो आना पर युनिट के हिसाब से। यह रेट यूज़ुवल रेट से कम है और इस रेट पर दूसरी फेक्ट्रीज़ आदि से भी पॉवर चार्ज किया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बीकानेर में दूसरे कन्सर्न को किस रेट से पॉवर दिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास इसकी लिस्ट नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गंगानगर में किस रेट से पॉवर दी जाती है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि मेरे पास इसकी लिस्ट नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तीन आना रेट है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बताया कि ऑर्डिनरी रेट ज्यादा हैं और इसको रियायत रेट पर पॉवर सप्लाइ की गई थी।

अगर शुरु में यह मालूम होता तो सारी बातें शुरु में ही तय कर लेते। लेकिन उन्होंने शुरु में कुछ नहीं कहा और बाद में पेमेंट के समय यह एतराज उठाया कि पॉवर बराबर नहीं मिलता साहब इससे कम्पनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, पड़ता नहीं खाता, this and that

[श्री टीकाराम पालीवाल]

जब डिपार्टमेंट से लिखवाया, डिपार्टमेन्ट से ही नहीं लिखवाया बल्कि मैंने खुद ने श्रीवास्तव को एक डी० ओ० लिखा कि आपकी कम्पनी के खिलाफ एक्शन लिया जावेगा तो कोई सुन्दर बात नहीं होगी इसलिये आप एकाउन्ट क्लीअर कर दीजिये। मेरे पास उनका एक सुन्दर जवाब आया, एक चिठ्ठी आई और उसके बाद वे मुझसे मिले। मिलने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो उनकी सुन्दर चिठ्ठी आई उसके जवाब में मैंने लिखा कि ठीक है रेट के बारे में, आपको जो कुछ कहना है उसके लिये अलग रिप्रेजेन्टेशन करें और उसके लिये सही रास्ता ही रिप्रेजेन्टेशन का है। अगर फ्युचर कनेक्शन के लिये आप कुछ जरूरी समझते हैं कि कन्सेशन दिये जावें तो आप अपना रिप्रेजेन्टेशन करें, उस पर हम सोच सकते हैं लेकिन कृपा करके आप जो ठीक समझें वह तो दे दीजिये। यह पत्र मैंने ६ मार्च को लिखा कि हमारे एरियर्स में जो आप वाजिब समझें दे दीजिये और बाकी के लिये बात-चीत करते रहेंगे। लेकिन उसका भी पेमेन्ट नहीं दिया। एक दफा वे मुझसे दिल्ली में मिले थे। मैंने कहा कि रिप्रज़ेन्टेशन आदि तो सब बाद में होते रहेंगे और उन पर सोचते रहेंगे, आप जितना रुपया वाजिब समझें वह तो दे दें। यह बात जुबानी हुई थी। उन्होंने कहा, साहब पॉवर रेगुलर नहीं मिला, कभी मिला, कभी नहीं मिला और पोवर नहीं मिलने से घाटा रहा। मैंने कहा जितना रुपया देना आप उचित समझते हैं दे दीजिये। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनका आशय यह था कि यह कम्पनी सरकार का ही बच्चा है उसको आपको किसी तरह से पनपाना है। उन्होंने मुझको यह बताया कि वे पेमेन्ट करना नहीं चाहते और अन्त में हमें यह कदम उठाना पड़ा कि पॉवर डिसकनेक्ट करने का हुक्म देना पडा। डिसकनेक्ट करने से पहले भी नोटिस दिया था कि पेमेन्ट किया जाय, वर्ना पॉवर डिसकनेक्ट कर दिया जायगा। मगर फिर भी उन्होंने रुपया जमा नहीं कराया। साथ में यह भी....

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले विभाग की ओर से कब नोटिस दिया गया था कि रुपये जमा कराओ, वरना पॉवर डिस्कनेक्ट कर दिया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—विभाग की ओर से समय समय पर लिखा गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप मुझे एक भी नोटिस बता सकते हैं कि ऐसा नोटिस दिया गया कि अगर रुपया अदा नहीं करोगे तो पॉवर डिस्कनेक्ट कर दी जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—विभाग की ओर से समय समय पर लिखा गया। I have not got the dates

श्री हरिकृष्ण व्यास—Even one such notice?

श्री टीकाराम पालीवाल—I am not very sure of it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके पहले ऑर्डिनरी कोर्स में कितने नोटिस दिये गये ?

Page No.92

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि विभाग की ओर से लिखा गया, इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं और बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार का बिहेवियर इस कन्सर्न का गवर्नमेंट के प्रति एरियर के संबंध में रहा इतना खराब किसी का नहीं रहा और अगर कोई व्यक्ति सिम्पेथी रखता है तो उसको ताज्जुब होगा...

कु० श्री जसवन्तसिंह—सिम्पेथी का कोई प्रश्न नहीं रहा। मैंने तो यह कहा कि उनके खिलाफ इतनी रकम इकट्ठी हो गई, फिर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हो सकता है कि किसी को मजदूरों के प्रति सिम्पेथी हो कि उन बेचारों को पानी नहीं मिलता और बिजली बन्द हो गई और उन्होंने कई जगह शिकायत की है। हमने डिसकनेक्ट किया। एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि हमने तो डिसकनेक्ट किया। इसके लिए उन्होंने ८ लाख रुपये एरियर के कर दिये और उधर उन्होंने ८ लाख से कुछ कम रुपया बचा कर चुपके चुपके एक अपना जेनरेटिंग सेट बना लिया और जिस दिन हमने पॉवर डिसकनेक्ट किया उसी दिन उन्होंने अपना नया सेट शुरू कर दिया और काम शुरू कर दिया। इसलिए उनके प्रति कोई सिम्पेथी दिखाने की बात नहीं रही।

But the sympathy is not ours, it is somebody else's.

श्री मुक्तिलाल मोदी—उन्होंने कहा कि जो ब्लेक मार्केटिंग किया उसका क्या हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सारी बातें हमारे पास नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—एप्रोक्सीमेंट ही बता दें, ताकि हमारी सिम्पेथी उनके प्रति समाप्त हो जावे अगर हो भी तो।

श्री टीकाराम पालीवाल—एक तरफ तो उन्होंने सरकार को पैसा नहीं दिया और पैसा जमा करके अपने निजी पॉवर का इन्तजाम पूरा कर लिया और जब तक अपना इन्तजाम पूरा नहीं हो सका तब तक गवर्नमेंट से एनर्जी लेते रहे और जितने अधिक दिनों तक ली जा सके लेने की कोशिश की और लेते रहे।

एक माननीय सदस्य—(अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल—इसलिए यह जरूरी हो गया कि पॉवर बन्द किया जावे और किया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—गवर्नमेंट ने इतना एमाउन्ट क्यों एक्यूमुलेट होने दिया और आयन्दा उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है ?

Page No.93

श्री टीकाराम पालीवाल—उनकी भलमनसाहत पर एतबार किया था और अब उनसे रकम पूरी की पूरी वसूल की जावेगी, कोई कन्सेशन नहीं दिया जावेगा ; all possible methods would be employed and every pie of the arrears will be realised.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सर्टीफिकेट जारी करने के लिए......

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

अब समय हो चुका है इसलिए आज की बैठक समाप्त की जाती है कल सुबह फिर आठ बजे सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी।

(सभाकी कार्यवाही १२,३० बजे मध्यान्ह पर दिनांक २४ सितम्बर, १९५४ के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २३ सितम्बर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२३ का उत्तर देखिये)

नकशा रसूम पटेलाई तहसीलवार, सालवार सन् १६४८-४९ से सन् १९५३-५४ तक।

जिला बूंदी

नाम तहसील	१६४८-४६ वरामदा रकम	१६४८-४६ तकसीम की गई रकम	१६४६-५० वरामदा रकम	१६४६-५० तकसीम की गई रकम	१६५०-१६५१ वरामदा रकम	१६५०-१६५१ तकसीम की गई रकम	१६५१-१६५२ वरामदा रकम	१६५१-१६५२ तकसीम की गई रकम	१६५२-१६५३ वरामदा रकम	१६५२-१६५३ तकसीम की गई रकम	१६५३-५४ वरामदा रकम	१६५३-५४ तकसीम की गई रकम
बूंदी	—	—	—	—	३१२-८	२०६-४	३१२-१२	१५५-४	३१२-१२	१४५-८	३१२-१२	१६
तालेड़ा	—	—	—	—	६००-०	२८५-४	३८६-०	२६६-८	३६१-१४	३४३-१४	८२७-०	—
पाटन	—	—	—	—	७२५-०	७०२-८	२०१५-४	१६४७-१२	८३१-८	७१७-०	३६२.१५	३२३.७
नेनवा	—	—	—	—	८११-८	८११-८	८११-८	७९३-११	८२८-११	७२६-१२	९४६-०	—
हिन्डोली	—	—	—	—	३१८-५	२०६-४	३१७-१५	१६१-४	३१६-११	२१९-८	३१६-११	१८३
योग :	२६३४६	—	३०००.०	—	२७६७-५	२२१४-१२	३८४३-७	३३५७-७	२६८४-८	२१५५.३	२७७१-६	५२५.७